महानगर नई दिल्ली मंगलवार 31 मार्च, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

केंद्र सरकार ने कहा

पूर्णबंदी बढ़ाने की फिलहाल योजना नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 मार्च।

सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में फिलहाल प्रभावी 21 दिन की पूर्ण बंदी की अवधि को और बढ़ाने की तत्काल कोई योजना नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब आशंका जताई जा रही है कि कोरोना के प्रसार से निपटने के लिए देश भर में कारोबार ठप पड़ने से गंभीर आर्थिक संकट व सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है।

मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा की ओर से यह सफाई तब आई है, जब पिछले पांच दिनों से हजारों प्रवासी मजदूर पैदल ही बड़े-बड़े शहरों से अपने घरों को लौट रहे हैं। केंद्र सरकार दिहाड़ी श्रमिकों के लिए बाकी पेज 5 पर

6 दिन

देश में आपातकाल लगाने का संदेश फर्जी : सेना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 मार्च।

सेना ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देश में अगले महीने आपातकाल लागू करने की संभावना से जुड़े सोशल मीडिया संदेशों को बाकी पेज 5 पर

मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा की ओर से यह सफाई तब आई है, जब पिछले पांच दिनों से हजारों प्रवासी मजदूर पैदल ही बड़े-बड़े शहरों से अपने घरों को लौट रहे हैं।

21 दिन के बंद की अवधि खत्म होने के बाद इसे बढ़ाने की खबरों से मंत्रिमंडल सचिव ने इनकार किया है और कहा है कि ये निराधार हैं।

निजामुद्दीन पश्चिम सील जुटे थे दो हजार लोग

कोरोना संक्रमण के बढ़े खतरे के बाद उठाया गया कदम, 100 नमूने जांच को भेजे गए

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम इलाके में एक से 15 मार्च के बीच तबलीग-ए-जमात के इज्तिमे (मजहबी मकसद से एक खास जगह जमा होना) में दो हजार से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। इनमें इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग भी शामिल थे। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कुछ लोगों के कोरोना विषाणु से संपर्क में आने की आशंका के बाद इलाके को सील कर दिया गया है।

बड़ी संख्या में लोगों में बीमारी के लक्षण दिखने के बाद दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरों और मेडिकल टीमें रविवार रात इलाके में गई थी।

उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों में बीमारी के लक्षण दिखने की रिपोर्टों के बाद दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरों और मेडिकल टीमें रविवार रात इलाके में गई थी। कम से कम 100 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट मंगलवार तक आने की उम्मीद है। मुसलिम संगठन तबलीग-ए-जमात के मुख्यालय और घरों समेत पूरे इलाके को काट दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस-सीआरपीएफ की मेडिकल टीमें लोगों की जांच कर रही हैं और बाकी पेज 5 पर

सभा में शामिल छह लोगों की तेलंगाना में मौत

हैदराबाद, 30 मार्च (भाषा)।

तेलंगाना में उन छह लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई जिन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन में 13 मार्च से 15 मार्च के बीच धार्मिक सभा में भाग लिया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके के मरकज में 13 मार्च से 15 मार्च तक एक धार्मिक सभा में भाग लेने वाले कुछ लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण फैल गया है।' इसमें कहा गया है, 'इस सभा में भाग लेने वालों में बाकी पेज 5 पर

दिल्ली सरकार ने कहा, दर्ज होगी एफआइआर

नई दिल्ली, 30 मार्च (जनसत्ता संवाददाता)।

निजामुद्दीन स्थित मरकज के मौलाना के खिलाफ आइपीसी की धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज होगी। दिल्ली सरकार ने देर रात यह बयान दिया है। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों के एकत्र होने का मामला सामने आने के बाद यह फैसला बाकी पेज 5 पर

अमानवीय : मजदूरों पर रसायन की बौछार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 मार्च।

कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रसार को रोकने के क्रम में दूसरे प्रदेशों और जिलों से आने वाले प्रवासी कामगारों को 'संक्रमण मुक्त' करने के लिए रविवार को बरेली बस अड्डे पर यातायात पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने 'सोडियम हाइपोक्लोराइड' के घोल का उन पर बाकी पेज 5 पर

बरेली में मजदूरों पर रसायन का छिड़काव करता स्वास्थ्यकर्मी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पलायन पर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

कोरोना विषाणु के कारण पूर्ण बंदी के चलते रोजगारहीन होने के कारण हजारों प्रवासी मजदूरों के अपने घरों को वापस लौटने के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 'भय व दहशत' कोरोना वायरस से बड़ी समस्या बनती जा रही है। शीर्ष न्यायालय ने इन लोगों के पलायन को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में केंद्र से मंगलवार तक रिपोर्ट देने को कहा है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बीच कोई निर्देश देकर ज्यादा भ्रम पैदा नहीं करना चाहती। पीठ ने कामगारों के पलायन से उत्पन्न स्थिति को लेकर अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव और रश्मि बंसल की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले में केंद्र की स्थिति रिपोर्ट का इंतजार करेगी।

इन याचिकाओं में 21 दिन के देशव्यापी कोरोना वायरस पूर्ण बंदी की वजह से बेरोजगार होने वाले हजारों प्रवासी कामगारों के लिए खाना, पानी, दवा और समुचित चिकित्सा सुविधाओं जैसी राहत दिलाने का अनुरोध किया गया है। केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन कामगारों के पलायन को रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों बाकी पेज 5 पर

योगी ने डीएम से कहा, बकवास बंद करो

हटाया गया गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी को

लखनऊ/नोएडा, 30 मार्च (भाषा/जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोमवार को फटकार के बाद तीन महीने की छुट्टी मांगने वाले गौतमबुद्धनगर (नोएडा) के जिलाधिकारी बीएन सिंह को हटाकर उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए।

मुख्यमंत्री द्वारा नोएडा में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान लगी फटकार के बाद जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव आरके तिवारी को पत्र लिखकर तीन महीने की छुट्टी मांगी थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें मुख्यमंत्री अधिकारी को बकवास बंद करने करने के लिए कह रहे हैं।

जिलाधिकारी का छुट्टी मांगने का एक पत्र मीडिया में लीक हो गया। मामले को लेकर मचे हड़कंप के बाद मुख्य सचिव ने देर शाम बताया, 'सिंह को नोएडा के जिलाधिकारी पद से हटाकर राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। सिंह की जगह सुहास एलवाई गौतमबुद्धनगर के नए जिलाधिकारी होंगे। सुहास पदभार ग्रहण करने के लिए नोएडा रवाना हो गए हैं।'

इससे पहले, कोरोना संक्रमण से उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर से सर्वाधिक 37 मरीज मिलने पर पूर्णबंदी के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे। जहां उन्होंने, तीनों प्राधिकरण, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नोएडा की सीज फायर कंपनी में आए ब्रिटिश नागरिक और उसके कारण जिले में फैले संक्रमण पर सवाल किया। इसके बाद दिल्ली की ओर से आए प्रवासी मजदूरों पर बात की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी बीएन सिंह ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन योगी ने नाइत्तेफाकी जाहिर कर दी। मुख्यमंत्री की ओर से इंतजामों पर नाराजगी जाहिर करने पर डीएम बीएन सिंह ने कहा कि वह रोजाना 18 घंटे काम कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर हालात संभल नहीं रहे हैं तो वे गौतमबुद्धनगर में तैनात नहीं रहना चाहेंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जमकर फटकार लगाई।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मुख्यमंत्री के लौटते ही एक पत्र यूपी के मुख्य सचिव को लिखा। मुख्य सचिव तिवारी ने कहा, 'सिंह ने छुट्टी के लिए उन्हें पत्र लिखा और फिर उसे मीडिया में लीक कर दिया। यह घोर अनुशासनहीनता है और इसके लिए उनके खिलाफ विभागीय जांच भी कराई जाएगी।

जिलाधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश, वाकये के बाद कलेक्टर ने मांगी थी छुट्टी।
बीएन सिंह की जगह सुहास एलवाई गौतमबुद्धनगर के नए जिलाधिकारी होंगे।

कोरोना से अब तक 32 की मौत, दिल्ली में कुल 97 मामले

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली, 30 मार्च।

कोरोना विषाणु संक्रमण से मौत के पांच नए मामलों के साथ सोमवार को देश में मरने वालों की संख्या 32 हो गई जबकि संक्रमितों की संख्या 1251 पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब भी 1117 लोग कोरोना विषाणु से संक्रमित हैं जबकि 101 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है और एक व्यक्ति यहां से चला गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 97 पहुंच गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रात साढ़े नौ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीमारी से मौत के दो नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना विषाणु से अब तक सबसे ज्यादा आठ मौत हुई हैं। इसके बाद गुजरात में छह, कर्नाटक व मध्य प्रदेश में तीन-तीन, दिल्ली व जम्मू-कश्मीर बाकी पेज 5 पर

देश में संक्रमितों की संख्या

रविवार : 1024
सोमवार : 1251

यूरोप में कोरोना वायरस के घोषित मामले 400,000 हुए

चौबीस घंटे में देश भर में 227 मामले बढ़े

38,442 मामलों का अब तक परीक्षण हुआ।

कोरोना पर फैले अंधविश्वास को दूर करें सामाजिक संगठन : मोदी

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

समाज कल्याण में लगे संगठन कोरोना वायरस से जुड़े अंधविश्वासों और गलत सूचना को दूर करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यह बात सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्म के नाम पर लोग सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर विभिन्न जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए उन्हें सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है ताकि घातक वायरस के प्रसार को रोका जा सके।

समाज सेवा में लगे संगठनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए मूलभूत जरूरतों की व्यवस्था करने में वे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा में अपनी चिकित्सा सुविधाओं और स्वयंसेवियों को लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में मोदी के हवाले से बताया गया कि देश 'अभूतपूर्व संकट' का सामना कर रहा है और उसे 'इन संगठनों और उनके संसाधनों की अभी बहुत जरूरत है।' मोदी ने कहा कि वायरस के संक्रमण से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए देश को अल्प बाकी पेज 5 पर

अभी सामुदायिक संक्रमण के हालात नहीं : सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 मार्च।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना के संक्रमण की दर विकसित देशों की तुलना में कम होने की जानकारी देते हुए कहा है कि भारत में अभी इस वायरस के संक्रमण का दूसरा दौर ही चल रहा है, यह अभी सामुदायिक संक्रमण के तीसरे चरण में नहीं पहुंचा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से 1000 तक पहुंचने में 12 दिन लगे, जबकि इस संकट से जूझ रहे विकसित देशों में इस अवधि में मरीजों की संख्या 3,500 से 8,000 थी। अग्रवाल ने संक्रमण को रोकने के लिए घोषित पूर्ण बंदी के असर के विश्लेषण के आधार पर बताया कि भारत में संक्रमण के बढ़ने की गति विकसित देशों की तुलना में कम है।

उन्होंने कहा कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है बाकी पेज 5 पर

चंडीगढ़ पीजीआइ में कोरोना संक्रमण का मामला, सभी को किया गया पृथक

मरीज के संपर्क में आए 36 स्वास्थ्यकर्मी

चंडीगढ़, 30 मार्च (जनसत्ता)।

पंजाब स्थित समीपवर्ती नयागांव वासी एक 65 वर्षीय मरीज की रविवार रात पीजीआइएमईआर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज के रूप में पुष्टि हो गई है और पीजीआइ के डॉक्टरों का कहना है कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। एक आधिकारिक सूत्र ने यहां इस बात की पुष्टि करते हुए बताया, 'कम्युनिटी मेडिसिन के एक दल ने उस अस्पताल स्टाफ के 36 सदस्यों का पता लगाया है जो उक्त मरीज में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि से पूर्व संपर्क में रहे हैं।' इनमें से अधिकतर उस समय कोरोना से बचाव में उपयोगी उपकरणों व पोशाकों से भी लैस नहीं थे।' इन स्वास्थ्य कर्मियों को पृथक कर दिया गया है।

पहले मरीज को सीवियर एक्यूट रेसपेटरी डिस्ट्रेस (एसएआरडी) के लक्षणों के साथ पीजीआइ में भर्ती कराया गया था। हैरानी की बात यह कि मरीज की न तो कोई विदेशी दौरे का इतिहास है और न ही यह किसी अन्य कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया। इसके साथ ही चंडीगढ़ में सोमवार एक ही दिन कोरोना विषाणु के पांच नए संक्रमित मरीज सामने आने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग सहित समूचे शहरवासियों में हड़कंप मच गया।

कोरोना का संदिग्ध मामला मानते हुए इस मरीज को पहले पृथक वार्ड में नहीं रखा गया था, और उसे पीजीआइ की इमरजेंसी में भर्ती किया गया था। माना जा रहा है कि इस मरीज से कम से कम ऐसे 36 अस्पताल कर्मियों का संपर्क हुआ होग, जो उस समय कोरोना से बचाव में कारगर व उपयुक्त उपकरणों आदि से लैस भी नहीं थे और अब उन सबको भी उनके घरों में पृथक रखा जा रहा है। पीजीआइएमईआर में एसोसिएशन ऑफ रेजीडेंट बाकी पेज 5 पर

दरअसल

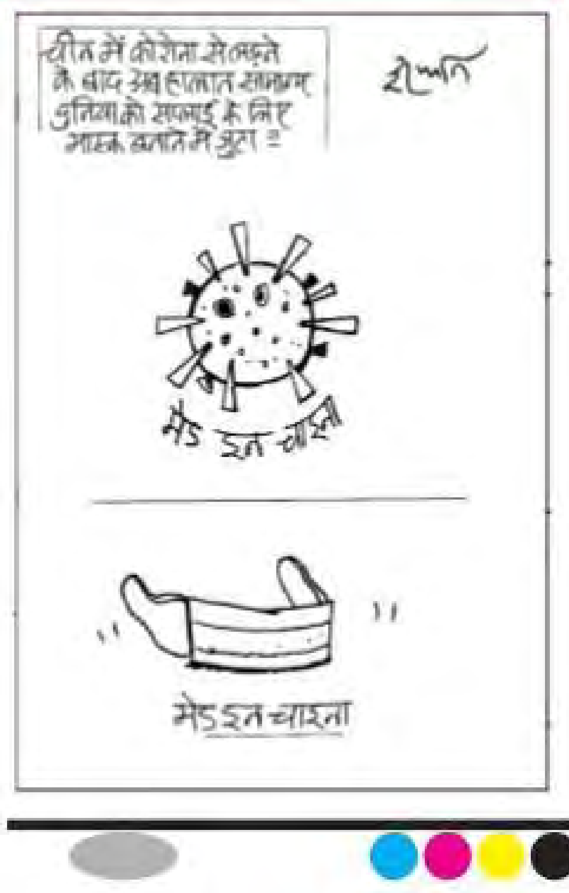

विषाणु संक्रमण के प्रसार की रफ्तार को कुछ दिनों के लिए कम करना मकसद | **कोरोना** | **विषाणु का इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 14 दिन है**

बंदी बेहतर विकल्प, स्वास्थ्य सेवाओं को मिला तैयारी का वक्त

सुशील राघव
नई दिल्ली, 30 मार्च।

कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए देश में 21 दिन की पूर्णबंदी लगाई गई है जिसके छह दिन बीत गए हैं। ऐसे में कैबिनेट सचिव का कहना है कि इस बंदी को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा गया है। विषाणु विज्ञानी और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बंदी से कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रसार की रफ्तार को कुछ दिनों के लिए कम करना है। इससे सरकार और स्वास्थ्य एंजसियों को इस बीमारी से लड़ने की तैयारी का समय मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रामक बीमारियों से लड़ने में पूर्णबंदी एक बेहतर उपाय है और इसका सकारात्मक असर भी देखा गया है।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु के विषाणु विज्ञानी डॉ शशांक त्रिपाठी ने बताया कि देश में पूर्णबंदी का निर्णय अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर लिया गया। यह फैसला संक्रामक बीमारी को तेजी से फैलने से रोकने में सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने बताया कि बंदी से संक्रमण के फैलने की रफ्तार में कमी आएगी न कि यह संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। संक्रमण फैलने की गति में कमी आने से सरकार को आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयारी का समय मिल जाएगा।

प्रकोप का लोप
- विशेषज्ञों की राय में संक्रामक बीमारियों से लड़ने में पूर्णबंदी एक बेहतर उपाय
- अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर सरकार ने लिया पूर्णबंदी का फैसला

कोरोना विषाणु का इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 14 दिन है और अगर संक्रमित व्यक्ति में लक्षण आने होंगे तो 21 दिन में आ जाएंगे।
- प्रोफेसर बिस्वजीत कुंदू, आइआइटी दिल्ली

अभी इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि 21 दिन की बंदी के बाद भी कुछ दिनों की बंदी की आवश्यकता होगी। यह नया विषाणु है और इसके बारे में हर रोज नई-नई चीजें सामने आ रही हैं। - डॉ
-शशांक त्रिपाठी, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु के विषाणु विज्ञानी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली के बायोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर बिस्वजीत कुंदू ने अपनी व्यक्तिगत राय में कहा कि कोरोना विषाणु संक्रमण को राकने के लिए पूर्णबंदी से अच्छा कोई उपाय नहीं है। यह सोच-समझकर लिया गया निर्णय है। उन्होंने बताया कि इस विषाणु का इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 14 दिन है और अगर संक्रमित व्यक्ति में लक्षण आने होंगे तो 21 दिन में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस 21 दिनों के दौरान सभी संक्रमित व्यक्ति को पृथक करके इलाज किया जाता है तो इसके संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है। प्रोफेसर कुंदू ने बताया कि हमारे देश में अभी बहुत कम जांच हो रही हैं। इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सही तरह से जांच होगी तो संक्रमितों की संख्या काफी अधिक होगी।

जीन इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय केंद्र, दिल्ली के विज्ञानी नील सरोवर बाकी पेज 5 पर

www.readwhere.com

अमेरिका में मृत्यु दर दो हफ्ते में सर्वाधिक होने की आशंका

वाशिंगटन, 30 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका में अगले दो सप्ताह में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर सर्वाधिक हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए उन्होंने सामाजिक दूरी बनाने समेत कोरोना वायरस संबंधी अन्य दिशानिर्देशों की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है।

अमेरिका इस संकट से एक जून तक उबर जाएगा, देशवासियों को यह आश्वासन देते हुए ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि दो शीर्ष जन स्वास्थ्य सलाहकारों व कोरोना वायरस पर वाउट हाउस कार्यबल के सदस्यों डॉ. देबोरा बिक्स और डॉ एंथनी फॉसी की सलाह के आधार पर उन्हें सामाजिक मेलजोल से दूरी संबंधी उपायों की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ानी होगी।

ट्रंप ने कोरोना वायरस पर अपनी दूसरी रोज गार्डन प्रेसवार्ता में कहा, 'उनका कहना है कि जिन बचाव उपायों को हम लागू कर रहे हैं, वे काफी हद तक संक्रमण के नए मामलों और असमय हो रही मौतों की संख्या घटा सकते हैं।'

उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि अमेरिका के लोग यह जानें कि आपके निःस्वार्थ व साहसिक प्रयास देश में कई जानें बचा रहे हैं। आप बदलाव ला रहे हैं। अनुमान दर्शाते हैं कि दो हफ्तों में मृत्यु दर बेहद ऊंचाई पर पहुंच जाएगी।'

उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी को लेकर नए दिशानिर्देशों की घोषणा एक अप्रैल को की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक जून तक हम इस संकट से पार पा लेंगे। रविवार रात तक अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 14,000 हो गई थी और मृतकों की संख्या 2,475 पर पहुंच गई।

न्यूयॉर्क में एक हजार से अधिक लोगों की मौत

न्यूयॉर्क, 30 मार्च (भाषा)।

न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों का आंकड़ा एक हजार के पार पहुंच गया है। गवर्नर एंड्रियू क्युमो ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 का केंद्र बन चुके अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना का प्रकोप कम होने से पहले हजारों लोग मौत के मुंह में जा चुके होंगे।

रविवार को इस महामारी के विषय पर नियमित संवाददाता सम्मेलन में क्युमो ने कहा कि न्यूयॉर्क में एक दिन में वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 237 बढ़कर 728 से 965 पर पहुंच गई। एक दिन में मौत का यह आंकड़ा सर्वाधिक है। दिन के अंत तक मृतक संख्या एक हजार के पार पहुंच गई। न्यूयॉर्क सिटी में शनिवार रात से रविवार सुबह तक 161 लोगों की मौत हो चुकी है जिससे राज्यभर में मौत की आंकड़ा एक हजार के पार पहुंच गया। इस महामारी का प्रकोप कम होने से पहले हजारों लोगों की मौत हो चुकी होगी। मुझे नहीं पता कि आप इन आंकड़ों को किस तरह देखते हैं और हजारों लोगों की मौत हो चुकी होगी। मौत का आंकड़ा बढ़ता जाएगा।

दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 34,610

पेरिस, 30 मार्च (एएफपी)।

दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या सोमवार को 34,610 हो गई। इससे संक्रमण के कुल मामले 727,080 हो गए।

चीन में दिसंबर में कोरोना वायरस महामारी के सामने आने के बाद 183 देशों और क्षेत्रों में इस वायरस से संक्रमण के कुल 727,080 मामले सामने आए हैं जिनमें से 142,300 स्वस्थ हो गए। एएफपी ने राष्ट्रीय प्राधिकारों व विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सूचना के आधार पर ये आंकड़े तैयार किए हैं लेकिन ये वास्तविक संक्रमण के कुल मामलों का संभवतः महज एक हिस्सा प्रदर्शित करते हैं।

कई देश बस उन्हीं मामलों का परीक्षण कर रहे हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती की जरूरत होती है। इटली में इस वायरस से 10,779 मरीजों की मौत हुई है और 97,689 लोग संक्रमित हैं। वहां कोरोना वायरस के पहले मरीज की मौत फरवरी के आखिर में हुई थी। वहां अबतक 13,030 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्पेन में पिछले चौबीस घंटे में 812 लोगों की मौत होने के साथ ही इस रोग के चलते अबतक 7,340 मरीजों की जान जा चुकी है। देश में इस बीमारी के 85,195 मामले सामने आ चुके हैं। हांगकांग और मकाऊ को छोड़कर चीन में कोरोना वायरस से 3,304 लोगों की मौत हुई है। देश में इस वायरस से संक्रमण के 81,470 मामले सामने आए जिनमें से 75,448 मरीज स्वस्थ हो गए। वहां रविवार से अब तक 31 नए मामले सामने आए हैं और चार मरीजों की जान चली गयी । इस वायरस के संक्रमण का मामला सबसे पहले चीन में ही आया था। अन्य सबसे प्रभावित देश ईरान और फ्रांस हैं। ईरान में कोरोना वायरस से 2,757 मौतें हुई और 41,495 मामले सामने आए। फ्रांस में कोरोना वायरस ने 2,606 जिंदगियां छीन ली।

यूरोप में मृतकों की संख्या 25 हजार के पार पहुंची

पेरिस, 30 मार्च (एएफपी)।

यूरोप में कोरोना वायरस महामारी से 25 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है।

एएफपी की गणना के मुताबिक इस वायरस के घोषित 399,381 मामलों में से कुल 25,037 लोगों की मौत हुई है। यूरोप अब ऐसा महाद्वीप बन गया है जहां कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले सामने आये हैं। दुनियाभर में इस वायरस से सबसे अधिक इटली और स्पेन प्रभावित हुए हैं जहां क्रमशः 10,779 और 7,340 लोगों की मौत हुई है।

कामगारों के प्रदर्शन के बाद कोट्टायम में निषेधाज्ञा लागू, मामले दर्ज

जिला पुलिस प्रमुख ने कहा, कामगारों को भड़काने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा

कोट्टायम (केरल), 30 मार्च (भाषा)।

देश भर में 21 दिन के बंद का उल्लंघन करते हुए केरल के एक गांव में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों के प्रदर्शन करने के एक दिन बाद केरल पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों और अशांति भड़काने वालों के खिलाफ सोमवार को कड़ी कार्रवाई की।

केरल के कोट्टायम में सोमवार को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। यह कदम चंगानास्सेरी के निकट एक गांव में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी कामगारों के प्रदर्शन के एक दिन बाद उठाया गया है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए, जिलाधिकारी पीके सुधीर बाबू ने निषेधाज्ञा संबंधी आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दरअसल जिला पुलिस अधिकारी और उपमंडलीय मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी थीं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंद के सरकार के आदेश के बावजूद लोगों के इकट्ठा होने की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद यह आदेश जारी किया गया।

जिला पुलिस प्रमुख जी जयदेव ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने पर कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक प्रवासी कामगार को हिरासत में ले कर पूछताछ की जा रही है। जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि प्रथम दृष्टया पुलिस को घटना में किसी षड्यंत्र का संदेह है। उन्होंने कहा कि कामगारों को भड़काने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।

राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को कहा था कि इसके पीछे कोई साजिश है। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के मुश्किल वक्त में समाज के कामगार वर्ग को भड़का कर समाज में अशांति फैलाने वाली ताकतों पर भी जम कर निशाना साधा।

21 दिन के बंद का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रवासी कामगार अपने अपने घरों तक पहुंचने के लिए परिवहन की मांग करते हुए चंगानास्सेरी के निकट पायिप्पड़ में सड़कों पर आ गए। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस बल तैनात किया और कोट्टायम जिला अधिकारियों को प्रदर्शन कर रहे कामगारों को समझाने-बुझाने के लिए भेजा।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कामगारों से बातचीत की और उन्हें वापस शिविरों में भेजा। अधिकारियों ने कामगारों को आश्वासन दिया है कि बंद के दौरान उन्हें हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सरकार ने हालांकि परिवहन मुहैया कराने की कामगारों की मांगों को खारिज कर दिया है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के उन निर्देशों का हवाला दिया जिसमें लोगों पर अपनी जगह छोड़ कर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कोरोना : मीडियाकर्मियों को चिकित्सा बीमा के लिए याचिका

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दाखिल कर कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग करने वाले मीडियाकर्मियों को चिकित्सा बीमा मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

वकील अर्पित भार्गव ने त्वरित सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार से अनुरोध किया। संयुक्त रजिस्ट्रार ने कहा कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए मौजूदा बंदी में ढील के बाद इसे सुनवाई के लिए रखा जाएगा। याचिका में केंद्र सरकार से अनुबंध या स्थायी आधार पर काम करने वाले प्रत्येक पत्रकारों, संवाददाताओं और अन्य मीडिया कर्मियों में प्रत्येक को कम से कम 50 लाख रुपए का चिकित्सा या जीवन बीमा मुहैया कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी प्रसारित करने और लोगों को सूचनाओं से वाकिफ कराने के लिए सरकार ने मीडिया कर्मियों को बंदी से छूट प्रदान की है और वे अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया कि इसलिए संकट के इस वक्त जब देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं मीडियाकर्मियों का कल्याण, सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि संकट के इस समय केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के योगदान को माना है और उनकी सराहना करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा की घोषणा की गई है। याचिका में कहा गया कि आश्चर्य है कि इससे मीडियाकर्मी वंचित रखे गए जबकि देश के प्रधानमंत्री ने भी मीडियाकर्मियों के प्रयासों को माना है।

दिल्ली की जेलों में कैदियों की संख्या घटाने का निर्देश

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राजधानी की जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिये कदम उठाने का निर्देश प्राधिकारियों को दिया है ताकि कोरोना विषाणु महामारी वहां अपने पांव नहीं पसार सके।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित इस समिति ने जेलों में कैदियों के बीच दूरी बनाए रखने का लक्ष्य हासिल करने और नए कैदियों, जो विदेशी हैं, को अलग रखने के विभिन्न उपायों पर विचार किया। इसी तरह, फ्लू या बुखार जैसे लक्षण वाले कैदियों को भी अलग रखने और जेल में नियमित रूप से उनकी जांच सुनिश्चित करने तथा पैरोल की पात्रता रखने वाले कैदियों की रिहाई के बारे में भी विचार किया गया।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने उन कैदियों को विशेष छूट देकर रिहा करने पर भी विचार किया जिनकी सजा पूरी होने में छह महीने या इससे कम का समय बचा है। समिति ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जेल महानिदेशालय, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। शीर्ष अदालत के 23 मार्च के आदेश के मद्देनजर इस समिति की बैठक हुई। बैठक में यह तय किया गया कि कारागार नियमों में जोड़े गये नये प्रावधान के तहत करीब 1,500 कैदियों को आठ सप्ताह की पैरोल देने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। बैठक की कार्यवाही के विवरण के अनुसार इसमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि जेल में कैदियों की संख्या कम करने के लिये ऐसे विचाराधीन कैदियों की श्रेणी में दी जाए, जिन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

हालांकि, समिति ने यह प्रस्ताव भी पारित किया कि मादक पदार्थों से संबंधित ऐसे मामले, , जिनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं, बच्चों के यौन शोषण, बलात्कार और तेजाब हमले, विदेशी नागरिकों, भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों के साथ ही आतंक, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या गैरकानून गतिविधियां कानून के तहत बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों में अंतरिम जमानत के लिए विचार नहीं किया जाएगा। समिति ने यह भी तय किया कि जेलों में व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की व्यवस्था फिलहाल नहीं होगी और कैदियों को अपने परिजनों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दी जाएगी। जेल महानिदेशक के अनुसार दिल्ली की 16 जेलों की क्षमता 10,026 कैदियों की है लेकिन इनमें इस समय 17,440 कैदी हैं।

सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)

घरों से दूर तैनात अपने जवानों के मद्देनजर सीआरपीएफ ने फील्ड कार्यालयों को चौबीसों घंटे चालू रहने वाला हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना प्रकोप को देखते हुए उन कर्मियों के परिवारों की मदद की जा सके। इसके अलावा त्वरित कार्रवाई टीमों (क्यूआरटी) की भी सेवा ली जाएगी। बल के 23 सेक्टरों को चौबीसों घंटे चालू रहने वाले लैंडलाइन कनेक्शन और वाट्सऐप नंबर स्थापित करने और इसका प्रचार करने के लिए कहा गया है।

मिजोरम के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के लोगों से नस्ली भेदभाव पर चिंता जताई

आइजोल, 30 मार्च (भाषा)।

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से कुछ राज्यों में पूर्वोत्तर के लोगों पर कथित हमले व नस्ली भेदभाव की घटनाओं को रोकने का आग्रह किया है जहां उन्हें कोरोना प्रकोप के बाद गलती से चीनी समझा जा रहा है। जोरामथंगा ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी संलग्न किया जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ नगा छात्रों को किराने की एक दुकान पर कथित तौर पर घुसने से रोका जा रहा है।

उन्होंने कहा, 'मैं इस वीडियो को देखकर बहुत दुखी और हैरान हूं। मानवता का स्तर इतना नीचे कब हो गया।' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस मामले पर गौर करने और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से इस मामले को देखने का अनुरोध करता हूं।' जोरामथंगा ने साथ ही मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी टैग किया।

मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि उन्होंने मैसूरू के सांसद प्रताप सिम्हा से बात की है जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

ड्यूटी पर आने के लिए पुलिस कांस्टेबल ने की 450 किलोमीटर की यात्रा

भोपाल, 30 मार्च (भाषा)।

कोरोना विषाणु का प्रसार रोकने के लिए जारी देशव्यापी बंद के बीच मध्य प्रदेश के एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए उत्तर प्रदेश के अपने गृह जिला इटावा से मध्य प्रदेश के राजगढ़ तक करीब 450 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान कभी वह पैदल चला, तो कभी लोगों से मोटरसाइकिल पर लिफ्ट ली।

कांस्टेबल दिग्विजय शर्मा (22) ने सोमवार को बताया कि मैं इटावा में अपनी स्नातक की परीक्षा (बैचलर ऑफ आर्ट्स) देने के लिए 16 से 23 मार्च तक छुट्टी पर था जो बंद होने के कारण स्थगित हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अधिकारी व पुलिस स्टेशन पचौर के प्रभारी निरीक्षक से फोन पर संपर्क किया और उनसे कहा कि मैं इस मुसीबत के समय में अपनी ड्यूटी में शामिल होना चाहता हूं। उन्होंने परिवहन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मुझे घर में रहने की सलाह दी। मेरे परिवार ने भी यही सलाह दी लेकिन मैं खुद को नहीं रोक सका। मैंने 25 मार्च की सुबह इटावा से पैदल राजगढ़ की यात्रा शुरू की। मैं इस दौरान करीब 20 घंटे तक चला जिसमें मैंने मोटरसाइकिल पर सवार लोगों से लिफ्ट भी ली और 28 मार्च की रात राजगढ़ पहुंच गया। उन्होंने कहा- मैंने अपने अधिकारी के साथ जिले में अपनी एंट्री दर्ज कराई।

उन्होंने बताया कि मेरी इस यात्रा के दौरान सामाजिक संगठनों ने मुझे भोजन प्रदान किया। एक दिन मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। एक जून, 2018 को मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए शर्मा ने कहा कि मेरे बॉस ने मुझे घर पर आराम करने के लिए कहा क्योंकि मेरे पैरों में सूजन हो गई है। लेकिन मैं जल्द ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा।

राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कहा कि कांस्टेबल दिग्विजय शर्मा को मुसीबत के समय पर काम करने की प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है। मैं मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस कांस्टेबल को प्रशंसा पत्र देने का अनुरोध भी कर रहा हूं।

मास्क पहन कर ओड़ीशा विस के सत्र में शामिल हुए विधायक

भुवनेश्वर, 30 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ओड़ीशा विधानसभा के बजट सत्र में विधायक सोमवार को मास्क पहन कर शामिल हुए। विधायकों को राज्य सचिवालय लोकसेवा भवन में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को भी धोते हुए देखा गया। लोकसेवा भवन में ही सदन की कार्यवाही चल रही है।

ओड़ीशा में कोरोना के तीसरे मरीज के विधानसभा सचिवालय के सात कर्मचारियों के संपर्क में पाए जाने के बाद विधानसभा भवन की बजाय लोकसेवा भवन के भीतर कन्वेंशन सेंटर में सत्र की कार्यवाही चल रही है। पिछले छह दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदन की कार्यवाही विधानसभा भवन के बाहर आयोजित की जा रही है।

विधानसभा भवन को संक्रमण मुक्त किया जा रहा है और सभी कर्मचारियों से घरों में पृथक रहने को कहा गया है।

इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष एस एन पात्रो ने सभी राजनीतिक दलों से अपने केवल 30 फीसद विधायकों को ही सत्र में शामिल होने के लिए लोक सेवा भवन भेजने का अनुरोध किया था। सदन में लगभग 50 विधायक मौजूद रहे। सामाजिक मेल-जोल से दूरी बनाए रखने के लिए विधायकों को एक-दूसरे से कम से कम दो मीटर की दूरी पर सीट उपलब्ध कराई गई।

कोरोना के मद्देनजर 13 मार्च को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

विधानसभा ने विनियोग विधेयक पारित किया जिससे राज्य सरकार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी संचित निधि से 1.55 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकेगी। विधेयक पारित होने के बाद सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने ओड़िशा विनियोग विधेयक 2020 पेश किया। विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक प्रदीप कुमार नाइक व कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा ने इसका समर्थन किया। बीजद के वरिष्ठ विधायक अमर प्रसाद सत्पति ने बताया कि विधेयक निर्विरोध पारित हो गया। पुजारी ने 18 फरवरी को विधानसभा में सालाना बजट पेश किया था।

हालांकि कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर और विधानसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने के कारण सभी विभागों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं हो सकी।

कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर विदेशों से लौटे 2,800 लोगों का पता लगाने में विफल रहने पर चिंता जाहिर करते हुए ओड़ीशा सरकार ने जिला और नगर निकायों को निगरानी पर ध्यान देने और ऐसे लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं।

जनसत्ता
क्लासीफाइड
खोया+पाया

I, Nand Kishore Juneja S/o Late H.P. Juneja R/o D-8, Bali Nagar, New Delhi-15, owner of unit no. FNB-13, Commercial Complex Pearls Omaxe, have lost Original Receipts issued by Omaxe Ltd. Receipt details as below:
No.18590 dt: 2.10.06 for 18,59,670/-
No.27190 dt: 05.03.07 for 9,65,922/-
No.206087 dt: 17.05.07 for 78,272/-
No.206087 dt: 17.05.07 for 71,728/-
No.206092 dt: 17.05.07 for 7,50,000/-
No.276801 dt: 24.10.07 for 1,25,000/-
No.276801 dt: 24.10.07 for 1533725/-
No.315873 dt: 03.07.08 for 1100000/-
No.321596 dt: 11.08.08 for 53,142/-
No.321612 dt: 11.08.08 for 482000/-
No.494507 dt: 02.05.11 for 1200000/-
No.1615377 dt: 29.12.17 for 51,741/-
No.1615377 dt: 29.12.17 for 24,075/-
No.1615377 dt: 29.12.17 for 840/-
Any person who finds it, please return it to Mr. Pradeep Kumar, Omaxe Ltd., 7-LSC, Kalkaji, New Delhi-19 or call: 9990999849

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

संगीत की अनूठी 'वेब शृंखला' शुरू | उम्मीद की लौ | हिस्सा ले रहे कई शास्त्रीय संगीतकार

कोरोना से लड़ने की ताकत है शास्त्रीय संगीत में

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

चारों तरफ निराशा और नकारात्मकता है लेकिन शास्त्रीय संगीत लोगों को कोरोना से लड़ने की ताकत दे सकता है। माहौल में उत्साह का संचार कर सकता है, यह कहना है ग्रैमी पुरस्कार विजेता मोहनवीणा वादक पंडित विश्वमोहन भट्ट का। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों ने संगीत की अनूठी 'वेब शृंखला'- उत्साह शुरू की है जिसमें विश्वमोहन भट्ट समेत कई कलाकार भाग ले रहे हैं।

दुर्गा जसराज की संस्था आर्ट एंड आर्टिस्ट्स की ओर से शुरू की गई पहल 'उत्साह : स्प्रेडिंग हैप्पीनेस' में इंस्टाग्राम लाइव चैट पर साक्षात्कार के बाद कलाकार उनके फेसबुक पेज पर रोज बीस मिनट की प्रस्तुति देते हैं। जनता कर्फ्यू यानी 22 मार्च से शुरू हुआ यह सिलसिला 14 अप्रैल को बंदी (लॉकडाउन) के आखिरी दिन तक चलेगा।

इसमें सात अप्रैल को विशेष प्रस्तुति देने जा रहे भट्ट ने जयपुर से बातचीत में कहा ,'इस माहौल में उत्साह के संचार के लिए शास्त्रीय संगीत से बेहतर कुछ नहीं है। यह आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। मैं सात अप्रैल को कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा जो मेरे गुरु पंडित रविशंकर की सौवीं वर्षगांठ भी है। मैं उन्हीं पर प्रस्तुति केंद्रित रख कर उनके राग ही बजाऊंगा।'

उन्होंने बताया कि सात अप्रैल को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में उनका शो था जबकि अमेरिका के सैन डिएगो में भी उन्हें कार्यक्रम देना था जहां भारतरत्न मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर ने अंतिम दिन बिताए थे। कोरोना विषाणु फैलने के कारण सारे कार्यक्रम रद्द हो गए ।

भट्ट ने कहा ,'अब घर पर खाली बैठकर मोबाइल ऐप के साथ रियाज कर रहा हूं जिसमें तबला, तानपुरा और स्वरमंडल तो मिल जाते हैं लेकिन असली संगत और साज की बात ही कुछ और होती है। उम्मीद है कि यह दौर जल्दी बीते और जिंदगी ढर्रे पर लौटे।'

दुर्गा जसराज की संस्था आर्ट एंड आर्टिस्ट्स की ओर से शुरू की गई पहल 'उत्साह : स्प्रेडिंग हैप्पीनेस' में इंस्टाग्राम लाइव चैट पर साक्षात्कार के बाद कलाकार उनके फेसबुक पेज पर रोज बीस मिनट की प्रस्तुति देते हैं। जनता कर्फ्यू यानी 22 मार्च से शुरू हुआ यह सिलसिला 14 अप्रैल को बंदी (लॉकडाउन) के आखिरी दिन तक चलेगा।

वहीं उत्साह में सबसे पहले प्रस्तुति देने वाले संदीप रानाडे पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं और अमेरिका में गूगल की नौकरी छोड़ कर अपना शौक पूरा करने भारत आ बसे। पंडित जसराज के शिष्य और कोरोना पर अपने गीत 'ना कोरोना करो' से दुनिया भर में लोकप्रिय हुए रानाडे ने कहा, 'राग वसंत पर आधारित इस गीत के लिए दुनिया भर से संदेश मिले और यही संगीत की ताकत है।' रियाज के लिए आइओएस ऐप 'नादसाधना' के अविष्कारक रानाडे ने कहा, 'यह कठिन और चिंताजनक दौर है और मैंने लोगों में इस गीत के जरिए जागरूकता जगाने की कोशिश की। उनमें आशावाद, एकजुटता और साहस का संचार करने की यह पहल थी जो लोगों को पसंद आई।'

मेवाती घराने की शास्त्रीय गायिका अंकिता जोशी ने बताया, 'आम तौर पर कार्यक्रम के लिए पूरी महफिल सजा कर कलाकार रिकार्डिंग करते हैं या लाइव करते हैं लेकिन मौजूदा माहौल में हम कहीं आ-जा नहीं सकते। इसलिए घर में ही मोबाइल या लैपटॉप पर बिना अधिक तकनीकी सहायता के लोगों से जुड़ने का यह प्रयास है।' उन्होंने कहा, 'हमें 20 मिनट लगातार गाना है और मैंने अपनी परफार्मेंस सरप्राइज रखी है लेकिन मैं गुरु जी (पंडित जसराज) के लोकप्रिय गीत गाऊंगी।'

'उत्साह' की पहल करने वाली दुर्गा ने बताया ,'पंडित जसराज की बेटी होने के कारण मुझे संगीत की ताकत पता है। हमने हालात सामान्य होने तक संगीत के जरिए अपना योगदान देने के लिए यह कोशिश की है। पहले हमने सोचा था कि छोटे स्तर पर रिकार्ड कर इसे सोशल मीडिया पर डालेंगे लेकिन हालात बिगड़ने के बाद अब सारे कलाकार अपने-अपने घर से लाइव कर रहे हैं ।' इस शृंखला में मुनव्वर मासूम (कव्वाली), शशांक सुब्रहमण्यम (बांसुरी, कर्नाटक शास्त्रीय), ओंकार दादरकर (हिंदुस्तानी शास्त्रीय), बरनाली चटोपाध्याय (हिंदुस्तानी शास्त्रीय), सत्येंद्र सिंह सोलंकी और रमेंद्र सिंह सोलंकी (संतूर और तबला), मेहताब अली नियाजी (सितार) समेत कई कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं।

www.readwhere.com

कोरोना मरीज के कारण अस्पताल में हंगामा, संक्रमण फैलने का डर

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 30 मार्च।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना मरीज को लेकर बवाल हो गया। डॉक्टर, नर्स, मरीज सभी डरे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने खूब हंगामा किया गया। काम बंद करने की धमकी भी दी गई, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों ने सभी को समझाकर शांत कराया। दरअसल, जिस मरीज को लेकर बड़ी संख्या में डॉक्टरों व कर्मचारियों को क्वारंटाइन करना पड़ा है उस मरीज की वजह से कितनों को संक्रमण हुआ होगा यह कोई नहीं जानता।

उच्चस्तरीय सूत्रों के मुताबिक मामला इस तरह है कि यह मरीज शनिवार को अस्पताल आया था। इसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। स्क्रिनिंग ओपीडी में दिखाने के बाद इस मरीज को वार्ड नंबर पांच में भेज दिया गया। जहां से नमूने लेने के बाद इस मरीज को ज्यादा तकलीफ होने की वजह से इमरजेंसी वार्ड जाने को कहा गया। इमरजेंसी वार्ड से इसे साधारण दमे का मरीज समझ कर डॉक्टरों ने इस दमे या सांस की दूसरी बीमारियों के लिए बने सारी वार्ड में भेज दिया गया। यहां पर जो डॉक्टर देखने आए उन्होंने इसे रविवार को इसे सामान्य मरीज जान 11 नंबर जनरल वार्ड भेज दिया। इस बीच इस मरीज के जो नमूने लिए गए वह नमूने जांच के लिए बनी प्रयोगशाला में गए। यह ही नहीं इस मरीज को एक्सरे के लिए भी ले जाया गया था जहां आने जाने के बीच भी काफी लोग इसके संपर्क में आए होंगे। जानकारों का कहना है कि इनमें ट्राली वाला कर्मचारी, लिफ्टकर्मी, एक्सरे वाला तकनीशियन व लैब के लोग भी शामिल हो सकते हैं। बाद में जब वार्ड नंबर पांच से भेजे गए नमूने की जांच की गई तो पाया गया कि यह मरीज तो कोरोना का पुष्ट मरीज है।

इसके बाद बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इस मामले के आने के बाद गाज निचले डॉक्टरों पर गिर सकती है। इस बात को लेकर रेजींडेंट डाक्टरों व नर्सों में खासी नाराजगी है। उन्होंने सोमवार को जमकर हंगामा किया। रेजीडेंट डॉक्टरों का कहना है कि सारा दारोमदार निचले डॉक्टरों व कर्मचारियों पर ही रहता है। यहां तक कि वरिष्ठ चिकित्सक मरीज को देखते तक नहीं। इस बड़ी चूक के लिए भी निचलों को ही निशाना बनाया जाएगा। इसलिए विरोध में डॉक्टरों ने काम करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में अस्पताल प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर काम पर वापस बुला लिया और जो सीधे संपर्क में आए थे उन नर्स व डॉक्टरों को आइसोलेशन में भेज दिया। बावजूद इसके कई कर्मचारी डरे हुए हैं नर्सो ने कहा कि हालांकि हमन कोई लक्षण तो नही है फिर भी हम घर नही जा सकते क्योंकि हामरे घर में बुजुर्ग हैं और वे बीमार भी हैं। इस बारे में अस्पताल की अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो उन्होंने ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

छह डॉक्टरों समेत 16 कर्मचारियों को पृथक किया गया

आरएमएल अस्पताल

रामनोहर लोहिया अस्पताल के छह डॉक्टरों और चार नर्सों सहित 14 कर्मचारियों को दो हफ्ते के लिए क्वारंटाइन (एकांत) में भेज दिया गया है। इन कर्मचारियों को पृथक इसलिए किया गया क्योंकि यहां भर्ती संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट बाद में पॉजीटिव आई है। इस रिपोर्ट के आने व एक नर्स में जुकाम के लक्षण आने के बाद पुष्ट मरीजों को यहां से सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन सभी को इनके घरों में ही पृथक रहने को कहा गया है। साथ ही किसी तरह का लक्षण दिखाई देने पर तुंरत अस्पताल को सूचित करने को कहा गया है। इस वक्त अस्पताल में केवल छह संदिग्ध मरीज रह गए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों में कोरोना विषाणु की जांच रिपोर्ट एक बार तो नेगिटिव आई थी लेकिन बाद में इनको कोरोना के लक्षण दिखाई पड़े जिसके बाद फिर जांच की गई तो मामले की पुष्टि हो गई। अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि इन डॉक्टरों की जगह अब दूसरे डॉक्टर व नर्सों की टीम को तैनात किया गया है।

विधायक पर अभद्रता का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए पूर्णबंदी के दौरान सीएम केजरीवाल हर संभव मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ही एक विधायक पर कुछ महिलाओं ने मदद की जगह गाली–गलौज करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली के एक इलाके की महिलाओं ने ये आरोप विधायक पर लगाया है। इलाके में रहने वाली महिलाओं का आरोप है कि जब वो मदद की गुहार लगाने के लिए विधायक के पास गईं तो उन्होंने उन्हें भगा दिया। बंदी की वजह से काम धंधा बंद हो गया है। उनके पास पैसे भी नहीं हैं कि दो वक्त का खाना खा सके। विधायक ने उन्हें फकीर कहा और गाली–गलौज कर भगा दिया, जबकि विधायक ने इस आरोप से नकारते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है वे अपने तया मदद कर रहे हैं।

मोबाइल इंटरनेट का खर्च सरकार देगी

बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए अप्रैल से ऑनलाइन कक्षाएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

दिल्ली में बारहवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई सरकार ऑनलाइन कक्षाओं से करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साझा डिजीटल प्रेसवार्ता में यह घोषणा की।

12वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह में ही शुरू होगी। इसके बाद जल्द ही कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि ऑनलाइन कक्षा के लिए छात्रों को एक ऑनलाइन साइट पर पंजीयन करना होगा। पंजीयन करने वाले छात्रों के डाटा पैक का खर्च

दिल्ली सरकार का फैसला

भी दिल्ली सरकार उठाएगी। कक्षा 8 व 10 के छात्रों के लिए सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। सरकार की योजना है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता की जाए। उन्होंने बताया कि नर्सरी से आठवीं तक के छात्र अब शिक्षा के अधिकार की नीति के तहत अगली कक्षा में भेजे जाएंगे।

रोजाना के काम को करेंगे नोट

अब बच्चे अभिभावक और शिक्षकों के साथ तकनीक की मदद से नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों को एसएमएस व आइवीआर के जरिए रोजाना एक गतिविधि भेजेंगे। भेजे गए काम या गतिविधि को बच्चे अपने भाई – बहन की मदद से पूरा कर सकेंगे। इसकी एक कॉपी अपनी नोटबुक में भी रखेंगे। जब स्कूल खुलेंगे तो शिक्षक को दिखाएंगे। प्रोजेक्ट करने वाले बच्चों को इसका नंबर लाभ दिया जाएगा।

कक्षा 12वीं में जाने वाले बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के टीचर द्वारा रोजाना दो विषयों की ऑनलाइन कक्षा दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर टीवी चैनल के माध्यम से भी हर जाने के लिए अलग कक्षा शुरू कर सकते हैं। सरकार कक्षा 9वीं और 11वीं क्लास के लिए सीबीएसई से बात कर–के योजना तैयार करेंगे।

मदद आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा लोगों को भोजन बांटते हुए।

पांच सितारा होटल में ठहराए जाएंगे डॉक्टर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

कोरोना विषाणु संक्रमण को रोकने लगातार सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को दिल्ली सरकार ने पांच सितारा होटल में ठहराने की व्यवस्था की है। सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह आदेश जारी किया। सरकार होटल में लोक नायक अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर को ठहराएंगे। इसके लिए पांच सितारा होटल ललित में 100 कमरों का इंतजाम किया गया है। हालांकि आदेश में सिर्फ डॉक्टरों की व्यवस्था के बारे में ही बताया गया है। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के बाद से ही ये लोग दिनरात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इन अस्पतालों के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी ट्वीट से दी।

अरविंद केजरीवाल का राशन डीलरों को चेतावनी, कहा

ईमानदारी से राशन नहीं दिया तो जेल की चक्की पिसोगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च ।

गरीब परिवारों को राशन देने में गड़बड़ी करने वाले दुकानों को सोमवार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी चेतावनी दी है। केजरीवाल ने कहा कि राशन के दुकानदार ईमानदारी से राशन दें। कुछ भी गलत किया तो, जेल में चक्की पीसोगे। गलत करने वालों को ऐसी सजा दिलवाएंगे कि उनकी रूह कांप जाएगी। अरविंद केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया डिजिटल प्रेसवार्ता को संबोधित कर रह थे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह ईमानदारी दिखाने का मौका है। कोई गड़बड़ करी तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। जनकपुरी के अंदर एक राशन वाला है, जिसके पास पूरा राशन आया था लेकिन वह राशन उसने 24 घंटे में सारा राशन बाहर भेज दिया। अब दुकान बंद करके भाग गया है। दिल्ली सरकार ने गृह सचिव को संबंधित दुकानदार की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। कल एक राशन का ट्रक भी दूसरे मार्ग पर चला गया था। उसकी भी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश मुसीबत से गुजर रहा है, तो ये लोग जनता के राशन को खाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भी सुनने में आ रहा है कि जिनके पास राशन कार्ड है, केवल उनको राशन मिल रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वह लोग यह कह रहे हैं कि हमको भी राशन दिलवाया जाए। दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही है। जल्द ही ऐसे परिवारों को भी राशन मिलेगा। जब तक

दिल्ली सरकार के विभिन्न केंद्र पर जाकर खाने की सुविधा लें।

आनंद विहार में हालात सुधरे

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आंनद विहार व कौशांबी में पिछले दो दिनों से स्थिति काबू में आ गई है। अब सख्ती की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के सड़क पर निकलने का सिलसिला बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि आप अपने घर में रहो घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा खुशी की बात है कि लोग अब अफवाहों की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं।

भीड़ से बचने के हर ठोस कदम उठाए : उपराज्यपाल

दिल्ली को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भीड़ की स्थिति से बचने के लिए आदेश जारी किए है। उपराज्यपाल ने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। उपराज्यपाल ने सभी इंतजाम की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व उपायुक्त वीडियो कांफ्रेस से इस बैठक में सभी अधिकारियों से रपट ली। सभी विभागों को कहा गया है कि जरूरी श्रेणी के की सेवाओं को ही मार्ग पर उतरने की अनुमति दी जाए।

डीटीसी बसों में लोगों को बैठाया तो होगी कार्रवाई

दिल्ली से पलायन कर रहे लोगों पर मेहरबानी दिखाना दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बस चालकों और परिचालकों को महंगा पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि किसी भी बस में यदि ये यात्री मिलते हैं, तो उन पर नियमों के उल्लंघन के तहत आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी । हाल ही में दिल्ली, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के राज्यों से गुजर रहे इन लोगों को बस में बैठाकर बार्डर तक पहुंचाने के मामले सामने आए थे। बंद के बावजूद हजारों दिहाड़ी मजदूर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। ये आदेश दिल्ली सरकार की अधिकारी गरिमा गुप्ता ने जारी किया है।

11 स्कूलों को भी रैन बसेरों में बदला गया

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अभी तक गाजीपुर और आनंद विहार के 11 सरकारी स्कूलों को रैन बसेरों में बदल दिया है। इन जगहों पर जरूरतमंद लोगों के रहने की सारी व्यवस्था और भोजन का प्रबंध किया है। पूर्णबंदी के बाद दिल्ली को छोड़कर जा रहे लोगों के लिए आश्रय प्रदान करने और भोजन देने के उद्देश्य के साथ दिल्ली सरकार ने 11 स्कूलों को रैन बसेरों में तब्दील कर दिया है।

कॉलोनियों में बिकने आ रही सब्जियां महंगी

घर का बिगड़ा बजट तो मंडी पहुंचे लोग

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 30 मार्च।

कोरोना संक्रमण के खतरे से घर में बंद महिलाओं को बिगड़ते बजट की चिंता है। ये चिंता ही महिलाओं को घरों से बाहर लेकर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग मंडी पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं।

पूर्वी दिल्ली की शाहदरा मंडी में सोमवार सुबह ऐसे ही हालात नजर आए। भीड़ के बीच लोग एक–दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन यह दूरी तय मानक के हिसाब से बहुत की कम दिखी। घर पर आते–आते मंहगी हो रही है सब्जी मंडी में सब्जी लेने सीमापुरी से पहुंची सविता गुप्ता ने बताया कि स्थानीय बाजार में सब्जियों के दामों में कम से कम 10 से 20 प्रतिकिलो ग्राम का अंतर है। इन पर ही रेहड़ी वाले मनमाना पैसा वसूलकर रहे हैं। घर में रहने से संक्रमण तो रुकेगा लेकिन बजट बिगड़ रहा है। मंडी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि बंद के बाद से सब्जी की आवक पर असर है। सुबह 8 बजे के बाद और शाम में एकाएक लोगों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अप्रैल से सामान में कुछ कमी की जानकारी मिल रही है। इसका असर दामों पर दिखेगा।

राशन दुकानों पर कुछ इस तरह दिखी लाइन और सब्जी मंडी में खरीदारी करते लोग।

एम्स ट्रॉमा सेंटर कोरोना अस्पताल में तब्दील

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर को कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया गया है। इस अस्पताल के सभी मरीजों को एम्स के मुख्य परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा एम्स के झज्जर स्थित कैंसर सेंटर में भी मरीजों को रखा गया है।

एम्स मीडिया प्रभारी बीएन आचार्य ने बताया कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह से कोरोना मरीजों के लिए ही तैयार किया गया है। इसमें मौजूद सभी ट्रॉमा मरीजों को एम्स के मुख्य परिसर में स्थानांतरित कर लिया गया है। कुल करीब डेढ़ सौ से अधिक मरीज यहां से मुख्य परिसर में स्थानांतरित किए गए। एम्स ट्रॉमा सेंटर के मुखिया डॉ राजेश मलहोत्रा ने बताया कि करीब 240 बिस्तरों की क्षमता है। अभी ढाई सौ बिस्तरों का इंतजाम किया गया है जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। यहां स्थित सभी आइसीयू का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

एम्स के राष्ट्रीय कैंसर सेंटर में भी मरीजों को रखने का इंतजाम किया गया है। इस सेंटर पर कुल 200 बिस्तरों का इंतजाम है इसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल के डॉ आरएन वर्मा ने बताया कि आठ सौ बिस्तरों वाले सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक को पूरी तरह से कोरोना के लिए इस्तेमाल कया जा सकेगा।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
निविदा आमंत्रण सूचना
कार्यपालक अभियंता (ई), मध्य क्षेत्र, एम सी प्राईमरी स्कूल, सी–ब्लॉक, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–24 आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से दि.न.नि. की उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न कार्य हेतु ई–निविदाएं आमंत्रित करते हैं:
एनआईटी नं.–ईई/इलेक्ट्रिकल/सीएनजेड/टीसी/2019–20/33 दिनांक 30/03/2020, मद सं. 01
कार्य का नामः मध्य क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नं.–101–एस सरिता विहार में विभिन्न पार्कों में प्रकाश की व्यवस्था हेतु अक्टागोनल पोल्स (फिटिंग सहित) का प्रावधान। निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER से डाउनलोड किये जा सकते हैं। अन्य विवरण/जानकारी वेबसाइट www.mcdonline.gov.in एवं www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER पर देखे जा सकते हैं।
Ro No. 180/DPI/S/2019-20 कार्यपालक अभियंता (ई), मध्य क्षेत्र

फिलहाल नहीं गूंजेगी शादी की शहनाई

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

धूमधाम से शादी करने का इरादा रखने वाले अनेक लोगों के ख्वाब अधूरे रह गए हैं। देश में कोरोना विषाणु के चलते पूर्णबंदी की घोषणा के कारण इस अवधि में बहुत से लोगों को अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी है तो कुछ व्यक्ति चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में सात फेरे लेने का विचार कर रहे हैं।

दिल्ली के 26 वर्षीय हर्षद खुराना आठ अप्रैल को शादी करने वाले थे लेकिन अब उन्हें सूझ नहीं रहा कि क्या करें। शादी की सब तैयारी हो गई थी और कुछ दिन पहले शादी का कार्ड बांटने के बाद सूट भी सिलवा लिया था। दरअसल, कोरोना का कहर बढ़ने और 24 मार्च से पूर्णबंदी की घोषणा के बाद शादी को यादगार बनाने की उनकी उम्मीदों को झटका लग गया। पेशे से जनसंपर्क का काम करने वाले खुराना ने कहा, 'किसने ऐसा सोचा था? कुछ बचा ही नहीं है। बस उम्मीद है कि चीजें जल्द सामान्य होंगी। कम से कम परिवार के लोग इकट्ठा हो जाएं, यही बड़ी बात होगी।'

खुराना अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिनके घरों में पिछले कई महीनों से शादी की तैयारियां चल रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। विपुल वर्मा (38) की शादी आगामी 12 अप्रैल को तय थी। लेकिन उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके भाई शादी के लिए आस्ट्रेलिया से आने वाले थे लेकिन अब पाबंदी के कारण नहीं आ पाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपनी शादी टाल दी है।

हालात से समझौता करते हुए प्रिया मलिक ने अप्रैल में शादी करने की बजाय अब इसे नवंबर–दिसंबर में करने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें विवाह की कोई 'शुभ तारीख' नहीं मिल रही। केपीएमजी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शादी संबंधी कारोबार लगभग 50 अरब डॉलर का है। कोरोना के कारण पैदा हालात का असर इस पर भी पड़ने वाला है। शादी के लिए कोई भी परिवार चाहे गरीब हो या अमीर पूरे जतन से पैसे जमा करता है और इस पर लाखों रुपए खर्च करता है।

दिल्ली के मायापुरी में गोल्डन गेट्स बैंक्वेट के प्रबंधक अनमोल बुम्मी ने कहा कि कोरोना विषाणु के कारण कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। उनके पास शादी रद्द करने या तारीख बढ़ाने की कई कॉल आई हैं। अप्रैल के लिए उनके पास हर दिन कई बुकिंग थीं लेकिन अब बड़ा सवाल है कि शादी होगी या नहीं। कई वैवाहिक समारोह आयोजिक और खानपान व्यवस्था संभालने वाली इकाइयों का कहना है कि कारोबार को उबरने में लंबा समय लग जाएगा।

50 अरब डॉलर का है भारत में शादी से जुड़ा कारोबार
अनेक लोग ऐसे हैं जिनके घरों में पिछले कई महीनों से शादी की तैयारियां चल रही थीं।

कोरोना के कारण

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank
एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड–380009
शाखा कार्यालयः 19, पंचकुइयां नगर, भारत नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110001

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सुविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर–प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय–वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है। ऋणधारकों एवं सह–ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

1. **ऋणधारक एवं सह–ऋणधारकों का नामः** विजय एण्टरप्राईजेज, 877–205, अशोका प्लेस, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005 विजय कुमार पाल एवं मालती साहु, 877–205, अशोका प्लेस, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, साथ हीः 2398, सेक्टर–7 ए, भू तल एवं 1ला तल, अर्वण इस्टेट, तहसील बल्लभगढ़, हरियाणा 121005; साथ हीः 2397, 3रा तल, सेक्टर–7ए, चौक, फरीदाबाद, एनआईटी 121006, हरियाणा, साथ हीः मकान सं. 11/23, सेक्टर–3, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ऋण खाता सं.: 5017937, ऋण राशिः रु. 5,000,000.00 (रुपये पाँच लाख मात्र) मांग सूचना तिथिः 11.03.2020, मांग की गई राशिः रु. 5646202.38 (रुपये छप्पन लाख छियालिस हजार दो सौ दो एवं पैसे अड़तीस मात्र) 11 मार्च, 2020 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तथा अनुबंधित आगे का ब्याज, एनपीए तिथिः 3.10.2019, प्रतिभूतियों का विवरणः 2398, सेक्टर–7–ए में सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा अर्थात् भू तल (माप 30 वर्ग यार्ड्स) एवं प्रथम तल पर एक दुकान, बिना छत के अधिकार के (माप 90.90 वर्ग यार्ड्स), अर्वण इस्टेट, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121005

अतएव, आप ऋणधारकों तथा को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे।
(ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)
कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: श्री हरदीप समरवाल, फोनः 9654965496 अथवा श्री विकास आनंद, फोनः 9711010384

स्थानः मुम्बई तिथिः 30.3.2020 हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	30.0 डि.से.	30.0 डि.से.	30.0 डि.से.	30.5 डि.से.
न्यूनतम	15.6 डि.से.	15.6 डि.से.	15.4 डि.से.	15.6 डि.से.

गौतम बुद्ध नगर में 37 लोग कोरोना विषाणु से संक्रमित

अग्निशमन उपकरण बनाने वाली कंपनी से जुड़े पांच और लोग चपेट में

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 मार्च।

जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा के डेढ़ साल के बच्चे में भी कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। तीन दिन पूर्व बच्चे के पिता को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद बच्चे के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए थे। वहीं, दादरी के अच्छेजा स्थित महक रेजीडेंसी में भी तीन और लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी का क्वारंटाइन में रखकर इलाज किया जा रहा है।

इसके अलावा घोड़ी बछेड़ा गांव में भी एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी लोगों की बीमारी का इतिहास अग्निशमन उपकरण बनाने वाली कंपनी से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के ओमीक्रॉन सेक्टर में रहने वाले एक व्यक्ति को तीन दिन पूर्व कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वह नोएडा सेक्टर-135 की सीज फायर कंपनी के कर्मचारी हैं और कंपनी में लंदन से आए ऑडिटर जॉन के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ था। ग्रेटर नोएडा के ओमीक्रॉन में रहने वाले इस कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सेक्टर को सील कर दिया गया था और उनके परिवार के अन्य लोगों के भी नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। संदिग्ध में उनका बच्चा भी था। बच्चे की जांच रिपोर्ट में बच्चे को कोरोना विषाणु की पुष्टि हुई है। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है। इसी तरह दो दिन पूर्व दादरी क्षेत्र के अच्छेजा स्थित महक रेजीडेंसी में भी दो लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई थी।

वह दोनों लोग भी नोएडा की इसी सीज फायर कंपनी के कर्मचारी हैं। उनके परिवार के भी तीन अन्य लोगों में सोमवार को कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि सभी को क्वारंटाइन में रखकर इलाज किया जा रहा है। घोड़ी बछेड़ा के संक्रमित व्यक्ति को भी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

कंपनी की गलती से बढ़ा जोखिम

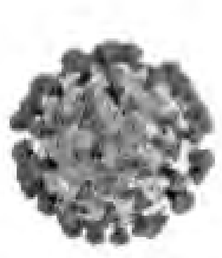

कंपनी सीज फायर के प्रबंधन की एक गलती ने गौतम बुद्ध नगर में कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। कंपनी में विदेशी ऑडिटर के संपर्क में आए लोगों में कोविड-19 की लगातार पुष्टि हो रही है। जिससे स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर सोमवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाराज थे। बहरहाल जॉन के संपर्क में आए और उसकी पूरी चेन को खोजने का काम जारी है। अब तक ऑडिटर की चपेट में आने से करीब 19 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस संख्या के बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।

किसी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं : योगी

नोएडा दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को एक अस्पताल का निरीक्षण करते हुए।

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 30 मार्च।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्राधिकरण के अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शारदा अस्पताल पहुंचे जहां पर आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति से जनपद गौतम बुध नगर अत्यंत संवेदनशील जनपद है और यहां पर विदेशों से आने वाले अधिक संख्या में नागरिक प्रवास करते हैं।

जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए व्यवस्थाओं में मानकों के अनुरूप तैयारी ने होने पर नाराजगी भी प्रकट की और अधिकारियों को अधिक संवेदनशील होकर कार्य करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड नियंत्रण कक्ष मानकों के अनुसार संचालित किया जाए ताकि कोरोना वायरस से संबंधित समस्त व्यक्तियों का ब्योरा मानकों के अनुसार तैयार हो सके और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी व्यक्ति को जनपद से बाहर नहीं जाने दिया जाए और जो जहां है वहीं पर उसके रहने और खाने की व्यवस्था आगे 14 अप्रैल तक की जाएगी।

जिला प्रशासन एवं प्राधिकरण के अधिकारियों को स्थाई रैन बसेरे बनाए जाने के निर्देश भी दिए। कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए सेवानिवृत्त स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व पूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने के लिए एक सूची तैयार कर उनका भी सहयोग लिया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रजनीश दुबे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नरेंद्र भूषण, पुलिस आयुक्त आलोक सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा ऋतु माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना प्राधिकरण अरुण वीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह तथा अन्य संबंधित अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे।

मजबूरी पलायन करने वाले लोग रेलवे ट्रैक से गुजरते हुए।

सफाईकर्मियों ने दी काम न करने की धमकी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली में सफाई व्यवस्था को देखते हुए एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आरबी उंटवाल ने कहा कि संक्रमण के खतरे के बीच मास्क और दस्ताने उपलब्ध नहीं कराए जाने से कर्मचारियों ने काम करने से इनकार कर दिया है। यूनियन के नेताओं ने निगम अधिकारियों को भी आगाह कर दिया है।

ऊंटवाल का कहना है कि पूर्वी दिल्ली निगम क्षेत्र के कई इलाकों से कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद भी सफाई कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा उपाय के काम करना पड़ रहा है। ऊंटवाल ने कहा कि जब तकमास्क और दस्ताने उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा।

वेतन को लेकर उपराज्यपाल से महापौर की गुहार

उत्तरी नगर निगम कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इसी बाबत निगम के मेयर अवतार सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखा है। महामारी में भी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि निगम कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से यानी कि जनवरी से वेतन नहीं मिला है. जिसको लेकर अब दिल्ली के मेयर अवतार सिंह ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। सिंह ने उपराज्यपाल से अपील की है कि वह तुरंत प्रभाव से दिल्ली सरकार को निर्देश दें कि वह निगम के फंड का पैसा जारी करें, ताकि निगम अपने सभी कर्मचारियों को वेतन दे सकें। बंदी में निगम कर्मचारियों को वेतन की आवश्यकता है।

नवरात्र पर भी नहीं हुई फूलों की आपूर्ति, किसान मायूस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

नवरात्र के दौरान फूलों की आपूर्ति बंद होने से फूलों की खेती बर्बाद हो रही है। आपूर्ति नहीं होने की वजह से किसान इन फूलों की तुड़ाई नहीं करना चाहते हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर में स्थित मकीमपुर गांव और छतरपुर और फतेहपुर बेरी मंडी में किसान फूलों का कारोबार ठप होने से निराश हैं। पूर्णबंदी के दौरान यहां गुलाब का लाल रंग फीका पड़ गया है, वहीं गेंदे के फूल मुरझा गए हैं। क्योंकि नवरात्र के दौरान फूलों की आपूर्ति बंद है। फूलों की खेती बर्बाद हो रही है।

खेत से जिन फूलों को काट लिया गया था, वो फूल किसान के घर में ही सड़ रहे हैं। आने वाले शादी के मौसम के लिए भी किसानों और फूल कारोबारियों के तमाम सपने थे, वे सपने इन फूलों के साथ मुरझा चुके हैं। इन किसानों को अब सरकार से उम्मीद है कि कोई राहत मिल जाए, तो रोजी रोटी का संकट दूर हो पाएगा।

दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर सुरक्षा बल तैनात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

दिल्ली में पूर्णबंदी को बरकरार रखने के लिए दिल्ली-हरियाणा सीमा पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पूर्णबंदी लगने के बाद भी लोगों का बेवजह घरों से बाहर निकलना जारी है इसलिए पुलिस के साथ बीएसएफ जवान भी दिल्ली-गुरुग्राम सीमा तैनात किए गए हैं।

इसके साथ ही यहां ट्रैफिक पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है, जो बिना काम बाहर निकले वाहन चालकों का चालान काटेंगे और वाहन जब्त करेंगे। बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसके बाद केवल इक्की-दुक्की गाड़ियां से यहां से गुजर रही हैं और उन गाड़ियों को भी पुलिस पूरे परमिट और जरूरी कागजात दिखाने के बाद ही आगे जाने दे रही है।

पुलिस ने अब तक 40 हजार कर्फ्यू पास जारी किए

कोरोना विषाणु के मद्देनजर दिल्ली में पूर्णबंदी और धारा 144 लगाने के बाद पलायन को देखते हुए दिल्ली पुलिस सक्रिय दिख रही है। पुलिस ने अभी तक करीब एक हजार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस की धारा 65 के तहत करीब 25 हजार लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कर्फ्यू पास जारी होने की तिथि से अभी तक करीब 40 हजार लोगों को पास जारी किया है। दिल्ली पुलिस के पास 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर पर अभी तक 10 हजार लोगों ने सूचनाएं दी है, जिसमें सात सौ लोग की सूचनाएं दिल्ली से बाहर के लोगों की है। इन सूचनाओं में खाना देने, पैसे की व्यवस्था करने, कोरोना के रोगियों की जांच करने और कर्फ्यू पास जारी करने की सूचनाएं शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी तक करीब डेढ़ लाख लोगों के बीच खाना पहुंचाने, दवाइयों का वितरण, मास्क, सेनेटाइजर देने सहित अन्य जनोपयोगी कार्य किए हैं।

ड्रोन से निगरानी

पूर्णबंदी पर निजामुद्दीन इलाके में लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। उधर जिले के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए कहा है कि वह कानून का पालन करें और जरूरत पड़ने पर पुलिस की सेवा ले।

आरडब्लूए के साथ मिलकर भोजन बांटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

छावला इलाके में पूर्णबंदी के बाद से पुलिस इलाके में घूम-घूम कर जरूरतमंद गरीब परिवारों और मजदूरों को खाना पहुंचाने का काम कर रही है। पुलिस टीम ने आरडब्लूए के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को 100 पैकेट चावल बांटे, जबकि छावला एसएचओ द्वारा दुर्गा विहार फेज 2 में चावल के 200 पैकेट बांटे गए। पुलिस आरडब्लूए सदस्यों से जानकारी ले रही है और उसी जरूरत के हिसाब से खाने के पैकेट उपलब्ध करवाए।

महिलाएं इलाज के लिए भटकती रहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली एक महिला सोमवार सुबह से ही अपने बेटे का इलाज कराने के लिए दर-दर भटक रही है। महिला का कहना है कि नवरात्र का व्रत है और सुबह से कुछ नहीं खाया है।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए देश को अगले 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है वहीं इस दौरान दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली एक महिला सुबह से ही अपने बेटे का इलाज कराने के लिए दर-दर भटक रही है। महिला का कहना है कि पुलिस को सहायता के लिए सुबह से फोन किया, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिली है।

कालकाजी इलाके में दो घरों को निगरानी में रखा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

दिल्ली पुलिस की तरफ से कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को देखते हुए कालकाजी में दो घरों को क्वारंटाइन करते हुए निगरानी में रखा गया है। 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक इस घर के सदस्य घर में ही रहेंगे ना तो किसी को बाहर आने की अनुमति है और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सकता है।

देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी एक्सटेंशन इलाके में भी 2 घरों को क्वारंटाइन किया गया है। जिसके बाद घर से ना तो किसी को बाहर निकलने की अनुमति है और ना ही घर के अंदर आने की। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को देखते हुए यह किया गया है।

दोनों घरों में एक-एक व्यक्ति मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से घर के गेट पर एक पोस्टर लगा दिया गया है और ये जानकारी दी गई है कि ये घर निगरानी में है और इसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं है और ना ही कोई इससे बाहर आ सकता है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इन घरों की निगरानी कर रही है।

कहीं जरूरत से ज्यादा राशन तो कहीं पहुंचा ही नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 मार्च।

पूर्णबंदी के बीच नोएडा पुलिस लोगों की हरसंभव मदद कर रही है। जरूरत का सामान, राशन से लेकर दवाई तक मुहैया करा रही है। लेकिन अब लोग राशन होने के बाद भी डायल 112 पर फोन कर राशन मांग रहे हैं। जब पुलिस राशन लेकर पहुंच रही है तो वहां पहले से काफी राशन रखा मिल रहा है। कुछ जगह 15 लोगों के लिए सिर्फ दो किलो आटा ही पहुंच पा रहा है।

ताजा मामला सर्फाबाद गांव का है। यहां पर करीब 15 लोग किराए पर झुग्गियों में रहते हैं। रविवार को इन लोगों ने राशन के लिए कई बार डायल 112 पर फोन किया।

डायल 112 पर फोन कर राशन मांग रहे हैं लोग लोगों का कहना है कि पुलिस थोड़ा राशन लेकर आ रही है

इनके पास पुलिस रात को दो किलो आटा और दूसरी चीजें लेकर पहुंचे जो 15 लोगों के लिए एक समय का भी खाना नहीं था। लोगों की शिकायत है कि पुलिस फोन करने पर थोड़ा सा राशन लेकर पहुंची थी।

वहीं, दूसरी तरफ सोहरखा गांव में सोमवार कुछ लोगों डायल 112 पर फोन किया। लोगों ने बताया कि उनके घर में राशन खत्म हो गया है। खाने-पीने को कुछ नहीं बचा है। इस पर पुलिस थोड़ा राशन लेकर उनके पास पहुंची। पुलिसकर्मियों ने देखा कि कुछ लोगों के घरो में आटे के कट्टे, चावल, चीनी समेत काफी राशन मौजूद है। इसके बावजूद राशन की मांग कर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने इन लोगों को दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

डीसीपी संकल्प शर्मा का कहना है पुलिस पूर्णबंदी के बीच लोगों की मदद कर रही है। डायल 112 पर अब राशन के लिए काफी फोन आ रहे हैं।

कुछ लोगों के घरों में राशन मौजूद है, इसके बावजूद फोन कर राशन की मांग कर रहे हैं। इसकी वजह से सही लोगों के पास मदद पहुंचने में देरी हो रही है। लोगों से अपील की है कि संकट के समय इस तरह के कृत्य ना करें।

राहत : मोबाइल ऐप के जरिए मंगा सकेंगे सामान

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 मार्च।

शहरवासी अब घर पर ही मोबाएल ऐप के जरिए बुकिंग कर घर पर सामान मंगा सकेंगे। इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। मंगलवार से इस ऐप के जरिए सामान मंगाया जा सकेगा। प्ले स्टोर के जरिए कॉल 4 डिलीवरी नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि रविवार को प्राधिकरण ने शहर में आपूर्ति सुविधा सेवा शुरू की थी। इसके तहत राशन का सामान, दवाइयां, सब्जी आदि सामान मंगाने के लिए लोगों को 8860032939 फोन नंबर मिलाना होगा। दैनिक जरूरतों के लिए 1 चुनें, दवाओं के लिए 2, सब्जियों के लिए 3 और किसी अन्य जरूरत के लिए 9 नंबर का विकल्प चुनना होगा।

इसके बाद अपना सेक्टर नंबर डालना होगा। इसके बाद फोन संबंधित सेक्टर के एक आपूर्तिकर्ता से जुड़ जाएगा। आपूर्ति कर्ता को अपनी जरूरत का सामान बता देंगे और वह उस सामान को आपके घर भिजवाएगा। इस सुविधा को जल्द ही शहर के ग्रामीण इलाकों में भी शुरू करने की तैयारी है। अब इसी क्रम में मोबाइल एप तैयार किया गया है। कॉल 4 डिलीवरी ऐप मंगलवार से काम करना शुरू कर देगा। अब संबंधित नंबर के अलावा ऐप के जरिए भी लोग जरूरत के हिसाब से सामान की बुकिंग करा सकेंगे।

बैंकों को उपलब्ध कराई 11853 श्रमिकों की जानकारी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 मार्च।

कोरोना की वजह से श्रमिकों व दिहाड़ी के मजदूरों को परेशानी ना हो इसके लिए शासनादेश के तहत इनके खातों में एक हजार रुपए डाले जाएंगे। जनपद में अब तक 11 हजार 853 श्रमिकों के खाते में पैसा हस्तांतरित करने के लिए आंकड़ा बैंकों को उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं, जिन पंजीकृत श्रमिकों का ब्यौरा अब तक नहीं मिल सका है वह वाट्सऐप नंबर 9813159966, 9891071863, 9312979772 व 9910274925 पर पंजीकृत श्रमिक बीओसीडब्लू पंजीकृत संख्या, बैंक खाता नंबर व आइएफएससी कोड डालकर भेज सकते है। ताकि उनके खाते में सहायता राशि भेजी जा सके।

कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नोएडा में प्रशासन सख्त

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 मार्च।

कोरोना विषाणु से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते पुलिस-प्रशासन ने रविवार शाम चार बजे के बाद पूरे जनपद में पूर्णबंदी को लेकर सख्ती दिखाई। सख्ती के असर ऐसा हुआ कि लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पुलिस जनपद के हर इलाके में मुनादी कर लोगों को घरों से बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दे रही है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने आदेश दिया है कि अब सख्ती से पूर्णबंदी का पालन कराया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को घर में रखने के लिए नया तरीका अपनाया है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने बेरिकेट लगाकर कर्फ्यू लगा दिया है। पूरे जनपद में इसी तरह सभी पुलिस चौकी इलाकों में यही तरीका अपनाया है। अब लोग पुलिस की सख्ती को देखते हुए बाहर निकलने से भी डर रहे हैं।

झुग्गी वाले शाम को निकल रहे हैं

एक पुलिसकर्मी ने बताया कि झुग्गी शाम चार बजते ही घरों से बाहर निकल जाते हैं। समझाने के बावजूद नहीं मानते हैं। सेक्टर 5,7,8,74, सलारपुर, भंगेल और अन्य इलाकों में एक बड़ी संख्या में लोग झुग्गी में रहते हैं।

www.readwhere.com

ईरान से लौटे सात लोग कोरोना से संक्रमित

अभी हाल ही में 277 लोगों का जत्था जोधपुर पहुंचा था

जयपुर, 30 मार्च (भाषा)।

ईरान से हाल ही में भारत लौटने के बाद दो जत्थों में जोधपुर लाए गए 277 लोगों में से सात को कोरोना विषाणु का संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में सोमवार को तीन लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना विषाणु के संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 62 पहुंच गई है।

सोमवार को राजधानी जयपुर में ओमान से लौटे एक व्यक्ति के विषाणु संक्रमित पाए जाने के बाद उसकी मां और पुत्र में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं तीसरा संक्रमित व्यक्ति भीलवाडा का है। उसे उसी निजी अस्पताल में ले जाया गया था जहां शुरू में एक चिकित्सक और कुछ नर्स संक्रमित पाए गए थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में दो जत्थों में जोधपुर आए लोगों में से सात लोग सोमवार को कोरोना विषाणु संक्रमित पाए गए है। उन्होंने बताया कि ईरान से लौटे लोगों के अलावा तीन लोग राजस्थान में संक्रमित पाए गए हैं जिससे संक्रमित लोगों की संख्या राज्य में अब तक 62 पहुंच गई है। 22 मार्च से राज्य में पूर्णबंदी जारी है और राज्य में संक्रमित लोगों के लिए सर्वे और जांच का काम व्यापक स्तर पर चल रहा है। कोरोना विषाणु प्रभावित ईरान से लाए गए 277 लोगों का समूह बुधवार को तड़के जोधपुर हवाईअड्डा पहुंचा था। ईरान से लाए गए 277 लोगों में से 273 तीर्थयात्रियों को जोधपुर हवाई अड्डे पर प्रारंभिक जांच के बाद जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर सेना द्वारा स्थापित वेलनेस फैसिलिटी सेंटर में ले जाया गया था।

गुजरात में कोरोना के छह नए मामले

अमदाबाद, 30 मार्च (भाषा)।

गुजरात में कोरोना विषाणु के छह नए मामले सामने आए हैं और राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 69 तक पहुंच गई है। मुख्य स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने बताया कि नए मामलों में पांच भावनगर और एक अमदाबाद से है। भावनगर के पांच नए मामलों में से 45 साल की एक महिला की मौत रविवार रात अस्पताल में हो गई। इसके बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या छह तक पहुंच गई है। नए मरीजों में 36 वर्षीय एक महिला भी शामिल हैं जो हाल ही में अमेरिका से लौटी थीं। भावनगर में अन्य चार मरीज पुरुष हैं और सभी स्थानीय संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं।

मध्य प्रदेश : आठ और मरीजों में कोरोना की पुष्टि

इंदौर, 30 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश के इंदौर में 41 वर्षीय पुरुष के सोमवार तड़के दम तोड़ने के बाद राज्य में कोरोना विषाणु से संक्रमित मरीजों की मौत की तादाद बढ़कर चार हो गई है। इस बीच, राज्य में आठ और मरीजों में कोरोना विषाणु संक्रमण की सोमवार सुबह पुष्टि की गई। इसके साथ ही, सूबे में इस संक्रमण की जद में आए लोगों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। राज्य में अब तक मिली जांच रिपोर्टों के मुताबिक कोरोना से संक्रमित लोगों में इंदौर के 27, जबलपुर के आठ, उज्जैन के पांच, भोपाल के तीन और शिवपुरी एवं ग्वालियर के दो-दो मरीज शामिल हैं। इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है।

कश्मीर में चार और जम्मू में सात नए मामले

श्रीनगर, 30 मार्च (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में सोमवार को और सात लोगों के कोरोना विषाणु से संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ ही इस केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 45 हो गए। एक अधिकारी ने कहा, कश्मीर में चार और मामले सामने आए हैं जबकि जम्मू संभाग में तीन और लोग कोरोना विषाणु की जांच में पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि कश्मीर में जो चार लोग कोरोना विषाणु की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से दो शोपियां के रहने वाले हैं जबकि दो अन्य श्रीनगर जिले के निवासी हैं। अधिकारी ने कहा, इन लोगों के संपर्क में जो भी लोग आए उन्हें ढूढने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

वाहन विनिर्माताओं से वेंटिलेटर बनाने को कहा गया : स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

केंद्र सरकार ने कोरोना विषाणु के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं से अपनी फैक्टरियों में वेंटिलेटर का उत्पादन करने के लिए कहा है।

सरकार ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) अगले हफ्ते से प्रति दिन 20,000 एन-95 मास्क बनाना शुरू कर देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश के विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के लिए 14,000 से अधिक मौजूदा वेंटिलेटर अलग रखे गए हैं, जबकि भंडार में 11.5 लाख एन-95 मास्क हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले दो दिनों के दौरान पांच लाख मास्क वितरित किए गए और सोमवार को 1.40 लाख मास्क बांटे जाएंगे।

मंत्रालय ने बताया कि 3.34 लाख निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) वाले रक्षात्मक सूट देश के अस्पतालों में उपलब्ध हैं और चार अप्रैल तक दान में मिले तीन लाख ऐसे रक्षात्मक सूट विदेश से आ जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, 'ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं से वेंटिलेटर बनाने को कहा गया और वे इस दिशा में काम कर रहे हैं।'

इसी के साथ मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटिड (बीईएल) को स्थानीय विनिर्माताओं के साथ मिलकर अगले दो महीने में 30,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में बताया कि मंत्रालय ने नोएडा की निजी क्षेत्र की 'अगवा हेल्थकेयर' को एक महीने के अंदर 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर दिया है। उनकी आपूर्ति अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है। दो घरेलू निर्माता प्रतिदिन 50,000 एन-95 मास्क का उत्पादन कर रहे हैं। इनके अगले सप्ताह के भीतर यह उत्पादन एक लाख प्रति दिन तक जाने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पीपीई रक्षात्मक सूट के 11 घरेलू उत्पादक अब तक मापदंडों पर खरे उतरे हैं और उन्हें 21 लाख ऐसे सूट बनाने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। वे प्रति दिन 6-7 हजार सूट की आपूर्ति कर रहे हैं और उम्मीद है कि अप्रैल मध्य तक यह 15,000 सूट प्रतिदिन पहुंच जाएगा। रेड क्रॉस ने 10,000 पीपीई रक्षात्मक सूट दान दिए हैं। ये प्राप्त हो गए हैं तथा सोमवार को वितरित किए जाएंगे।

मरीज के संपर्क में आए 36 स्वास्थ्यकर्मी

पेज 1 का बाकी

डॉक्टर्स के अध्यक्ष उत्तम ठाकुर का कहना है, 'इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है और वहां हर कोई सन्न है क्योंकि मरीज को स्क्रीनिंग वार्ड-22 में शिफ्ट करने से पूर्व कई रेजीडेंट डॉक्टर उसके सीधे संपर्क में रहे।' हालांकि, अधिकतर अस्पताल स्टाफ को कुछ निजी संक्रमण रोधी उपकरणों से जरूर लैस किया गया है जबकि अन्य को उपलब्ध उपकरण कोरोना संक्रमण से बचाव में उतने कारगर नहीं।

पीजीआइएमईआर में लाए जाने से पूर्व इस मरीज को सेक्टर-16 के सरकारी अस्पताल में भी जांचा गया था और वह वहां भी ऐसे अस्पताल स्टाफ के संपर्क में जरूर आया होगा। ठाकुर का कहना है कि हालांकि, पीजीआइ के स्क्रीनिंग वार्ड और पृथक वार्ड में संक्रमण रोधी उपकरणों की कोई कमी नहीं लेकिन उनका यह भी कहना है कि अस्पताल में तैनात स्टाफ में से कुछ की ही इन उपकरणों तक पहुंच है। कई मौकों पर अस्पताल प्रबंधन और यहां तक कि स्वयं निदेशक डॉ जगत राम ने भी कई मौकों पर कहा कि सभी अस्पताल कर्मियों को निजी संक्रमण रोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं। केवल उन कर्मियों को ही इनकी जरूरत है जो सीधे स्क्रीनिंग या पृथक वार्ड में मरीजों के संपर्क में आते हैं।

कोरोना से अब तक 32 की मौत, दिल्ली में कुल 97 मामले

पेज 1 का बाकी

में दो-दो मौत हुई है। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। संक्रमण के कुल मामलों में 49 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

देश में केरल में इस महामारी के सर्वाधिक 202 मामले हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में 198 मामले हैं। कर्नाटक में मामले बढ़कर 83 हो गए हैं जबकि उत्तर प्रदेश से 82 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में 71 मामले, गुजरात के 69 और राजस्थान में 59 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 67 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पंजाब से 38 मामले जबकि हरियाणा से 36 और मध्य प्रदेश से कोरोना संक्रमण के 47 मामले सामने आए हैं। जम्मू-कश्मीर में 48 मामले, आंध्र प्रदेश में 23, पश्चिम बंगाल में 22 और लद्दाख में 13 मामले हैं। बिहार से 15 जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से नौ मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में आठ जबकि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से सात-सात मामले सामने आए हैं। गोवा में कोरोना विषाणु संक्रमण के पांच जबकि हिमाचल प्रदेश और ओड़ीशा में तीन-तीन मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पुडुचेरी, मिजोरम और मणिपुर में एक-एक मामला सामने आया है।

पूर्णबंदी बढ़ाने की फिलहाल योजना नहीं

पेज 1 का बाक

ठहरने व भोजन की व्यवस्था करने का राज्यों को पहले ही निर्देश दे चुकी है।

पत्र सूचना कार्यालया (पीआइबी) ने ट्वीट कर कहा, मीडिया में आ रही खबरें और कुछ अफवाहों में दावा किया जा रहा है कि सरकार 21 दिन के बंद की अवधि खत्म होने के बाद इसे और बढ़ा सकती है।

मंत्रिमंडल सचिव ने इन खबरों से इनकार किया है और कहा है कि ये निराधार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को मंत्री समूह की एक बैठक में प्रवासी मजदूरों के पलायन सहित बंद के कारण उत्पन्न स्थिति की समग्र समीक्षा की गई।

ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बंद के चलते गंभीर आर्थिक व सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घातक बीमारी से निपटने के लिए पूर्ण बंद की बजाए कुछ अन्य कदम उठाने की अपील की

कोरोना : कर्नाटक की सीमाएं खुलवाने के लिए कांग्रेस सांसद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

पूर्णबंदी के दौरान एंबुलेंस और आपात सेवाओं के दूसरे वाहनों के सुगम आवागमन के लिए कर्नाटक सरकार को अपनी सीमाएं खोलने का निर्देश देने के लिए केरल के कासरगोड क्षेत्र के सांसद राजमोहन उन्नीथन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

उन्नीथन ने अपनी याचिका में कहा है कि जब कोरोना महामारी से निबटने के लिए पूरा देश चिकित्सीय आपातकाल की अवस्था में है और ऐसे समय में सीमाओं को बंद करके अवरोध संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 (डी) का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है, 'इस अवरोध ने केरल की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिलों की सड़कों के यातायात को अवरुद्ध कर दिया है जिसकी वजह से आवश्यक वस्तुओं और गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम हो गई है और केरल राज्य को खाद्यान्न तथा दवाओं की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है।' याचिका के अनुसार यह स्पष्ट रूप से एक राज्य द्वारा नागरिकों के गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन हैं क्योंकि इस तरह की कार्रवाई में लोगों को सड़कों पर मरने के लिये मजबूर किया जा रहा है। केरल में पहले ही दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उन्हें तत्काल इलाज के लिए मंगलोर स्थित अस्पताल ले जाने के लिये कर्नाटक ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी। याचिका में अनुरोध किया गया है कि कर्नाटक को केरल के साथ लगी सीमाएं, खासकर तलापड्डी में कासरगोड-मंगलोर सीमा खोलने और इन सीमाओं से एंबुलेंस तथा दूसरे आपात वाहनों को सुगमता से जाने का निर्देश दिया जाए।

इसी तरह, याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि केरल के लिए आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुएं लेकर चल रहे वाहनों को इन सीमाओं से प्रवेश की अनुमति देने का कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया जाए।

इसके अलावा, केरल के दो निवासियों की मृत्यु के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और सारे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश कर्नाटक को देने का भी अनुरोध किया गया है।

प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए दान देंगे बाबा रामदेव

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 30 मार्च।

योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना विषाणु की जंग से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आज पतंजलि योगपीठ के दिव्य योग मंदिर कनखल में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी घोषणा की है।

स्वामी रामदेव ने कहा कि 25 करोड़ के अलावा उनकी पतंजलि से जुड़ी सभी इकाइयों और रुचि सोया के सभी कमी भी अपनी एक दिन की सैलरी करीब डेढ़ करोड़ रुपए राहत कोष में देंगे। इसके अलावा स्वामी रामदेव ने हरिलार के अपने दो संस्थान, आसाम, कोलकाता, मोदीनगर और सोलन, हिमाचल के संस्थान व आश्रम कोरोना रोगियों के इलाज के लिए देने की घोषणा की है। स्वामी रामदेव ने कहा कि उनके इन सभी संस्थानों में करीब 1500 कोरोना के संदिग्ध रोगियों को पृथक रखने की सभी सुविधाएं होंगी।

इन सभी जगह पर खाने पीने सहित सभी सुविधाएं पतंजलि की और से की जाएंगी। उन्होंने अपने सभी अनुयायियों से भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने की अपील की।

अभी सामुदायिक संक्रमण के हालात नहीं : सरकार

पेज 1 का बाकी

कि देश में संक्रमण के मामले 100 से 1000 तक पहुंचने में 12 दिन लगे। जबकि विकसित देशों में इस अवधि में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,500 से 8,000 तक पहुंच गई। इससे स्पष्ट है कि भारत में इसके संक्रमण की दर तुलनात्मक रूप से कम है।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति को नियंत्रण में रखने में प्रमुख योगदान, पूर्ण बंदी के दौरान लोगों की एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। अग्रवाल ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि इसका शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित किए जाने पर ही स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा।

अग्रवाल ने कहा कि जिन देशों में कोरोना के संक्रमण का प्रकोप ज्यादा है उनमें एक संक्रमित व्यक्ति ने कम से कम सौ लोगों को संक्रमित किया इसलिए वहां इसके संक्रमण ने महामारी का रूप धारण किया। उन्होंने कहा कि भारत को इस स्थिति से बचाने के लिए पूर्ण बंदी का प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से पालन करना होगा।

अमानवीय : मजदूरों पर रसायन की बौछार

पेज 1 का बाकी

छिड़काव किया। प्रशासनिक अफसरों के इस अमानवीय रवैए का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि रसायन छिड़कने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना को लेकर गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में कहा कि बरेली में छिड़काव किया गया। वैसे सामान्यत : छिड़काव नहीं करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छिड़काव किया जाता है, मगर आंखें ढंक कर। उन्होंने कहा कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई होगी। इस मामले में डीएम नीतीश कुमार की सफाई है कि बस अड्डा और खाली बसों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान कुछ कर्मचारियों ने मजदूरों पर बौछार कर दी थी। जबकि, इसके लिए निर्देश नहीं था। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न जगहों से घर लौट रहे मजदूरों का यह जत्था बरेली पहुंचा था। उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इन सभी पर जिस 'सोडियम हाइपोक्लोराइड' के घोल का छिड़काव किया गया है, वह डेंगू का लार्वा रोधी रसायन है। सभी मजदूरों को प्रशासन के इस अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल एक प्रकार का रसायन है, जिसके 0.5 फीसद घोल (जिसे डायकिन घोल भी कहा जाता है) का इस्तेमाल किसी भी वस्तु को संक्रमण से मुक्त करने के लिए होता है, सामान्य तौर पर अस्पतालों में इसके 0.5 या एक फीसद घोल का इस्तेमाल रोजमर्रा की सफाई के लिए होता है। इस रसायन के दो फीसद घोल का इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल हुई चीजों को संक्रमण मुक्त करने के लिए होता है।

रविवार को सेटेलाइट बस अड्डे पर लोग लखनऊ की ओर जाने वाली बसों की आस में पहुंचे थे। इन लोगों को पहले पुलिस ने सड़क पर बैठा दिया। इसके बाद में कुछ सिपाही इनके पास आए और कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। उसके बाद छिड़काव किया गया। इस घटना की सपा, बसपा व कांग्रेस ने कटु आलोचना की है।

देश में आपातकाल लगाने का संदेश फर्जी : सेना

पेज 1 का बाकी

फर्जी करार देते हुए खारिज कर दिया है। सेना के अधिकारियों ने यह भी कहा कि कोरोना विषाणु के मद्देनजर सेवानिवृत्त कर्मियों, नेशनल कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत पंजीकृत स्वयंसेवकों की मदद लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सेना के जन सूचना विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीपीआइ) ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर अप्रैल के मध्य में देश में आपातकाल लगाने और नागरिक प्रशासन में मदद के लिए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों, एनसीसी और एनएसएस की सहायता लेने के फर्जी और दुर्भावनापूर्ण संदेश फैलाए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पलायन पर मांगी रिपोर्ट

पेज 1 का बाकी

ने इस स्थिति से निबटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

श्रीवास्तव ने तमाम खबरों का हवाला दिया और व्यक्तिगत रूप से बहस करते हुए कहा कि प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर राज्यों के बीच परस्पर समन्वय और सहयोग का अभाव है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू में इन कामगारों के लिए दो दिन बसों की व्यवस्था की लेकिन अब उसने भी बस सेवा बंद कर दी है। इस मामले में केंद्र द्वारा हलफनामे पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के मेहता के कथन पर पीठ ने कहा, 'हम उन चीजों पर गौर नहीं करेंगे जिन पर सरकार पहले से काम कर रही है। हम केंद्र की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे।' दूसरी याचिकाकर्ता रश्मि बंसल ने कहा कि इन कामगारों के लिए चिकित्सा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि पलायन कर रहे कामगारों के समूहों पर वायरस से बचाव करने वाली दवाओं का छिड़काव करवाया जा सकता है और इनके खानपान की व्यवस्था के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को इससे जोड़ा जा सकता है। बंसल के इस कथन पर पीठ ने टिप्पणी की, 'आप यह मान रही हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्हें इन दोनों याचिकाओं पर एक समान जवाब दाखिल करने दीजिए।' बंसल ने कहा कि इन कोरोना वायरस महामारी की दहशत और भय से शहर छोड़ने का प्रयास कर रहे इन कामगारों को समझाने बुझाने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जानी चाहिए। इस पर पीठ ने टिप्पणी की, 'यही भय और दहशत इस वायरस से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है। हम इस मामले में कोई निर्देश जारी करके भ्रम पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि सरकार पहले से ही सारी चीजों को देख रही है। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इन याचिकाओं को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दिल्ली सरकार ने कहा, दर्ज होगी एफआइआर

पेज 1 का बाकी

लिया गया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि देश भर में 24 मार्च से बंद लागू है। इस आदेश का पालन करने का कर्तव्य हर होटल,गेस्ट हाउस और हर होटल के प्रबंधक का है। निजामुद्दीन के इस संस्थान में सामुदायिक दूरी और तय नियमों का पालन नहीं किया गया है। अब जानकारी में आया है कि प्रबंधक ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया है। इस जगह पर कोरोना संक्रमण के मामले भी मिले हैं।

इस बारे में दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त आरपी मीना ने कहा कि अभी सरकार के निर्देश उन्हें नहीं मिले हैं। निर्देश मिलते ही कार्रवाई करेंगे।

निजामुद्दीन पश्चिम सील जुटे थे दो हजार लोग

पेज 1 का बाकी

उन्हें पृथक रखने के लिए निर्धारित अस्पतालों में भेज रही हैं। पिछले हफ्ते श्रीनगर में करीब 60 वर्षीय व्यक्ति की संक्रमण से मौत होने के बाद इस बारे में फिक्र बढ़ी। इस शख्स ने इज्तिमे में शिरकत की थी।

अधिकारियों के मुताबिक, संगठन के मुख्यालय में बड़ी सभा के बाद छोटी-छोटी मंडलियों में भी लोग बैठते हैं। संगठन का मुख्यालय निजामुद्दीन थाने के बराबर में है और ख्वाजा मुईनुद्दीन औलिया की दरगाह के पास है। इस इज्तिमे में सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दुबई, उज्बेकिस्तान और मलेशिया सहित कई देशों के प्रचारकों ने हिस्सा लिया। भारत के अलग-अलग हिस्सों से आए करीब 600 लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नागरिक तो ट्रेनों और उड़ानों के जरिए वापस चले गए। देश के कई हिस्सों में सामने आए कुछ मामलों के संपर्क खंगाले गए तो उनका संबंध इस इज्तिमे से निकला।

लोगों को पृथक केंद्र में भेजने के लिए बसों को तैयार रखा गया है। इज्तिमे में शिरकत करने वालों के लिए रहने की व्यवस्था जिन हॉस्टलों में की जाती थी, उन्हें भी सील कर दिया गया है।

सभा में शामिल छह लोगों की तेलंगाना में मौत

पेज 1 का बाकी

तेलंगाना के कुछ लोग भी शामिल थे।'
बयान में बताया गया है कि जिन छह लोगों की मौत हुई है, उनमें से दो की मौत गांधी अस्पताल में हुई, एक-एक व्यक्ति की मौत दो निजी अस्पतालों में और एक व्यक्ति की मौत निजामाबाद और एक व्यक्ति की मौत गडवाल शहर में हुई।

बंदी बेहतर विकल्प, स्वास्थ्य सेवाओं को मिला तैयारी का वक्त

पेज 1 का बाकी

भावेश ने बताया कि पूर्णबंदी के दौरान विषाणु के प्रसार पर रोक लगेगी और साथ में सरकार को व्यवस्थाएं सही करने का मौका भी मिलेगा। इससे उन क्षेत्रों का भी पता चलेगा जहां यह विषाणु तेजी से फैल रहा है। ऐसे में बाद में उन क्षेत्रों को पहचान कर बंद किया जा सकता है। नील ने बताया कि बंदी विषाणु का इलाज नहीं है। इलाज तो दवाई ही होती है। यह रोकने का प्रयास है। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे देश के पास पूर्णबंदी के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था।

डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि भारत की अधिक जनसंख्या और कम सुविधाओं की वजह से हमने दक्षिण कोरिया या सिंगापुर के मॉडल नहीं अपनाया। इन देशों ने एक सप्ताह के अंदर अपने अधिकतर नागरिकों की जांच पूरी कर ली और जिन्हें लक्षण दिखे उन्हें पृथक करके इलाज करना शुरू कर दिया। 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में ऐसा करना एक सप्ताह में संभव नहीं था। क्योंकि जांच की सुविधाओं में सरकार ने काफी बढ़ोतरी कर ली है, अब बड़ी संख्या में लोगों की जांच संभव है। डॉ त्रिपाठी ने कहा कि अभी इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि 21 दिन की बंदी के बाद भी कुछ दिनों की बंदी की आवश्यकता होगी। यह नया विषाणु है और इसके बारे में हर रोज नई-नई चीजें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी बंदी का एक सप्ताह होने वाला है और जिस हिसाब से मामले नियंत्रित हैं, वह बंदी के सकारात्मक पक्ष को ही दिखाता है।

गरमी में प्रसार कम हो सकता है : प्रोफेसर कुंदू ने बताया कि कोरोना विषाणु के ऊपर पॉटीन और लिपिड होता है। साबुन से यह लिपिड खुल जाता है और उसकी वजह से यह विषाणु नष्ट हो जाता है। गरमी में पॉटीन की संरचना खराब हो जाती है जिसकी वजह से विषाणु नष्ट हो जाता है। डॉ त्रिपाठी ने बताया कि विषाणु संक्रमण गरमी में कम होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कोरोना विषाणु संक्रमण का प्रसार भी गरमी में कम हो सकता है। हालांकि इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि लेकिन ऐसा नहीं है कि गरमी आने के बाद यह विषाणु खत्म हो ही जाएगा।

कोरोना पर फैले अंधविश्वास को दूर करें सामाजिक संगठन : मोदी

पेज 1 का बाकी

अवधि वाले उपाय और दीर्घ अवधि वाले दृष्टिकोण दोनों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, 'इन संगठनों की तीन विशिष्टताएं हैं - मानवीय दृष्टिकोण, व्यापक पहुंच और लोगों से जुड़ाव व सेवा करने की मानसिकता।' उन्होंने कहा, 'इसलिए उन पर इतना विश्वास किया जाता है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि गरीबों और पिछड़ों की सेवा करना ही देश की सेवा करना है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने मानवता की सेवा में जुटे संगठनों की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।

www.readwhere.com

पलायन और खतरा

कोरोना महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी पूर्ण बंदी जैसे जरूरी कदम से निश्चित ही आमजन को भारी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि आज हम जिस गंभीर संकट से रू-ब-रू हो रहे हैं, उसमें ऐसा करना अपरिहार्य हो गया था। भारत के अलग-अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना जिस तरह बढ़ रही है, वह चिंताजनक है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में पलायन करने वालों की भीड़ दिखी, वह एक गंभीर खतरे की ओर संकेत कर रही है। अगर इस भीड़ से यह महामारी देश के दूसरे हिस्सों में फैल गई तो क्या होगा! इस वक्त लोगों को यह समझने की जरूरत है कि वे जहां हैं, वहीं रुकें, ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। कोरोना वायरस की प्रकृति जिस तेजी से फैलने की है, उससे साफ है कि इसकी चपेट में आने वाला एक व्यक्ति बहुत ही आसानी से हजारों लोगों तक यह संक्रमण फैला सकता है। लाखों लोगों का इस तरह पलायान पूर्ण बंदी के मकसद पर पानी फेर सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार को सख्ती दिखाते हुए सभी राज्यों से यह कहने को मजबूर होना पड़ा है कि पूर्ण बंदी के मकसद को हासिल करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं और जो जहां है, उसे वहीं रखा जाए और जांच की जाए।

लोगों के पलायन को रोकने के लिए राज्यों ने अपने स्तर पर जो कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं। पंजाब सरकार ने ईंट-भट्ठे सहित कुछ उद्योगों को काम शुरू करने की इजाजत दी है, ताकि मजदूरों को वहीं रोका जा सके। दिल्ली सरकार ने ऐसे सभी कामगारों और मजदूरों को दिल्ली में ही रोकने के लिए उनके रहने-खाने का बंदोबस्त किया है, जो लोग किराया दे पाने में अक्षम हैं, उनके घर का किराया दिल्ली सरकार खुद देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बाहर से आए मजदूरों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इन्हें अलग रख कर इनकी जांच भी कराई जाएगी। बड़ी समस्या यह है कि यह तबका कोरोना फैलने के खतरों को लेकर जागरूक नहीं है। पलायन रोकने को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। राज्यों को भी सख्ती बरतने को कहा गया है। इसलिए राज्य सरकारों ने लोगों को वहीं रोकने का फैसला किया है जहां वे हैं। उन्हें अब पूर्ण बंदी तक वहीं रोका जाएगा और हरेक की जांच की जाएगी। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल कवायद है, लेकिन इसे करना जरूरी है।

सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और चिकित्सा विशेषज्ञ सब इस बात पर शुरू से जोर देते रहे हैं कि जांच और उपचार से पहले इस महामारी से बचाव का पहला उपाय यही है कि लोग दूर रहें। ऐसे में अगर लाखों की संख्या में लोग देश में एक हिस्से से दूसरे में चले गए, तो यह महामारी गांवों में तेजी से फैल जाएगी और इससे निपटना एक तरह से असंभव हो जाएगा। गांवों में कोरोना की जांच तो दूर, सामान्य बीमारियों के इलाज तक के लिए सुविधाएं नहीं होती और गंभीर स्थिति में लोग शहरों की ओर ही भागते हैं। पूर्ण बंदी जैसा कदम तकलीफदेह जरूर हो सकता है, लेकिन कुछ समय की यह तकलीफ बड़ी संख्या में लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा सकती है, इस बात को समझने की जरूरत है।

लापरवाही की हद

कोरोना महामारी से निपटने को लेकर अमेरिकी प्रशासन जिस रास्ते पर चल रहा है, उससे तो यह लग रहा है कि दुनिया में इस मुल्क से ज्यादा लापरवाह शायद ही कोई देश होगा, जो अपने हजारों लोगों की जान की कीमत पर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के सपने देख रहा है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा डेढ़ लाख की संख्या को छूने जा रहा है और मरने वालों की संख्या तीन हजार के पास पहुंच चुकी है। फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में लॉकडाउन यानी पूर्ण बंदी करने के पक्ष में नहीं हैं। ट्रंप को लग रहा है और जैसा कि वे साफ कह भी चुके हैं कि पूर्ण बंदी का मतलब है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगना, जो पहले ही से संकटों का सामना कर रही है। इसलिए नागरिकों के जीवन की कीमत पर देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने का फैसला न केवल अमानवीय है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अविवेकी फैसले का परिचायक भी माना जाएगा। इस वक्त दुनिया में कुछ ही देश होंगे जो पूर्ण बंदी जैसे अहम कदम को उठाने से बचना चाह रहे हैं।

चीन के बाद इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सहित कई देशों में कोरोना जिस तरह से कहर बरपा रहा है, उससे पूरी दुनिया ने सबक लिया और महामारी को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले पूर्ण बंदी जैसा कदम उठाया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी पूर्ण बंदी को फिजूल की कवायद करार दे रहे हैं। उन्होंने बचाव के लिए सिर्फ लोगों से दूरी बनाए रखने और बिना काम बाहर न निकलने जैसे कदम को ही पर्याप्त माना है। और सामाजिक दूरी का यह कदम भी सिर्फ पंद्रह अप्रैल तक के लिए था, जिसे हालात की गंभीरता को देखते हुए तीस अप्रैल तक बढ़ाना पड़ा है। जबकि हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर इस मुल्क की हालत इटली से भी बदतर होने के स्पष्ट संकेत हैं। वाइट हाउस के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी साफ कह चुके हैं कि पूर्ण बंदी नहीं होने से अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या दो लाख तक पहुंच सकती है। अमेरिकी प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी की यह चेतावनी कंपकंपी पैदा कर देने वाली है। जाहिर है, अमेरिका सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही देख सकता है। ट्रंप भी इस बात को समझ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि अगर हम मरने वालों की संख्या को एक लाख पर भी रोक पाए तो यह बड़ी उपलब्धि होगी।

कोरोना फैलने और इसकी गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे पहले पूर्ण बंदी करने का ही सुझाव दिया था। लेकिन इटली, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने इसे तवज्जो नहीं दी। अब ब्रिटेन में संकट गहराता जा रहा है और वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कह भी चुके हैं कि अभी हालात और बदतर हो सकते हैं। ब्रिटेन में जिस तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वह बड़ी आपदा की ओर इशारा कर रहा है। सवाल यह है कि जानते-बूझते भी अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने आखिर पूर्ण बंदी को अहमियत क्यों नहीं दी? दुनिया में जब ऐसी संक्रामक महामारियों ने हमला किया है तो उन देशों ने बचाव का पहला उपाय संक्रमित लोगों को दूसरों से अलग करने का अपनाया। यह हैरत की बात है कि ज्ञान-विज्ञान से लेकर हर से संपन्न ये देश अपनी ही लापरवाही का खमियाजा भुगत रहे हैं।

कल्पमेधा

अन्याय, असत्य और कपट की बुनियाद पर स्थायी शक्ति प्राप्त करना असंभव है।

-डिमास्थनीज

वैश्विक उत्तरदायित्व बोध की चुनौती

जगमोहन सिंह राजपूत

अहिंसा के सिद्धांत से सहमति सभी राष्ट्रों ने दी, मगर तैयारियां तो युद्ध की होती रहीं, और आज भी हो रहीं हैं। वैज्ञानिक और विचारक बहुत वर्षों से आगाह कर रहे थे कि पृथ्वी गृह के समक्ष अनेक संकट उभर रहे हैं जो कभी भी विकराल रूप ले सकते हैं। इन पर गहन चर्चाएं और विचार-विमर्श वैश्विक स्तर पर लगातार होते रहे हैं, मगर अधिकांश विकसित देश सर्वसम्मत निर्णयों पर भी राजनीति ही करते रहे।

इसके पहले तीन महीनों में विश्व के सभी देशों ने अपने को अप्रत्याशित स्थिति में पाया। एक अदृश्य वायरस-कोरोना ने विश्व में तहलका मचा दिया। इससे निपटने की रणनीति किसी के पास नहीं थी। मानव इतिहास में इस जैसा कोई उदाहरण कहीं नहीं दिखा। शायद दोनों विश्वयुद्ध भी ऐसा नहीं कर पाए होंगे। पहली बार हर देश प्रभावित हुआ। इस आक्रमण के विरुद्ध सभी एक साथ थे, कोई किसी के विरुद्ध नहीं था! केवल अनुमान ही लगाए जा रहे थे कि प्रकृति अब इस वायरस आक्रमण को कहां तक, कितनों तक और आगे कब तक ले जाएगी। सभी मानने लगे थे कि इस वायरस ने मानव जाती को स्पष्ट संदेश दिया है कि मनुष्य प्रकृति से अब और खिलवाड़ न करे, बहुत कुछ खोया जा चुका है, विनाश और लालच की इस होड़ को रुकना ही होगा। यह पृथ्वी मानव के अत्याचार सहते-सहते अब स्वयं जीर्ण-शीर्ण हो गई है, वह आहत है, मनष्य की लगातार बढ़ रही संग्रहण की भूख और घटती जा रही मानवीय संवेदना और क्षीण होते हुए मानवीय मूल्य प्रकृति के चक्र के इस तरह झकझोर चुके हैं कि उसका पुनः अपने नैसर्गिक स्वरूप में आना असंभव है।

अनेक प्राकृतिक संसाधन जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं, वह अब अपरिवर्तनीय हो चुकी है। मनुष्य ने अपने ही घर के रख-रखाव पर ध्यान न देकर उसे अपने ही रहने लायक नहीं रखा है, उसे बीमार कर दिया है। ऐसे में वह स्वयं स्वस्थ कैसे रह सकेगा? उसे रुकना होगा, गहन आत्मनिरीक्षण करना होगा। एक वायरस ने सारी मानव जाति को दिखला दिया कि उसकी ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियां और प्रकृति के रहस्यों को समझने का अभिमान कितना सीमित, संकुचित और अपूर्ण है! हमें स्वयं विज्ञान, तकनीकी, संचार तकनीकी, अंतरिक्ष भ्रमण जैसी बड़ी-बड़ी उपलब्धियां एकदम नगण्य लगने लगीं। कोविड-19 का टीका बनाने में समय लगेगा, उसे कम नहीं किया जा सकता है, तब तक सारे विश्व को घरों में रह कर प्रतीक्षा करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। आशा की किरण यही है कि वैज्ञानिक, सरकारें, संस्थाएं और व्यवस्थाएं पूरी तरह से स्थिति से निबटने के लिए कृतसंकल्प हैं, पूरी कर्मठता से लगे हैं। सभी को विश्वास है कि वे अंतत सफल होंगे। प्रकृति भी मनुष्य को यह समझाने में सफल होगी कि वह अपने असंयत आचरण को बदले, अपने नैसर्गिक कर्तव्यों को नजरअंदाज करने के दुष्परिणामों से आंखें न मूंदे!

मनुष्य इस स्थिति में पहुंचा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि सभ्यताओं के विकास में मनुष्य के मनुष्य से संबंधों और उसके प्रकृति के साथ संबंधों पर मनीषियों ने विचार-विमर्श कर भावी पीढ़ियों को रास्ता न दिखाया हो। वे तो हजारों वर्ष पहले से ही हमें आगाह कर चुके थे कि मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की संवेदनशील डोर को तोड़ कर, अपरिग्रह के मूल्य को भुला कर और प्राकृतिक संसाधनों पर सभी के समान अधिकार के सिद्धांत से आंख मूंद कर मानव जाति को केवल विनाश ही हासिल होगा! मनुष्य और प्रकृति की पारस्परिक निर्भरता को प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्ञानार्जन परंपरा में अत्यंत गहराई से समझा गया था। यह कर्तव्य मनुष्य का था कि प्रकृति से वह उतना ही ले, जितना वापस किया जा सके। भारत की इस संस्कृति और सभ्यता के वैश्विक उत्तरदायित्व को महात्मा गांधी ने एक अमर वाक्य में समेट दिया था-'प्रकृति के पास सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, मगर एक के भी लालच पूर्ति के लिए नहीं।' वे भारत को कर्मभूमि मानते थे, भोग भूमि नहीं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वैश्विक सहयोग, परस्परता और समानता को मानव जाति को बचाए रखने के लिए आवश्यक माना गया और और अनेक प्रयास हुए, संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद, यूनेस्को जैसी संस्थाएं बनीं। मगर मानव मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता और अध्यात्म के महत्त्व को पारस्परिक व्यवहार में प्राथमिकता न देना सभी पर भरी पड़ा। उदाहरण, अहिंसा के सिद्धांत से सहमति सभी राष्ट्रों ने दी, मगर तैयारियां तो युद्ध की होती रहीं, और आज भी हो रहीं हैं। वैज्ञानिक और विचारक बहुत वर्षों से आगाह कर रहे थे कि पृथ्वी गृह के समक्ष अनेक संकट उभर रहे हैं जो कभी भी विकराल रूप ले सकते हैं। इन पर गहन चर्चाएं और विचार-विमर्श वैश्विक स्तर पर लगातार होते रहे हैं, मगर अधिकांश विकसित देश सर्वसम्मत निर्णयों पर भी राजनीति ही करते रहे। ऐसे विमर्शों में गांधी का संदर्भ आना लगभग अनिवार्य रहता है। 1920 में गांधी ने कहा था-'मैं अव्यावहारिक भविष्यदृष्टा नहीं हूं, मैं अपने को व्यावहारिक आदर्शवादी मानता हूं। अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और संतों के लिए नहीं है, वह तो सामान्य लोगों के लिए है।' गांधी यह सब इसलिए कह सके, क्योंकि 'मेरे सभी निष्कर्ष व्यक्तिगत अनुभव से उपजे हैं, मैने इन्हें इतिहास से नहीं लिया है जिसका मेरी शिक्षा में बहुत छोटा योगदान है।' सत्य के प्रति उनकी आस्था न बदली, न धूमिल हुई, क्योंकि 'यदि हम धर्म का अर्थ सत्य और अहिंसा अथवा केवल सत्य ही करें, तो काफी है। अहिंसा सत्य के पेट में समाई हुई है।' वे अपेक्षा करते थे कि यदि सभी शिक्षक सत्य और अहिंसा का पालन करें, तो नई पीढ़ी धर्म यानी सदाचरण, जो सभी पंथों को स्वीकार्य है, को पूरी तरह अपनाएगी।

गांधी के धर्म का मर्म वही था, जिसमें हर व्यक्ति शामिल था, भले ही उसका पंथ कुछ भी हो! वे मानव धर्म के अनुयायी थे। धर्म और पंथिक विविधताओं को जितना गांधी ने समझा था, उतना शायद ही उनके अन्य किसी सहयोगी ने समझा हो। 26 जून 1928 को उन्होंने लिखा था- 'अगर हर एक धर्म के प्रति जो वास्तव में धर्म है, अधर्म नहीं, हम विद्यार्थियों के मन में आदर, उदारता और प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उसके सिद्धांतों का ज्ञान हमें अवश्य देना चाहिए।' इस प्रयास में जीवन के प्रारंभिक संवेदनशील वर्षों में सब धर्मों की समानताएं जानने से सभी के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न होता है जो सहयोग और समता का आधार बनता है। इसी से मानव धर्म की जड़ें गहरी होती हैं और विस्तार लेती हैं।

कोरोना जैसी आपदाएं इस पर ध्यान नहीं देती हैं कि आज सारे विश्व में पारस्परिक विश्वास और असहनशीलता के कारण अनेक विषम परिस्थितयां पैदा हो गई हैं, उसके आक्रमण में कोई भेदभाव नहीं है। उसके समक्ष विकसित देश भी उतने ही निरीह लगे जितने गरीब देश! सत्ता के स्तर पर सबसे अधिक वैश्विक संसाधन तो युद्ध, उसकी तैयारी और अपनी धाक जमाने में ही लग जाते हैं। इसी कारण शिक्षा की गुणवत्ता, मानवीय मूल्यों का अधिग्रहण और चरित्र निर्माण जैसे पक्ष कमजोर होते जा रहे हैं। शोध-शालाएं और डाक्टर करोना पर तो विजय प्राप्त कर लेंगे, मगर मनुष्य के समक्ष उभरती चुनौतियों के मूल कारणों को समझ कर उन्हें जड़मूल से मिटाने के प्रयास ही दीर्घकालीन और समग्र समाधान दे सकेंगे।

गांधी का पाश्चात्य सभ्यता का विरोध वास्तव में उस 'विचारहीन और विवेकहीन नकल' का था, जो भारत में भी यह मानकर की गई कि हम केवल उसी के लायक हैं! भारत अपनी श्रेष्ठता को न भूले, उसकी पीढ़ियां यहां की सभ्यता की निरंतरता और उसकी सर्व-स्वीकार्यता और समाहित करने की क्षमता को जानें, परखें और सम-सामयिक संदर्भ में विश्लेषित करें, तो भारत में विकटतम स्थितयों से स्वयं निकल सकने की ही क्षमता तो होगी ही, वह अन्य को भी राह दिखा सकेगा। क्या इस कठिन समय में हमें अपने बड़े वैश्विक उत्तरदायित्व का बोध नहीं हो रहा है? देश के आत्मनिरीक्षण का यह ऐतिहासिक अवसर है।

गरिमा की बोली

संजय दुबे

दुनिया मेरे आगे

भोजपुरी गीत क्या वाकई अश्लील ही होते हैं? आखिर इसकी ऐसी छवि क्यों बन गई? क्यों दूसरे भाषा-भाषी के साथ खुद भोजपुरी समाज भी अपने बच्चों के सामने इस भाषा में बात नहीं करता? तमाम ऐसे सवाल हैं जो किसी भी गैर-भोजपुरी व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं। भोजपुरी भाषा का एक समृद्ध इतिहास है। यहां भिखारी ठाकुर ऐसी शख्सियत रही हैं, जो इस भाषा के शेक्सपियर भी माने जाते हैं और जिन्होंने महिलाओं की समस्याओं पर विशेष लेखन किया है। आज गीतों में द्विअर्थी बोलों के चलते भोजपुरी मशहूर होने के साथ बदनाम भी हुई है। जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है।

किसी भी समाज के भीतर एक पारिवारिक व्यवस्था रहती है, जहां बातचीत का स्तर काफी शालीन रहता है। माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी जैसे संबधों से युक्त कुटुंब के बीच भाषा बिल्कुल निर्धारित होती है। प्रेमी-प्रेमिका के बीच भी आम जीवन में संवाद ऐसा नहीं होता, जैसी बातचीत फैशन में आए भोजपुरी गानों में सुनने को मिलती है। इसमें प्रेम कम कामुकता ज्यादा झलकती है।

भोजपुरी गानों का अपना अलग अंदाज-ए-बयां रहा है। अभी भी अगर कहीं 'लाले-लाले होंठवा से बरसे ले ललइया कि रस चुएला, जइसें अमवां के मोजरा से रस चुएला' बज रहा हो, तब हम बिना सुने नहीं रह सकते। यह फिल्म 'लागी नाहीं छूटे रामा' 1963 में आई थी। सबको यह गीत समान भाव से आकर्षित, हर्षित करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लयबद्वता, सरलता, सहजता नैसर्गिक रूप से निहित है। इसका इस्तेमाल कैसे और कहां होता है, यह इसका प्रयोग करने वाले निर्भर करता है। इसका फायदा वे लोग उठाते हैं, जिनके लिए यह आज 'सोने की अंडा' देने वाली मुर्गी है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके लिखे गाने से समाज में क्या संदेश जा रहा है या इसे गुनगुनाने पर वहां मौजूद लोगों के मानस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा!

दरअसल, भोजपुरी गीत आज अपनी सरलता या सहजता के बजाय द्विअर्थी बोलों की वजह से ज्यादा चलन में है। इस तरह के गीतों को यूट्यूब पर आते ही लोग हाथों-हाथ लेते हैं। जबकि भोजपुरी गीतों की एक समृद्ध विरासत रही है। इसके कुछ गानों पर नजर डालें तो खुद ही इसकी मकबूलियत का पता चल जाता है। मसलन, 'हे गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो, सइयां से कर दे मिलनवा हो हाय राम', 'गोरकी पतरकी रे, मारे लू जियरा उड़ि उड़ि जाय', 'लाठी भाला चले ला ना', 'कैसे बनी कैसे बनी, फुलौड़ी बिना चटनी कइसे बनी' ये कुछ ऐसे गाने हैं, जिनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है।

बोली और भाषा समाज के व्यवहार को दिखाती-बताती है। भाषाविदों का मानना है कि भौगोलिक, आर्थिक कारक भी समाज के निर्माण में महती भूमिका निभाते हैं। इन कारकों के चलते भाषाओं के भीतर अक्खड़पन, सरलता, सहृदयता परिलक्षित होती है। आज के परिवेश में भोजपुरी समाज का अधिकतर हिस्सा अपने मूल स्थान से आजीविका के चलते दूर है। लिहाजा वह सामाजिक संस्कारों के दवाब से मुक्त हो गया है। जब भोजपुरी भाषी रोजगार के सिलसिले में मुंबई के भीतर टैक्सी चला रहा है, तब वह अकेले में जिस फंतासी में जीता है, वही उसे गीतों के माध्यम से बाजार परोस रहा है। अब ऐसे श्रोताओं के दम पर ही बाजार चल रहा है।

इस चलन की वजह से बाजार में गंभीर किस्म के श्रोताओं ने हिंदी गीतों की तरफ का रुख कर लिया। उनके सामने भी एक बड़ा सवाल यह रहा है कि वह जब भी बाजार में भोजपुरी गीतों के नए एलबम को लेने जाता है, तब उसे ऊलजुलूल ही सुनने को मिलता है। ऐसे में गंभीर श्रोताओं के सामने मजबूरी यह है कि उसे वही पुराने गीत सुनने पड़ते हैं, जिन्हें वे बीसों साल से सुनता आ रहा है।

ऐसा नहीं है कि भोजपुरी भाषा में प्रतिभा की कमी है। नजीर हुसैन साहब ने लगभग चार सौ फिल्में कीं। गाजीपुर की पैदाइश थी, लिहाजा मादरे-जबान भोजपुरी थी। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि भोजपुरी फिल्म बनाई जाए। इसकी चर्चा उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से की। उन्होंने कहा कि आपकी सोच बहुत बढ़िया है, पर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। नजीर साहब उनकी इस बात से काफी प्रभावित हुए। एक स्क्रिप्ट लिखी। उन्हें निर्माता के रूप में विश्वनाथ शाहाबादी और निर्देशक बतौर कुंदन कुमार मिले। कई अन्य बाधाओं के बीच उनकी फिल्म 'गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो' बनी। गीतकार थे शैलेंद्र और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। लेकिन फिल्म को लेकर वितरकों ने पहले काफी हीला-हवाली की। जब इसका बाक्स ऑफिस प्रदर्शन परिणाम आया तो कई वितरकों को ताउम्र यह अफसोस रहा कि उन्होंने इसे क्यों नहीं लिया! महज पांच लाख रुपए की लागत में बनी इस फिल्म ने पचहत्तर लाख रुपए का कारोबार किया। साथ ही भोजपुरी फिल्मों के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया और भोजपुरी समाज को एक स्वस्थ संदेश भी दिया।

गरीब का डर

आज इंसान की बुनियादी जरूरतों में भोजन, पानी, वस्त्र और मकान, पानी, बिजली,परिवहन सुविधा आदि शामिल हैं। आज दुनिया के किसी भी देश के नेतृत्व करने वाले कर्णधारों का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्य की समस्त जनता की इन जरूरतों को सतत बकरार रखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे और उसके अनुरूप कृत्य करे। परंतु हमारे देश में सत्ता के ये कर्णधार जनता के प्रति लापरवाह और असंवेदनशील होते जा रहे हैं। पहले नोटबंदी और अब दूसरी बार कोरोना से बचाव के लिए पूर्ण बंदी कर दी गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्ण बंदी एक जरूरी कदम था और सभी को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूर्ण बंदी की गई, उससे साफ है कि यह कदम भी नोटबंदी की तरह ही बिना विचारे उठा लिया गया। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो रोज कमाने-खाने वाले हैं। जिनका न अपना कोई ठिकाना है। लाखों की संख्या में मजदूर बड़े शहरों में काम करने आते हैं। लेकिन जब काम ही नहीं होगा तो कहां जाएंगे, यह बड़ा सवाल है। अचानक की गई इस पूर्ण बंदी से मामूली कमाई करने वाले जैसे- बेलदार, मिस्त्री, रेहड़ी वाले, छोटी-छोटी कंपनियों में अत्यंत कम मजदूरी पर काम करने वाले, पंजाब और हरियाणा में कृषि कार्यों में काम करने वाले दूरस्थ प्रदेशों यथा बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा से आए प्रवासी मजदूरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ खड़ी हुई है। हालांकि सरकारें अपने स्तर पर इन्हें रोकने और इनकी मदद के प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। लोग अपने को असुरक्षित मान रहे हैं।

• निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

यह भेदभाव क्यों

कर्नाटक सरकार ने केरल के कासरगोड जिले के प्रवासियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध न करवाने पर रोक लगा दी है, जिसके कारण कोरोना महामारी से दो लोगों की मौत हो गई है। यह भारतीय संघीय ढांचे का उल्लंघन है क्योंकि कोई भी राज्य अपनी सीमा को रोक नहीं सकता और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय इसे रोकना मानवता को शर्मसार करता है। इसलिए इन सभी द्वंदों को त्याग कर सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सर्वधर्म समभाव का पालन करना चाहिए। यह वक्त एकजुटता के साथ परिचय देने का वक्त है इससे ही भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है।

• पारस मल बोस, गुडामालानी, बाड़मेर

पुलिस का असली चेहरा

पूर्ण बंदी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में मारपीट करने, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने, साग-सब्जियों को सड़कों पर फेंक देने के जो दृश्य किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसा कृत्य किया और अभी भी कर रहे हैं, उन्हें न केवल मानवीय समझाइश दी जाए, बल्कि भविष्य में गलती करने पर सख्त कानूनन सजा भी दी जाना चाहिए। पूर्ण बंदी का पालन सख्ती से करवाना चाहिए, उल्लंघन करने वालों को उचित वैधानिक चेतावनी देते हुए एक दो डंडे मारना, उठक बैठक लगवाना, भय दिखाना जरूरी है, लेकिन बेरहमी से मारपीट करना, गाड़ियों में नुकसान करना कौन सा कानून कहता है?

• हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद (उज्जैन)

खेती पर असर

कोरोना महामारी का कृषि अर्थव्यवस्था पर भी असर जल्दी दिखने वाला है। यदि किसान अपनी तैयार फसल को मानव संसाधन एवं यांत्रिक उपायों द्वारा नहीं काट पाए तो मंडियों में अनाज पहुंचने में काफी देर हो जाएगी। किसान को अपनी उपज की आमदनी अग्रिम रुप से अनुपातिक रूप में प्राप्त हो जाए, यह केंद्र-राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए। आवश्यक दवाओं, खाद्य पदार्थों, कृषि बीजों और कृषि उपज पर कोरोना वायरस की तबाही भारी पड़ सकती है। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो उसमें उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों और खाद उत्पादों की एक अहम भूमिका है। बीजों, खेती के यंत्रों, उर्वरकों का आवागमन जारी रहना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीज उत्पादन क्षेत्रों की आपूर्ति श्रंखला न गड़बड़ा जाए। बंदरगाहों पर भी कृषि उत्पादकों का उतारना-चढ़ाना बाधित हो गया है। खेती पर कोरोना वायरस का जो खतरा मंडरा रहा है, वह कृषि की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सरकार को अन्नदाता के आर्थिक स्वास्थ्य और उसके द्वारा दी गई उपज का विशेष ख्याल रखना है। तभी वह कृषि अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकता है।

• युगल किशोर शर्मा, खांबी (फरीदाबाद)

संकल्प लेने का वक्त

आज जब समूचा संसार कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तब हाथों में एंड्रॉयड फोन वाली पीढ़ी को घरों में अपने पैरों को रोक लेने की सख्त जरूरत है। उनको यह भी जानना जरूरी है कि आज यदि हम थोड़ी-सी भी सतर्कता बरतते हैं तो महामारी के दुष्प्रभावों को रोंकने में सहभागिता निभाते हुए बड़ी आपदा से बचा सकते हैं। अभी देर नहीं हुई, वक्त है हमें अपने पैरों को संभाल लेने का!

जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई को गाँधी, पटेल, आजाद, भगत, बिस्मिल समेत कई क्रांतिकारियों ने एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत की नाक में पानी करके अंग्रेजों को घुटने-टेकने पर मजबूर करवाते हुए भारत माता के लिए अपने प्राण प्रणसय की आहुति दे दी, ठीक उसी प्रकार की एकजुटता की जरूरत आज फिर एक बार सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के भारतीय लोगों को कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए करनी होगी। यदि हम इस संकट की घड़ी में एकजुट होकर साथ नहीं दिए तो देश के लिए मर-मिटने वाले हजारों वीरों की बलिदानी को कैसे सलाम करेंगे! ये वक्त सोंचने का नहीं, वक्त है समझने व समाज को समझाने का।

• अभिनंदन भाई पटेल, लखनऊ

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

कोरोना कोप

बोल

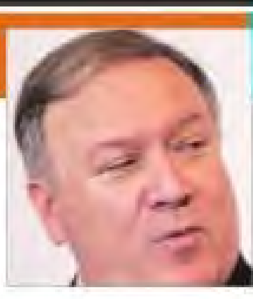

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके चिर प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच सहमति नहीं बनने से अमेरिका-अफगान संबंधों को नुकसान पहुंचा है और दुखद बात यह है कि इसने गठबंधन भागीदारों की तौहीन की है। – *अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ, काबुल में*

विवाद

वाशिंगटन परमाणु वार्ता शुरू करने का इच्छुक नहीं है। अमेरिका ने जो दर्द हमें दिया है, उसका भुगतान करना होगा। अमेरिका के पास टकराव रोकने के लिए कोई रणनीति नहीं है।

– *किम जोंग, उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख*

सम-सामयिक

संरा सुरक्षा परिषद में चीन ने क्यों अटकाई कोरोना पर चर्चा

जनसत्ता संवाद

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोरोना वायरस पर चर्चा के लिए एस्टोनिया के लाए गए प्रस्ताव को चीन ने किनारे कर दिया। चीन फिलहाल सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, जो मार्च के अंत में समाप्त हो जाएगी। दरअसल, जी20 और दक्षेस देशों की कोरोना से निपटने के तरीकों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के बाद से ही यह मांग तेज हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस संकट पर चर्चा को लेकर कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। माना जा रहा है कि चीन इस पर चर्चा नहीं चाहता और अध्यक्ष देश होने के नाते एजंडा तय करने पर आखिरी मुहर लगाने का अधिकार उसके पास है।

हाल में सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जुन की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग की और लीबिया में संयुक्त राष्ट्र सहयोग मिशन के कार्य पर चर्चा की। बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में चीनी मिशन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि परिषद के सदस्यों ने लीबिया में कोविड-19 वैश्विक महामारी के संभावित प्रभावों पर चिंता जाहिर की और पक्षों ने तत्काल संघर्ष रोकने तथा देश भर में अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की। इस पूरे बयान में कोविड-19 का बस इतना ही जिक्र था।

मानव जीवन को गंभीर तरीके से प्रभावित करने वाले कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर परिषद की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन चीन की अपनी दलीलें हैं। अप्रैल में परिषद की अध्यक्षता डॉमिनिकन गणराज्य को हासिल हो जाएगी। इस महीने की शुरुआत में परिषद की अध्यक्षता संभालने से पहले झांग से पूछा गया था कि क्या चीन कोरोना वायरस आपदा पर चर्चा करेगा? झांग का तर्क था कि कोरोना वायरस महामारी से परेशान होने की जरूरत नहीं और अपनी अध्यक्षता में पेइचिंग सुरक्षा परिषद में इस पर चर्चा नहीं करेगा। झांग का तर्क था कि कोरोना वायरस का मुद्दा वैश्विक जन स्वास्थ्य के तहत आता है, जबकि सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी भू-राजनीतिक सुरक्षा एवं शांति मामलों के साथ निपटना है।

कई अध्ययन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अगर चीन ने इस विषाणु की शुरुआत के समय और ज्यादा पारदर्शिता बरती होती तो कोरोना के असर को काफी हद तक कम कर लिया गया होता। 14 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की कि यह विषाणु इंसान से इंसान में नहीं फैलता है। 15 जनवरी को वुहान के स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि इंसान से इंसान में कोरोना विषाणु के जाने की सीमित संभावना है। इसके बाद भी वुहान में भीड़ को जुटने दिया गया। 19 जनवरी को चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एलान किया कि कोरोना के इंसान से इंसान में फैलने के दो मामले सामने आए हैं।

वुहान से फैला कोरोना पूरी दुनिया में फैल चुका है। अमेरिकी पत्रिका नेशनल रिव्यू में छपे लेख के मुताबिक चीन ने कोरोना आंकड़े दुनिया से छिपाकर रखे जिससे यह लड़ाई बहुत कठिन हो गई है। एक दिसंबर, 2019 को कोरोना के पहले मरीज में लक्षण सामने आया। पांच दिन बाद मरीज की पत्नी भी पीड़ित हो गई। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में वुहान के डॉक्टर उन लोगों की तलाश कर रहे थे, जिनमें यह विषाणु फैला था।

परत दर परत

न्यूयार्क टाइम्स ने छह जनवरी को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 59 लोग वुहान में न्यूमोनिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। इसके बाद चीन ने प्रथम स्तर की यात्रा निगरानी और चेतावनी जारी की। आठ जनवरी को भी चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया कि यह वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा है। 12 जनवरी को चर्चित डॉक्टर ली को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक मरीज के इलाज के दौरान उन्हें कोरोना का संक्रमण हो गया था।

शोध

गरमी बढ़ने पर घट सकता है संक्रमण

जनसत्ता संवाद

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ेगी। देश में पूर्ण बंदी की गई है, उसमें अगर मौसम भी मददगार हो गया तो भारत के लिए कोरोना से जंग आसान हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच एक वैज्ञानिक अध्ययन में राहत भरी जानकारी सामने आई है। अगर गर्मी बढ़े तो हो सकता है कि कोरोना के कहर में कमी आ जाए।

जाने-माने संस्थान मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) एक दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने रिपोर्ट तैयार की है कि ठंड जाएगी, मौसम बदलेगा, गर्मी होगी और तापमान का पारा चढ़ेगा तो कोरोना की गर्मी उतरेगी। एमआइटी के ताजा अध्ययन के मुताबिक, मौसम अगर गर्म और नमी भरा होगा तो इससे विषाणु के फैलने की आशंका बहुत कम हो जाएगी।

जिन देशों में तापमान का पारा तीन से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और नमी चार से नौ ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही, वहां कोरोना विषाणु के मामले 90 फीसद पाए गए। जबकि जिन देशों में पारा 18 डिग्री से ज्यादा रहा और नमी नौ ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा रही वहां पर ऐसे मामले छह फीसद ही सामने आए। एमआइटी की यह रिपोर्ट भारत के लोगों को बेहद सुकून पहुंचाने वाली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया है कि आने वाले दिनों में भारत में तापमान चढ़ने वाला है।

एमआइटी ने अमेरिका के दो इलाकों में फर्क का अध्ययन किया। अमेरिका के उत्तरी राज्यों में ठंड ज्यादा है। वहां दक्षिण के गर्म राज्यों की तुलना में कोरोना के मामले दोगुना आए। इस शोध में कहा गया है कि भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों में कोरोना के मामले इनके गर्म मौसम के कारण कम आए। बावजूद इसके कि इन देशों में घनी आबादी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी चीन, यूरोप और अमेरिका से काफी कमजोर हैं।

अमेरिका के उत्तरी राज्यों में ठंड ज्यादा है। वहां दक्षिण के गर्म राज्यों की तुलना में कोरोना के मामले दोगुने आए। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों में कोरोना के मामले गर्म मौसम के कारण कम आए। इन देशों में घनी आबादी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी यूरोप और अमेरिका से काफी कमजोर हैं।

अगर कोरोना पर वाकई गरमी का ऐसा असर होता है तो अप्रैल का महीना भारत के लिए अच्छा हो सकता है। 21 दिन की पूर्ण बंदी जब खत्म होगी, तो पारा चढ़ा होगा। भारत में अभी औसत पारा 28 डिग्री के करीब है जो सामान्य से एक डिग्री कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चार अप्रैल तक ही दिल्ली समेत पश्चिमी भारत में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा।

अगर हम दुनिया के तमाम देशों में कोरोना का हिसाब देखें तो जहां तापमान बढ़ा है, वहां कोरोना का कहर कम है। सूडान में औसत तापमान 52 डिग्री है, वहां कोरोना के तीन मामले आए और मौत एक हुई है। ओमान में तापमान 50 डिग्री के करीब होता है और वहां कोरोना के मामले 109 आए, लेकिन मौत किसी की नहीं हुई। इराक में औसत पारा 48 डिग्री के करीब होता है, वहां कोरोना के 382 मामले निकले और 36 मौतें हुईं। सऊदी अरब में औसत तापमान 50 डिग्री के करीब होता है जहां कोरोना के 1012 मामले आए और तीन मरे। मलेशिया में औसत तापमान तीस डिग्री के करीब होता है, जहां कोरोना के मामले आए 2031 और मौत 24 हुई। अब जिन देशों में कोरोना ने तांडव मचाया, उन देशों में ठंड ज्यादा है। शोध में लिए गए तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं। इटली में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है, जहां कोरोना के 80 हजार 500 से ज्यादा मामले आए और 8215 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्पेन में पारा चार डिग्री पर पहुंच गया है, वहां 57 हजार 800 से ज्यादा मामले आए और 4365 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस तरह फ्रांस में पारा 8 डिग्री तक गया और 29 हजार 500 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए एवं 1696 मौतें हुई हैं। ईरान में पारा 15 डिग्री है जहां मामले आए 29 हजार से ज्यादा और 2234 मौतें हुई हैं। अमेरिका में तापमान 12 डिग्री है, जहां मामले करीब 86 हजार आए और 1300 से ज्यादा मौतें हुई हैं। चीन में तापमान 13 डिग्री है, जहां मामले आए करीब 82 हजार और 3174 मौतें हुईं।

विश्व परिक्रमा (कोरोना)

चीन में दिसंबर में कोरोना वायरस महामारी के सामने आने के बाद 183 देशों और क्षेत्रों में इस वायरस से संक्रमण के कुल 727,080 मामले सामने आए हैं जिनमें से 142,300 स्वस्थ हो गए।

हांगकांग और मकाऊ को छोड़कर चीन में कोरोना वायरस से 3,304 लोगों की मौत हुई है। देश में इस वायरस से संक्रमण के 81,470 मामले सामने आए जिनमें से 75,448 मरीज स्वस्थ हो गए।

अमेरिका में 143,055 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आये जिनमें से 2514 लोगों की जान चली गई और 4865 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के आंकड़ों के आधार पर एएफपी की गणना के मुताबिक इस वायरस के घोषित 399,381 मामलों में से कुल 25,037 लोगों की मौत हुई है। ईरान में कोरोना वायरस से सोमवार को 117 और लोगों की मौत हो गई।

हमने अच्छा काम किया नहीं तो अमेरिका में 2.2 मिलियन लोग मरते : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि कोरोनो विषाणु के कारण सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के बिना मृत्यु दर 2.2 मिलियन तक पहुंच सकती थी, जो कि नहीं हुआ। हम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, तभी संक्रमितों की संख्या 100,000 से 200,000 तक सीमित है।

उन्होंने चेताया कि अमेरिका में अगले दो सप्ताह में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर सर्वाधिक हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए उन्होंने सामाजिक दूरी बनाने समेत कोरोना वायरस संबंधी अन्य दिशा-निर्देशों की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका इस संकट से एक जून तक उबर जाएगा। उन्होंने कोरोना संक्रमण पर वाइट हाउस कार्यबल के सदस्यों- डॉ. देबोरा बिक्स और डॉ एंथनी फॉसी की सलाह का हवाला देते हुए कहा जिन बचाव उपायों को हम लागू कर रहे हैं वे काफी हद तक संक्रमण के नए मामलों और असमय हो रही मौतों की संख्या घटा सकते हैं।

जानें-समझें

संक्रमण बनाम स्वास्थ्य ढांचा

सुरक्षित दूरी से आगे की कितनी तैयारी

दीपक रस्तोगी

कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि इसके तीसरे स्तर (सामुदायिक संक्रमण) तक पहुंचने की आशंका नहीं है। पूर्ण बंदी और सामाजिक दूरी का असर दिखने लगा है। लेकिन इस तरह के तमाम दावों के बीच यह सवाल घूम-फिर कर बार-बार आ रहा है कि संक्रमण से निपटने के लिए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा कितना तैयार है।

अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं वाले इटली, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में अस्पतालों में सेवाएं चरमराने लगी हैं, वेंटिलेटर और आइसीयू कम पड़ गए हैं। इटली में तो स्थिति ऐसी है कि यह तय करना पड़ रहा है कि किसे बचाने की कोशिश की जाए और किसे खतरे में छोड़ दिया जाए। ऐसे में भारत कहां खड़ा है? वह भी तब जब बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है गांवों की ओर।

संक्रमितों की तलाश बड़ी चुनौती

भारत में अभी भी बड़ी दिक्कत यह है कि अधिकारी वैसे लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो संभावित रूप से कोरोना मरीज के संपर्क में आए होंगे। कुछ तो विदेश से लौटे और उन्हें ढूंढा नहीं जा सका है। संक्रमण का पता लगने पर सामने आ रहे हैं। दूसरे, जो संदिग्ध हैं उनमें से भी कुछ अस्पतालों से भाग रहे हैं।

ऐसे में खुद से पृथक और सामाजिक दूरी का क्या असर होगा? वह भी तब जब इतनी बड़ी आबादी भीड़ भाड़ वाले शहरों में रहती है और झुग्गी-झोपड़ियों में एक-एक कमरे में पांच-आठ लोग रहते हैं।

दूसरे, दुनिया में सबसे ज्यादा मधुमेह और दिल की बीमारी के मरीज भारत में ही हैं। मधुमेह के पांच करोड़ और दिल संबंधी बीमारी के 5.4 करोड़ मरीज हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के 28 लाख मरीज भारत में हैं। टीबी से देश में हर रोज करीब 1400 मौतें होती हैं।

कोरोना वायरस सबसे ज्यादा इन बीमारियों वाले मरीजों के लिए खतरनाक होता है।

क्या कहते हैं जानकार

प्रवासी मजदूरों पर आर्थिक दबाव है। उन्हें सामाजिक दूरी के बारे में ठीक से बताया नहीं जा सका। लोगों (प्रवासी) में डर इसलिए बैठ गया है क्योंकि धरातल पर जो नियम हैं, वे स्पष्ट नहीं हैं। सरकारें लोगों को संकेत दें कि काम-धंधा चौपट होने पर ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

– अभिजीत बनर्जी, नोबेल पुरस्कार विजेता (एक इंटरव्यू में)

21 दिन की पूर्ण बंदी ही पर्याप्त नहीं है। इसके हटते ही तेजी से दोबारा फैलाव देखा जा सकता है। हमारे गणितीय मॉडल ने पूर्ण बंदी के बावजूद 73 दिन के अंतराल में घरों में तीन पीढ़ियों में संभावित संक्रमण के फैलाव का अनुमान व्यक्त किया है।

– राजेश सिंह, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय

राहत पैकेज कितना अलग

कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। भारत में भी सरकार ने गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का एलान किया है। भारत का राहत पैकेज दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग है। डॉलर में देखा जाए तो भारत का पैकेज 22.5 अरब डॉलर का है, जो कि प्रति व्यक्ति करीब 19 डॉलर बैठता है। विकसित देशों के मुकाबले भारत का पैकेज काफी कम है। जर्मनी में 610 अरब डॉलर का पैकेज दिया गया है, जो कि प्रति व्यक्ति 7281 डॉलर है। वही ब्रिटेन में 424 अरब डॉलर का पैकेज दिया गया है, जो कि 6246 डॉलर है। अमेरिका ने दो खरब डॉलर के राहत पैकेज का एलान किया, जो प्रति व्यक्ति 6042 डॉलर है। फ्रांस ने 335 अरब डॉलर का एलान किया, जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5132 डॉलर है। स्पेन ने 218 अरब डॉलर के पैकेज का एलान किया, जो कि प्रति व्यक्ति 4668 डॉलर है।

भारत में स्वास्थ्य सेवाएं

सरकार जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसद से कुछ ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है जो दुनिया में सबसे कम खर्च करने वाले देशों में है। देश में टेस्टिंग किट, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टेस्टिंग गियर यानी सुरक्षा के उपकरणों, वेंटिलेटर, आईसीयू और हॉस्पिटलों में बेड की कमी की हकीकत सामने आ गई है।

कोरोना संक्रमण के बाद इंतजामों के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। हालात क्या हैं? सबसे घनी आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र के उदाहरण से समझा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है कि महाराष्ट्र की 12.6 करोड़ की आबादी में सरकारी अस्पतालों में कुल 450 वेंटिलेटर हैं और 502 आईसीयू यूनिट।

बिस्तरों का आंकड़ा चिंताजनक

देश में करीब 26,000 सरकारी अस्पताल हैं। मरीज और उपलब्ध बिस्तरों का आंकड़ा चिंताजनक है। हर 1,700 मरीजों पर एक बिस्त है। ग्रामीण इलाकों में हर बेड पर 3,100 मरीज हैं। बिहार की हालत सबसे खराब है। बिहार में हर बेड पर 16 हजार मरीज हैं। तमिलनाडु में सबसे बढ़िया है। वहां हर बेड पर 800 मरीज हैं।

प्रयोगशालाओं का ढांचा

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, देश में आइसीएमआर की मंजूरी वाली कुल 116 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं। कोविड-19 की जांच के लिए 89 कार्यरत प्रयोगशालाएं हैं, जबकि, 27 चालू होने की प्रक्रिया में हैं।

84 हजार लोगों पर एक पृथक बिस्तर (आइसोलेशन बेड) है। ग्रामीण भारत में हर 26,000 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के नियम के मुताबिक, डॉक्टर और मरीजों का यह अनुपात हर 1,000 मरीज पर एक डॉक्टर का होना चाहिए।

राज्यों की मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के यहां रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या करीब 1.1 करोड़ है।

व्यक्तित्व

मीनल भोंसले : गर्भावस्था में बनाया कोरोना जांच किट

जनसत्ता संवाद

विषाणु विज्ञानी (वायरॉलजिस्ट) मीनल दाखवे भोसले ने भारत में कोरोना वायरस की जांच की पहली किट बनाने में लगी टीम का नेतृत्व किया और वह भी ऐसे समय में जब वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में थीं। भोसले के प्रयास कारगर साबित हुए और उनकी टीम ने छह हफ्ते के रेकॉर्ड समय में जांच किट तैयार कर ली। भोसले ने मूल्यांकन के लिए अधिकारियों को यह किट सौंपे जाने से महज एक दिन पहले बच्ची को जन्म दिया।

मीनल कहती हैं, 'यह दो बच्चों को जन्म देने जैसा था।' उन्होंने कहा कि समानांतर चल रहे दो सफर में बहुत चुनौतियां थीं। गर्भावस्था में कुछ जटिलताएं थीं और उधर, जांच किट पर भी काम जारी था। बच्ची का जन्म शल्य क्रिया के जरिए हुआ।

वे पांच साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। भले ही मीनल भोसले गर्भावस्था के कारण दफ्तर नहीं जा पाती थीं, लेकिन वे पुणे की माइलैब डिस्कवरी में इस परियोजना पर काम कर रहे 10 लोगों की टीम का मार्गदर्शन कर रही थीं। मीनल ने पुणे के एक डायग्नोस्टिक फर्म माइलैब डिस्कवरी सॉल्युशंस की परियोजना पर फरवरी में काम शुरू किया था। उन्होंने कोरोना विषाणु की जांच के लिए ऐसी किट तैयार की, जो विदेशी किट के मुकाबले बेहद सस्ती है। देश की यह पहली टेस्टिंग किट कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है।

मीनल कहती हैं, 'परियोजना को मैंने चुनौती के रूप में लिया। मुझे अपने देश की सेवा करनी है।' उनकी टीम के सभी 10 सदस्यों ने कठिन परिश्रम किया है। परियोजना पूरा होने पर टेस्टिंग किट को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरॉलजी (एनआइवी) को 18 मार्च को सौंप दिया गया और अगले दिन ही मीनल को बेटी हुई। यह किट बाजार में भी आ गया है। इस टेस्टिंग किट से विषाणु के संक्रमण के संदिग्धों की जांच में तेजी आएगी। मीनल ने कहा, 'हमारी किट ढाई घंटे में टेस्ट रिजल्ट दे देती है, जबकि विदेशी टेस्टिंग किट को छह से सात घंटे लगते हैं।' हर माइलैब किट से 100 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं और जांच का खर्च 1,200 रुपए आता है। यह रकम विदेशी किट के खर्चे (4,500 रुपए) के मुकाबले करीब एक चौथाई है।

माइलैब डिस्कवरी सॉल्युशंस के पास हर दिन 15 हजार टेस्टिंग किट तैयार करने की क्षमता है। पुणे के लोनावाला की फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर प्रति दिन 25 हजार किट तैयार किए जा सकते हैं। माइलैब ने पहले बैच में पुणे, मुंबई, दिल्ली, गोवा और बंगलुरू के डायग्नोस्टिक लैब को 150 टेस्टिंग किट भेजे हैं। कंपनी के सह संस्थापक श्रीकांत पटोले ने कहा कि किसी दवा की खोज की तरह ही टेस्ट किट को भी उच्चतम स्टीकता हासिल करने के लिए कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय भोसले को दिया। भोसले की टीम ने जो टेस्ट किट बनाई है उससे जांच करने पर आठ घंटे के बजाय ढाई घंटे में ही कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। मीनल मूल रूप से पुणे की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अहिल्यादेवी हाईस्कूल से ली है। इसके बाद पुणे विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉयरोलॉजी में काम किया।

www.readwhere.com

CORAL INDIA FINANCE AND HOUSING LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L67190MH1995PLC084306
Regd Office: 4th Floor, Dalamal House, J. B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021;
Tel. No.: 022-22853910/11; Fax: +022-22825752;
Email: cs@coralhousing.in; Website: www.coralhousing.in
Contact Person: Ms. Riya Shah, Company Secretary
Email: buyback@coralhousing.in

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF CORAL INDIA FINANCE AND HOUSING LIMITED FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS").

This Public Announcement (the "Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 7(i) of the Buyback Regulations and contains the disclosures as specified in Schedule II read with Schedule I of the Buyback Regulations.

OFFER FOR BUYBACK OF UP TO 1,24,00,000 (ONE CRORE TWENTY FOUR LAKHS) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF CORAL INDIA FINANCE AND HOUSING LIMITED OF FACE VALUE OF ₹ 2/- (RUPEES TWO ONLY) EACH (**"EQUITY SHARES"**) AT A PRICE OF ₹ 17/- (RUPEES SEVENTEEN ONLY) PER FULLY PAID UP EQUITY SHARE IN CASH ON A PROPORTIONATE BASIS FROM ALL EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY THROUGH THE TENDER OFFER PROCESS USING STOCK EXCHANGE MECHANISM.

Certain figures contained in this Public Announcement, including financial information, have been subject to rounding-off adjustments. All decimals have been rounded off to two decimal points. In certain instances, (i) the sum or percentage change of such numbers may not conform exactly to the total figure given; and (ii) the sum of the numbers in a column row in certain tables may not conform exactly to the total figure given for that column or row.

1. DETAILS OF THE BUYBACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1 The board of directors of Coral India Finance and Housing Limited (the **"Company"**) (the board of directors of the Company hereinafter referred to as the **"Board"**, which expression shall include any committee constituted and authorized by the Board to exercise its powers), at their meeting held on February 14, 2020 and Buyback Committee meeting dated March 11, 2020 (the **"Board Meeting"**) has, subject to the approval of the shareholders of the Company by way of a special resolution through a postal ballot/e-voting, pursuant to the provisions of Article 40 of the Articles of Association of the Company, Sections 68, 69, 70, 110 and all other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013, as amended (the **"Companies Act"**), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 (the **"Share Capital Rules"**), the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the **"Management Rules"**) to the extent applicable, and in compliance with Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the **"Listing Regulations"**), the Buyback Regulations and subject to such approvals of statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, approved the Buyback by the Company of up to 1,24,00,000 (One Crore Twenty Four Lakhs) fully paid up Equity Shares of ₹ 2/- (Rupees Two only) each representing up to 24.86% of the total issued and paid-up Equity Share capital of the Company as per the latest standalone audited financial statements for the year ended March 31, 2019 of the Company (the **"Audited Financial Statements"**) at a price of ₹ 17/- (Rupees Seventeen only) per Equity Share (the **"Buyback Price"**) payable in cash for an aggregate consideration of up to ₹ 21,08,00,000/- (Rupees Twenty One Crores Eight Lakhs only) (**"Buyback Size"**), which is up to 20.16% (within statutory limit of 25%) of the fully paid up Equity Share Capital and free reserves as per the Audited Financial Statements on a proportionate basis through the "tender offer" route as prescribed under the Buyback Regulations, to all of the shareholders of the Company who hold Equity Shares as of the Record Date being Friday, April 17, 2020 ("**Record Date**") (**"Buyback"**).

1.2 The shareholders of the Company approved the Buyback, by way of a special resolution, through postal ballot (including e-voting) pursuant to the postal ballot notice dated February 14, 2020 read along with Corrigendum to the Notice of Postal Ballot dated March 11, 2020 (the **"Postal Ballot Notice"**), the results of which were announced on March 28, 2020 and which was deemed to be passed on March 27, 2020 (i.e. the last date of voting for the Postal Ballot) ("**Shareholders' Approval**").

1.3 The Buyback Size does not include any transaction costs viz. brokerage, applicable taxes inter alia including buy back taxes, securities transaction tax, GST, stamp duty, expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), advisors/ legal fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses etc.("**Transaction Cost**").

1.4 The Equity Shares are listed on the BSE Limited (the "**BSE**") and the National Stock Exchange of India Limited (the **"NSE"**) (hereinafter together referred to as the **"Stock Exchanges"**).

1.5 In addition to the regulations/statutes referred to in paragraph 1.1 above, the Buyback is also in accordance with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to the extent applicable and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The Buyback shall be undertaken on a proportionate basis from the equity shareholders of the Company as on the Record Date (as defined below) (**"Eligible Shareholders"**) through the tender offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buyback Regulations. Additionally, the Buyback shall be subject to applicable laws, implemented by tendering of Equity Shares by Eligible Shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism as specified by SEBI in its circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular bearing reference number CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as amended from time to time (**"SEBI Circulars"**). In this regard, the Company will request BSE to provide the acquisition window for facilitating tendering of Equity Shares under the Buyback.

1.6 Participation in the Buyback by Eligible Shareholders may trigger tax implications in India and in their country of residence. The transaction of Buyback would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer, which will contain a more detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, the Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors prior to participating in the Buyback.

1.7 Pursuant to the proposed Buyback and depending on the response to the Buyback, the voting rights of the members of the Promoter and Person in Control in the Company may increase or decrease from their existing shareholding in the total equity capital and voting rights of the Company. Pursuant to the completion of the Buyback, the public shareholding of the Company may fall below the minimum level required as per Regulation 38 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. However, the Company undertakes to achieve minimum level of public shareholding as specified in Rule 19(2) and Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (SCRR) within the time and in the manner as prescribed under the SCRR and the Listing Regulations. Any change in voting rights of the promoter and Person in Control of the Company pursuant to completion of Buyback will not result in any change in control over the Company.

1.8 A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company at www.coralhousing.in and is expected to be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in during the period of Buyback and on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

2. NECESSITY OF THE BUYBACK

The Buyback is being proposed by the Company to service the equity more efficiently. Additionally, the Company's management strives to increase equity shareholders value and the Buyback would result in amongst other things:

a) The Buyback is being done to return surplus funds, after taking into account the strategic and operational cash needs of the Company in the short to medium term;

b) The Buyback may help in improving earnings per share, return on equity, by reduction in the equity base, thereby leading to long term increase in shareholders' value;

c) The Buyback gives an option to the equity shareholders, who can either (i) choose to participate and get cash in lieu of Equity Shares to be accepted under the Buyback; or (ii) choose to not participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding, post the Buyback, without additional investment;

d) The Buyback, which is being implemented through the tender offer as prescribed under the Buyback Regulations, would involve minimum reservation of 15% for Small Shareholders and allocation of higher of number of shares as per their entitlement or 15% of the number of shares to be bought back, reserved for the Small Shareholders. The Company believes that this reservation for Small Shareholders would benefit a large number of public shareholders, who would get classified as Small Shareholder.

3. MAXIMUM AMOUNT REQUIRED UNDER THE BUYBACK AND ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID UP CAPITAL AND FREE RESERVES

3.1 The maximum amount required for Buyback will not exceed ₹ 21,08,00,000/- (Rupees Twenty-One Crores Eight Lakhs only), excluding Transaction Costs viz. brokerage, applicable taxes inter alia including Buyback taxes, securities transaction tax, GST, stamp duty, expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to the SEBI, advisors/legal fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses, etc.

3.2 The aggregate fully paid-up Equity Share Capital and free reserves as per latest Audited Financial Statements of the Company as at March 31, 2019 on standalone basis is ₹ 10454.91 lakhs. Company does not have any subsidiary, joint venture or associates, hence does not prepare any consolidated financial statements. The maximum amount mentioned aforesaid is 20.16% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the latest available Audited Financial Statement of the Company, which is within the prescribed limit of 25%.

3.3 The funds for the implementation of the proposed Buyback will be sourced out of the free reserves of the Company or such other source as may be permitted by the Buyback Regulations or the Companies Act. The funds borrowed if any shall not be utilized for the purpose of Buyback. The Company shall transfer from its free reserves, a sum equal to the nominal value of the Equity Shares so bought back to the Capital Redemption Reserve Account and details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements.

4. BUYBACK PRICE AND BASIS OF DETERMINING THE BUYBACK PRICE

4.1 The Equity Shares of the Company are proposed to be bought back at a price of ₹ 17/- (Rupees Seventeen only) per Equity Share.

4.2 The Buyback Price of ₹ 17/- (Rupees Seventeen only) per Equity Share has been arrived at after considering various factors including, but not limited to, the trends in the volume weighted average price and closing price of the Equity Shares on BSE and NSE. The Buyback Price represents:

i. Premium of 41.67% and 40.50% over the closing price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, as on Monday, February 10, 2020 being the date on which the Company intimated to the Stock Exchanges of the date of the meeting of the Board of Directors wherein the proposal of Buyback was considered.

ii. Premium of 57.95% and 58.94% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, during the two weeks preceding the date of intimation to the Stock Exchanges of the date of the meeting of the Board of Directors wherein the proposal of Buyback was considered.

iii. Premium of 52.17% and 51.44% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, during the 30 trading days preceding the date of intimation to the Stock Exchanges of the date of the meeting of the Board of Directors wherein the proposal of Buyback was considered.

iv. Premium of 52.94% and 52.76% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, during the 60 trading days preceding the date of intimation to the Stock Exchanges of the date of the meeting of the Board of Directors wherein the proposal of Buyback was considered.

5. MAXIMUM NUMBER OF SECURITIES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUYBACK

5.1 The Company proposes to Buyback up to 1,24,00,000 (One Crore Twenty-Four lakhs) fully paid-up Equity Shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each aggregating up to 24.86% of the total issued and paid up Equity Share capital of the Company as per the Audited Financial Statements from the Equity Shareholders of the Company as on the Record Date for an amount not exceeding ₹ 21,08,00,000/- (Rupees Twenty-One Crores Eight Lakhs Only).

6. DETAILS OF HOLDING AND TRANSACTIONS IN THE SHARES OF THE COMPANY

6.1 The aggregate shareholding of the (i) promoter and promoter group of the Company and persons in control ("**Promoters and Persons in Control**") (ii) Directors of companies which are a part of the Promoter and Promoter Group and (iii) Directors and Key Managerial Personnel of the Company as on the date of the Board Meeting and the Postal Ballot Notice, i.e., February 14, 2020, are as follows:

(i) Aggregate shareholding of the Promoter and Persons in Control as on the date of the Board Meeting and the date of the Postal Ballot Notice, i.e., February 14, 2020:

Sr. No	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares held	% Shareholding
A) Individuals			
1.	Navin Bachubhai Doshi	1,16,60,075	23.38
2.	Sachin Navinchandra Doshi	96,67,130	19.38
3.	Kundan Navinchandra Doshi	90,80,535	18.21
4.	Meeta Samir Sheth	1,90,100	0.38
	Sub Total (A)	**3,05,97,840**	**61.35**
B) Bodies Corporate			
1.	Coral Laboratories Limited	64,96,000	13.02
	Sub Total (B)	**64,96,000**	**13.02**
	Total (C) = (A) +(B)	**3,70,93,840**	**74.37**

(ii) Aggregate shareholding of the Directors of companies/trust which are a part of the Promoter and Promoter Group, as on the date of the Board meeting and the date of this Postal Ballot Notice, i.e., February 14, 2020.

Sr. No	Name of the Company/ Trust	Name of Director/Trustee	No. of Equity Shares held	% Shareholding
1	Coral Laboratories Limited	None of the directors hold equity shares in our Company - Coral India Finance and Housing Limited.		

(iii) Aggregate shareholding of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company as on the date of the Board Meeting and the date of the Postal Ballot Notice, i.e. February 14, 2020:

Sr. No	Name of the Shareholder	Designation	No. of Equity Shares held	% Shareholding
1.	Navin Bachubhai Doshi	Managing Director	1,16,60,075	23.38
2.	Meeta Samir Sheth	Non-Executive Non-Independent Director	1,90,100	0.38
3.	Sheela Rupesh Kamdar	Non-Executive Independent Director	NIL	NIL
4.	Sharad Ratilal Mehta	Non-Executive Independent Director	1,000	0.00
5.	Kishor Ravindraray Mehta	Chief Financial Officer	5,050	0.01
6.	Riya Ritin Shah	Company Secretary	NIL	NIL
	Total		1,18,56,225	23.77

(iv) Aggregate shares purchased or sold by the Promoter and Persons in Control, Directors of companies which are a part of the Promoter and Promoter Group and Directors and Key Managerial Personnel of the Company during a period of six months preceding the date of the Board Meeting at which the Buyback was approved and the date of the Postal Ballot Notice, i.e., February 14, 2020:

a) Aggregate of shares purchased or sold by the Promoter and Promoter Group and Persons in Control:

Sr. No	Name of Shareholder	No. of Equity Shares Acquired/ Sold	Nature of Transaction	Maximum Price per Equity Share	Date of Maximum Price	Minimum Price	Date of Minimum Price
NIL							

b) Aggregate shares purchased or sold by the Directors of companies which are part of the Promoter and Promoter Group:

Name of the Promoter Company:							
Sr. No	**Name of Shareholder**	**No. of Equity Shares Acquired/ Sold**	**Nature of Transaction**	**Maximum Price per Equity Share**	**Date of Maximum Price**	**Minimum Price**	**Date of Minimum Price**
NIL							

c) Aggregate shares purchased or sold by the Directors and Key Managerial Personnel of the Company:

Sr. No	Name of Shareholder	No. of Equity Shares Acquired/ Sold	Nature of Transaction	Maximum Price per Equity Share	Date of Maximum Price	Minimum Price	Date of Minimum Price
NIL							

7. INTENTION OF PROMOTER AND PROMOTER GROUP AND PERSONS IN CONTROL OF THE COMPANY TO PARTICIPATE IN BUYBACK

7.1 In terms of the Buyback Regulations, under the tender offer route, the Promoter and Promoter Group have an option to participate in the Buyback. In this regard, the Promoter and Persons in Control of the Company have expressed their intention to participate in the Buyback vide their letters dated February 14, 2020 and may tender up to an aggregate maximum of 84,00,000 Equity Shares (Eighty-Four lakhs) or such lower number of Equity Shares in accordance with the provisions of the Buyback Regulations. Please see below the maximum number of Equity Shares proposed to be tendered by each of the Promoter and Persons in Control of the Company:

Sr. No	Name of the Promoter/ Promoter Group and Persons in Control	No. of Equity Shares held	Maximum Number of Equity Shares intended to tender
1.	Sachin Navinchandra Doshi	96,67,130	50,00,000
2.	Coral Laboratories Limited	64,96,000	34,00,000
	Total	**1,61,63,130**	**84,00,000**

7.2 The Buyback will not result in any benefit to Promoter and Persons in Control or any Directors of the Company except to the extent of the cash consideration received by them from the Company pursuant to their respective participation in the Buyback in their capacity as equity shareholders of the Company, and the change in their shareholding as per the response received in the Buyback, as a result of the extinguishment of Equity Shares which will lead to reduction in the equity share capital of the Company post Buyback.

7.3 The details of the date and price of acquisition of the Equity Shares allotted/ credited/transmitted/acquired that the Promoter and Persons in Control intend to tender are set-out below:

i) **Sachin Navinchandra Doshi – Intend to tender up to 50,00,000 Equity Shares**

Date	Nature of Transaction	Number of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price (₹)	Consideration (₹)
9/6/2015	Market Purchase (through Stock exchange)	1,00,000	10	48.36	48,36,000
Total equity shares of ₹ 10/- each		**1,00,000**	10		
4/8/2017	Sub-division (Equity shares of ₹ 2/- each)	**5,00,000***	2		
31/08/2017	Gift	45,00,000	2	NIL (Gift)	Inter-se transfer between Promoters
Total equity shares of ₹ 2/- each		**50,00,000**			

* *(Originally acquired 100000 equity shares of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each and subsequently adjusted for split into shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each i.e. total 500000 equity shares as on the record date on August 04, 2017).*

ii) **Coral Laboratories Limited – Intend to tender up to 34,00,000 Equity Shares**

Date	Nature of Transaction	Number of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price (₹)	Consideration (₹)
During the year 1995-1996	Allotment	6,80,000	10	10	68,00,000
Total equity shares of ₹ 10/- each		**6,80,000**	10		
04/08/2017	Sub-division (Equity shares of ₹ 2/- each)	**34,00,000***	2		
Total equity shares of ₹ 2/- each		**34,00,000**			

* *(Originally allotted 680000 equity shares of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each and subsequently adjusted for split into shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each i.e. total 3400000 equity shares as on the record date on August 04, 2017).*

7.4 The Company confirms that there are no defaults subsisting in the repayment of deposit or interest payment thereon, redemption of debentures or interest payment thereon or redemption of preference shares or payment of dividend due to any shareholder, or repayment of any term loans or interest payable thereon to any financial institution or banking company.

8. CONFIRMATIONS FROM THE COMPANY AS PER THE PROVISIONS OF THE BUYBACK REGULATIONS AND THE COMPANIES ACT:

a) all the Equity Shares of the Company are fully paid-up;

b) the Company shall not issue and allot any Equity Shares or specified securities including by way of bonus, from the date of declaration of results of the postal ballot for special resolution passed by the shareholders approving the proposed Buyback until the date of expiry of the Buyback Period;

c) the Company, as per the provisions of Section 68(8) of the Act, will not make any further issue of the same kind of shares or other securities including allotment of new shares under Section 62(1)(a) or other specified securities within a period of six months after the completion of the Buyback except by way of bonus shares or equity shares issued in order to discharge subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into Equity Shares (Subsisting Obligations);

d) the Company shall not raise further capital for a period of one year from the expiry of the Buyback period, except in discharge of its Subsisting Obligations;

e) the Company shall not Buyback locked-in Equity Shares and non-transferable Equity Shares until the pendency of the lock-in or till the Equity Shares become transferable;

f) the Company shall not Buyback its Equity Shares from any person through negotiated deal whether on or off the stock exchanges or through spot transactions or through any private arrangement in the implementation of the Buyback;

g) there are no defaults subsisting in the repayment of any deposits (including interest payable thereon), redemption of debentures or preference shares, payment of dividend or repayment of any term loans to any financial institution or banks (including interest payable thereon);

h) That the funds borrowed from banks and financial institutions, if any, will not be used for the Buyback;

i) that the Company has been in compliance with Sections 92, 123, 127 and 129 of the Companies Act;

j) the aggregate amount of the Buyback i.e. up to ₹ 21,08,00,000/- (Rupees Twenty-One Crores Eight lakhs only) does not exceed 25% of the aggregate of the total paid-up capital and free reserves of the Company as per Audited Financial Statements;

k) the maximum number of Equity Shares proposed to be purchased under the Buyback up to 1,24,00,000 (One Crore Twenty-Four Lakhs only), does not exceed 25% of the total number of Equity Shares in the paid-up Equity Share capital as per the Audited Financial Statements;

l) The Company has not undertaken a buyback of any of its securities during the period of one year immediately preceding the date of this Board meeting;

m) the Company shall not make any offer of buyback within a period of one year reckoned from the date of expiry of the Buyback period;

n) the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid-up Equity Share capital and free reserves, after the Buyback; and

o) the Company shall not directly or indirectly purchase its Equity Shares through any subsidiary company including its own subsidiary companies or through any investment company or group of investment companies.

p) there is no pendency of any scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the provisions of the Companies Act as on date;

q) The Buyback shall be completed within a period of 1 year from the date of passing of special resolution by way of postal ballot; the Company shall not withdraw the Buyback offer after the draft letter of offer is filed with the SEBI or the public announcement of the offer of the Buyback is made, except where any event or restriction may render Company unable to effect Buyback;

Contd.

www.readwhere.com

r) the Company is not undertaking the Buyback to delist its equity shares other specified securities from the stock exchanges;

s) Consideration of the Equity Shares bought back by the Company will be paid only by way of cash.

9. THE BOARD HAS CONFIRMED THAT IT HAS MADE A FULL ENQUIRY INTO THE AFFAIRS AND PROSPECTS OF THE COMPANY AND HAS FORMED THE OPINION:

The Board of Directors of the Company has confirmed that it has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed the opinion:

a) Immediately following the date of the board meeting and the date on which the special resolution approving the Buyback is passed there will be no grounds on which the Company could be found unable to pay its debts;

b) As regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the board meeting and date on which the special resolution, approving the Buyback is passed and having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board meeting and also from the date of the special resolution approving the Buyback is passed;

c) In forming an opinion as aforesaid, the Board has taken into account the liabilities, as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as applicable (including prospective and contingent liabilities) as amended from time to time.

10. THE TEXT OF THE REVISED REPORT DATED MARCH 11, 2020 ADOPTED BY THE BUYBACK COMMITTEE MEETING ADDRESSED TO THE BOARD OF DIRECTORS BY THE COMPANY'S AUDITORS ON THE PERMISSIBLE CAPITAL PAYMENT OPINION FORMED BY DIRECTORS REGARDING INSOLVENCY IS REPRODUCED BELOW:

Quote

To,

The Board of Directors

Coral India Finance & Housing Limited

Dalamal House, 4th Floor, Nariman Point,

Mumbai - 400 021, Maharashtra

Dear Sir,

Sub.: Statutory Auditor's Report in respect of proposed buyback up to 1,24,00,000 equity shares by Coral India Finance and Housing Limited ('Company') as required by the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 (as amended).

The Buy-back of Coral India Finance and Housing Limited("the Company") has been approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on February 14, 2020 under section 68, 69 and 70 of Companies Act, 2013 at a price of ₹ 17/- per Equity Share. In this regard, we report that:

(a) We have inquired into the state of affairs of the Company with reference to its latest audited standalone financial statements for the year ended March 31, 2019 as adopted by the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 28, 2019.

(b) The Board of Directors have proposed to Buy-back up to 1,24,00,000 equity shares of ₹ 2/- each at a premium of ₹ 15/- per equity share aggregating to ₹17/- per equity share. The permissible capital payment (including premium) of an amount not exceeding ₹ 2108.00 lakhs (excluding buy back tax) towards the Buy-back of equity shares, as approved by the Board of Directors, has been determined in accordance with section 68(2) of the Companies Act, 2013 and clause xi of schedule I the Securities and Exchange Board of India (Buy back of Securities) Regulations, 2018 (as amended from time to time) and is within the permissible amount of 25% of the paid-up equity capital and free reserves of the Company, as extracted from the latest audited standalone financial statements of the Company for the year ended March 31, 2019. The same has been computed as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2019 (Audited) Standalone	As at March 31, 2019 (Audited) Consolidated
Equity Share Capital- Subscribed and Paid-up	997.58	
Free Reserves		
- Securities Premium Account	NIL	
- General Reserve	NIL	
- Surplus in Statement of Profit and Loss	9457.33	
TOTAL	10454.91	Not Applicable
Maximum amount permissible for the Buy-back i.e. 25% of total paid up equity capital and free reserves	2613.73	
Amount approved by the Board of Directors for buy-back in the meeting held on 14.02.2020, subject to shareholders' approval.	2108.00	

(c) Based on the representations made by the Company and other information and explanations given to us, which to the best of our knowledge and belief were necessary for this purpose, the Board of Directors at their meeting held on February 14, 2020 and Buy Back Committee at their meeting held on March 11, 2020 have formed their opinion as specified in clause (x) of Schedule I of the Securities and Exchange Board of India (Buy back of Securities) Regulations, 2018 (as amended from time to time), on reasonable grounds and that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from aforesaid date and from the date on which the results of the shareholders' resolution by the of the Company with regard to the proposed buyback as declared.

The compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Buyback Regulations is the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to report on the amount of permissible capital for the buyback and report that the audited standalone financial statement on the basis of which calculation with reference to buyback is done.

This certificate is intended solely in connection with the proposed Buy Back of Equity Shares of the Company and can be reproduced in the relevant documents and can even be submitted to stock exchanges, SEBI or other concerned authority. The same should not be used other than for the purpose it has been taken by the Company without our written consent.

For Hasmukh Shah & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 103592W / W-100028

Sd/-
Hasmukh N Shah

Partner
M. No 038407

Place: Mumbai
Date: March 11, 2020

UDIN:20038407AAAABP7888

Unquote

11. RECORD DATE AND SHAREHOLDER'S ENTITLEMENT

11.1 As required under the Buyback Regulations, the Company has fixed Friday, April 17, 2020 as the record date (the "**Record Date**") for the purpose of determining the entitlement and the names of the equity shareholders who are eligible to participate in the Buyback.

11.2 The Equity Shares to be bought back as part of the Buyback are divided into two categories:

i. Reserved category for small shareholders; and

ii. General category for all other shareholders.

11.3 As defined in Regulation 2(i)(n) of the Buyback Regulations, a "small shareholder" is a shareholder who holds equity shares having market value, on the basis of closing price on the stock exchange having highest trading volume as on Record Date, of not more than ₹ 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only).

11.4 In accordance with Regulation 6 of the Buyback Regulations, 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to buyback or such number of Equity Shares entitled as per the shareholding of small shareholders as on the Record Date, whichever is higher, shall be reserved for the small shareholders as part of this Buyback.

11.5 On the basis of the shareholding on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Eligible Shareholder, including small shareholders, to tender their Equity Shares in the Buyback. This entitlement for each Eligible Shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective shareholder on the Record Date and the ratio of the Buyback applicable in the category to which such shareholder belongs. The final number of Equity Shares that the Company will purchase from each Eligible Shareholder will be based on the total number of Equity Shares tendered. Accordingly, the Company may not purchase all of the Equity Shares tendered by an Eligible Shareholder.

11.6 In accordance with Regulation 9(ix) of the Buyback Regulations, in order to ensure that the same shareholders with multiple demat accounts/folios do not receive a higher entitlement under the small shareholder category, the Company will club together the equity shares held by such shareholders with a common Permanent Account Number (PAN) for determining the category (small shareholder or general) and entitlement under the Buyback. In case of joint shareholding, the Company will club together the equity shares held in cases where the sequence of the PANs of the joint shareholders is identical. In case of physical shareholders, where the sequence of PANs is identical, the Company will club together the equity shares held in such cases. Similarly, in case of physical shareholders where PAN is not available, the Company will check the sequence of names of the joint holders and club together the equity shares held in such cases where the sequence of name of joint shareholders is identical. The shareholding of institutional investors like mutual funds, pension funds/trusts, insurance companies etc. with common PAN will not be clubbed together for determining the category and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the registrar and transfer agent (the "**Registrar**") as per the shareholder records received from the depositories.

11.7 After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by Eligible Shareholders in that category, and thereafter from Eligible Shareholders who have tendered over and above their entitlement in other category.

11.8 The participation of Eligible Shareholders in the Buyback is voluntary. Eligible Shareholders can choose to participate and get cash in lieu of shares to be accepted under the Buyback or they may choose not to participate. Eligible Shareholders may also accept a part of their entitlement. Eligible Shareholders also have the option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other Eligible Shareholders, if any. If the Buyback entitlement for any shareholder is not around number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of entitlement to tender Equity Shares in the Buyback.

11.9 The maximum shares tender under the Buyback by any Eligible Shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the Eligible Shareholder as on the Record Date. In case the Eligible Shareholder holds Equity Shares through multiple demat accounts, the tender through a demat account cannot exceed the number of Equity Shares held in that demat account.

11.10 The Equity Shares tendered as per the entitlement by the Eligible Shareholder as well as additional Equity Shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in the Buyback Regulations. The settlement of the tenders under the Buyback will be done using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified under the SEBI Circulars. Eligible Shareholders will receive a letter of offer along with a tender/offer form indicating their respective entitlement for participating in the Buyback.

11.11 Small Shareholders holdings of multiple demat accounts would be clubbed together for identification of small shareholder if sequence of Permanent Account Number for all holders is matching. Similarly, in case of physical shareholders, if the sequence of names of joint holders is matching, holding under such folios should be clubbed together for identification of small shareholder.

11.12 Participation in the Buyback by shareholders may trigger capital gains taxation in India and in their country of residence. The Buyback transaction would also be subject to securities transaction tax in India. The shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors prior to participating in the Buyback.

11.13 Detailed instructions for participation in the Buyback (tender of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant time table will be included in the letter of offer to be sent in due course to the Eligible Shareholders.

12. PROCESS AND METHODOLOGY FOR THE BUYBACK

12.1 The Buyback is open to all Eligible Shareholders of the Company, holding Equity Shares either in physical and/ or demat form on the Record Date (subject to provisions of paragraph 12.7 and 12.8 of this Public Announcement).

12.2 The Buyback shall be implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI circular and following the procedure prescribed in the Act and the Buyback Regulations, and as may be determined by the Board (including any person authorized by the Board to complete the formalities of the Buyback) and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

12.3 For implementation of the Buyback, the Company has appointed Unique Stockbro Pvt. Ltd. as the registered broker to the Company ("**Company's Broker**") through whom the purchases and settlement on account of the Buyback would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:

Name: Unique Stockbro Pvt. Ltd.
Address: 61/8, Chandanbala Road No. 25C, Sion West, Mumbai – 400 022
Tel. No.: (022) 2408 0444
Contact Person: Mr. Chetan P. Mehta
Email: infor@uniqoestockbro.com; **Website:** www.uniquestockbro.com;
SEBI Registration Number: INZ000187737; IN-DP-CDSL-235-2004
Corporate Identity Number: U67120MH1999PTC119159

12.4 The Company will request BSE, being the designated stock exchange, to provide the separate acquisition window ("**Acquisition Window**") to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender their Equity Shares in the Buyback. At the beginning of the tendering period, the order for buying Equity Shares shall be placed by the Company through Company's Broker.

12.5 During the tendering period, the order for selling the Equity Shares will be placed in the Acquisition Window by Eligible Shareholders through their respective stock brokers during normal trading hours of the secondary market. The stock brokers ("Seller Member(s)") can enter orders for demat shares as well as physical shares.

12.6 Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in the dematerialized form:

a. Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic/ dematerialized form under Buyback would have to do so through their respective Seller Member by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback.

b. The Seller Member would be required to place an order/bid on behalf of the Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback using the Acquisition Window of the BSE. Before placing the bid, the concerned Seller Member would be required to transfer the tendered Equity Shares to the special account of Indian Clearing Corporation Limited ("**Clearing Corporation**"), by using the settlement number and the procedure prescribed by the Clearing Corporation. This shall be validated at the time of order/bid entry.

c. The details of the special account shall be informed in the issue opening circular that will be issued by BSE or Indian Clearing Corporation Limited.

d. For custodian participant orders for demat Equity Shares early pay-in is mandatory prior to confirmation of order by custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

e. Upon placing the order, the Seller Member shall provide transaction registration slip (**"TRS"**) generated by the stock exchange bidding system to the Eligible Shareholder. TRS will contain details of order submitted like bid ID No., DP ID, client ID, no. of Equity Shares tendered, etc.

12.7 Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in the Physical form:

a. In accordance with the Frequently Asked Questions issued by SEBI, "FAQs – Tendering of physical shares in buy-back offer/ open offer/ exit offer/delisting" dated February 20, 2020, Shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in buy-back through Tender Offer route. However, such tendering shall be as per the provisions of respective regulations.

b. the procedure for tendering to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in the Physical form is as detailed below.

c. Eligible Shareholders who are holding physical Equity Shares and intend to participate in the Buyback will be required to approach the Stock Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s) duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Company) and duly witnessed at the appropriate place authorizing the transfer in favor of the Company, (iii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, and (iv) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/ specimen signature), notarized copy of death certificate and succession, certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. In addition, if the address of an Eligible Shareholder has undergone a change from the address registered in the Register of Shareholders of the Company, the shareholder would be required to submit a self-attested copy of address proof consisting of any one of the following documents: valid Aadhar Card, Voter Identity Card or Passport.

d. Based on these documents, the Stock Broker shall place the bid on behalf of the Eligible Shareholder holding Equity Shares in physical form who wishes to tender Equity Shares in the Buyback using the acquisition window of the Stock Exchanges. Upon placing the bid, the Stock Broker shall provide a TRS generated by the Stock Exchanges' bidding system to the Eligible Shareholder. The TRS will contain the details of the order submitted like folio number, certificate number, distinctive number of Equity Shares tendered etc.

e. The Stock Broker/Eligible Shareholder has to deliver the original share certificate(s) and documents (as mentioned above) along with the TRS either by registered post or courier or hand delivery to the registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited ("Registrar") (at the address mentioned at paragraph 15 below or the collection centers of the Registrar details of which will be included in the letter of offer) within 2 (two) days of bidding by the Stock Broker. The envelope should be super scribed as "Coral India Finance and Housing Limited - Buyback Offer 2020". One copy of the TRS will be retained by the Registrar and it will provide acknowledgement of the same to the Stock Broker/Eligible Shareholder.

f. Eligible Shareholders holding physical Equity Shares should note that physical Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents is submitted. Acceptance of the physical Equity Shares for the Buyback shall be subject to verification as per the Buyback Regulations and any further directions issued in this regard. The Registrar will verify such bids based on the documents submitted on a daily basis and till such time the Stock Exchanges shall display such bids as 'unconfirmed physical bids'. Once the Registrar confirms the bids, they will be treated as 'confirmed bids'

12.8 Modification/cancellation of orders will be allowed during the tendering period of the Buyback.

12.9 The cumulative quantity of Equity Shares tendered under the Buyback shall be made available on the website of the BSE (www.bseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

13. METHOD OF SETTLEMENT

Upon finalization of the basis of acceptance as per Buyback Regulations:

a. The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

b. The Company will pay the consideration to the Company's Broker on or before the pay-in date for settlement. For Equity Shares accepted under the Buyback, the Clearing Corporation will make direct funds payout to respective Eligible Shareholders. If the Eligible Shareholders' bank account details are not available or if the fund transfer instruction is rejected by Reserve Bank of India/Eligible Shareholders' bank due to any reason, then such funds will be transferred to the concerned Stock Broker's settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

c. The Equity Shares bought back in demat form would be transferred directly to the demat account of the Company opened for Buyback ("**Special Demat Account**") provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Special Demat Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of BSE.

d. The Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the depository participant (**"DP"**) account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or due to non –acceptance.

e. Excess demat Equity Shares or unaccepted demat Equity Shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be returned to them by Clearing Corporation in payout.

f. The Company's Broker would issue contract note and pay the consideration for the Equity Shares accepted under the Buyback and return the balance unaccepted Equity Shares to their respective clients. Company Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.

g. Eligible Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective Seller Member for payment to them of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Member upon the selling shareholders for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the Eligible Shareholder from their respective Seller Member, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Eligible Shareholders.

h. The Equity Shares lying to the credit of the Special Demat Account and the Equity Shares bought back and accepted in physical form will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buyback Regulation

14. COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Compliance Officer appointed for buy back for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours i.e. 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Riya Shah
Company Secretary
Coral India Finance and Housing Limited
4th Floor, Dalamal House, J. B. Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400 021;
Tel. No.: 022-22853910/11;
Fax: +022-22825752;
Email: cs@coralhousing.in;
Website: www.coralhousing.in

15. REGISTRAR TO THE BUYBACK/INVESTOR SERVICE CENTRE

In case of any queries, shareholders may also contact the Registrar to the Buyback, during office hours i.e. 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

LINK Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai - 400 083
Tel. No.: +91 22 49186200; **Fax:** +91 22 49186195;
Contact person: Sumeet Deshpande;
Email: coralindia.buyback@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in;
SEBI Registration Number: INR000004058;
CIN: U67190MH1999PTC118368.

16. MANAGER TO THE BUYBACK

INGA

INGA VENTURES PRIVATE LIMITED
1229, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg,
Opp. Telli Galli, Andheri (East), Mumbai 400069
Tel. No.: 022 26816003, **Fax No.:** 022 26816020;
Contact Person: Kavita Shah;
Email: kavita@ingaventures.com;
Website: www.ingaventures.com;
SEBI Registration No: INM000012698;
Validity: Permanent
CIN: U67100MH2018PTC318359

17. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Coral India Finance and Housing Limited

Sd/- **Navin B. Dishi** **Chairman & Managing Director** (Director Identification Number (DIN): 00232287)	Sd/- **Sharad Ratilal Mehta** **Director** Director Identification Number (DIN): 02555772	Sd/- **Riya Shah** **Company Secretary** (Membership Number: A35063)

Date: March 30, 2020 **Place: Mumbai**

PRESSMAN

www.readwhere.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF

DELTA CORP LIMITED

DELTA CORP LIMITED

Registered Office: 10, Kumar Place, 2408, General Thimayya Road, Pune, Maharashtra 411 001
Corporate Office: 2nd Floor, Bayside Mall, Tardeo Road, Haji Ali, Mumbai - 400 034
Tel: +91 22 4079 4700 | **Fax:** +91 22 4079 4777 | **Website:** www.deltacorp.in
Compliance Officer & Company Secretary: Mr. Dilip Vaidya | **E-mail:** secretarial@deltin.com
CIN: L65493PN1990PLC058817

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF DELTA CORP LIMITED FOR THE BUY-BACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED

This public announcement ("**Public Announcement**") is made in relation to the Buy-Back of equity shares (as defined below) by Delta Corp Limited ("**Company**") from BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") (together, the "**Stock Exchanges**"), pursuant to the provisions of Regulation 16(iv)(a) read with Regulation 16(iv)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("**SEBI Buy-Back Regulations**"), and contains the disclosures as specified in the applicable provisions of Schedule IV to the SEBI Buy-Back Regulations.

Certain figures contained in this Public Announcement, including financial information, have been subject to rounding-off adjustments. All decimals have been rounded off to two decimal points. In certain instances, (i) the sum or percentage change of such numbers may not conform exactly to the total figure given; and (ii) the sum of the numbers in a column or row in certain tables may not conform exactly to the total figure given for that column or row. Further, certain numerical information in this Public Announcement has been presented in 'crore'. One crore represents 10 million, i.e. 10,000,000.

1. **DETAILS OF BUY-BACK OFFER AND OFFER PRICE**

1.1 The board of directors of the Company ("**Board**" or "**Board of Directors**", which expression includes any committee duly constituted by the Board to exercise its powers, and/or the powers conferred by the Board resolution), at their meeting held on March 28, 2020 ("**Board Meeting**"), has by way of a resolution ("**Resolution**") and subject to the approvals of such statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, approved the proposal for Buy-Back of its fully paid-up equity shares of face value of ₹ 1 each ("**Equity Shares**") from the members of the Company (other than the promoters, promoter group and persons in control of the Company), under the open market route through the stock exchanges, in accordance with Companies Act, 2013, as amended ("**Companies Act**") and the applicable rules thereunder and the SEBI Buy-Back Regulations (the transaction/process herein after referred to as the "**Buy-Back**") in accordance with Article 56 of the Articles of Association of the Company, the provisions of Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013, as amended ("**Companies Act**") and the applicable rules thereunder, in compliance with the SEBI Buy-Back Regulations and subject to such other approvals, permissions, sanctions and filings as may be necessary under the SEBI Buy-Back Regulations, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("**SEBI Listing Regulations**"), Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), Registrar of Companies, Maharashtra at Pune ("**ROC**"), Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed etc. as may be required and further subject to such conditions as may be prescribed while granting such Board approval which may be agreed by the Board of Directors of the Company.

1.2 The Board has through its Resolution, approved the Buy-Back by the Company of its fully paid-up Equity Shares for an aggregate amount not exceeding ₹ 125,00,00,000 (Rupees One Hundred and Twenty Five Crore Only) ("**Maximum Buy-Back Size**"), being 7.63% and 7.59% of the total paid-up share capital and free reserves of the Company based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company respectively, as at March 31, 2019 (being the date of the last audited financial statements of the Company), for a price not exceeding ₹ 100 per Equity Share ("**Maximum Buy-Back Price**") from all members of the Company excluding promoters, promoter group and persons who are in control of the Company. The Maximum Buy-Back Size does not include transaction costs, namely applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, filing fees, advisors' fees, brokerage, public announcement expense and other incidental and related expenses for the Buy-Back ("**Transaction Costs**"). The Buy-Back period extends from March 28, 2020, i.e., the date of the Board Meeting to the date on which the final payment of consideration for the Equity Shares bought back by the Company is made ("**Buy-Back Period**").

1.3 The aggregate maximum amount of the Buy-Back is less than 10% of the total paid-up capital and free reserves of the Company. The Company will comply with the requirement of maintaining a minimum public shareholding of at least 25% of the total paid-up equity share capital of the Company as provided under Regulation 38 of the SEBI Listing Regulations during the Buy-Back Period and upon completion thereof.

1.4 The funds for the implementation of the Buyback will be sourced out of the internal accruals of the Company or such other source as may be permitted by the SEBI Buyback Regulations or the Companies Act. Further, as required under the Companies Act and SEBI Buy-Back Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are locked-in or non-transferable, in the Buy-Back, until the pendency of the lock-in or until the Equity Shares become transferable, as applicable. There are no partly paid-up Equity Shares with calls in arrears of the Company on standalone and consolidated basis.

1.5 A copy of this Public Announcement is available on Company's website (http:// www.deltacorp.in/) and is expected to be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), the manager appointed by the Company (https://www.motilaloswal.com/) and the stock exchanges, during the Buy-Back Period.

2. **NECESSITY FOR THE BUY-BACK**

2.1 In continuation of the Company's efforts to effectively utilize its resources, it is proposed to Buy-Back its own Equity Shares for an aggregate amount not exceeding the Maximum Buy-Back Size being 7.64% and 7.59% of the paid-up share capital and free reserves based on the last audited financial statements of the Company as at March 31, 2019 on a standalone and consolidated basis respectively, from the open market through Stock Exchanges. Having regard to the healthy cash flows that the Company has been able to consistently generate, the future projected cash flows of the Company and the anticipated funds required for capital expenditure and working capital to meet the expected future growth of the Company, the Buy-Back is expected to achieve the following objectives:

(a) Reduce the outstanding number of Equity Shares and consequently increase earnings per share ("**EPS**") over a period of time;

(b) Effectively utilize available cash; and

(c) Improve key return ratios like return on net worth, return on assets etc. over a period of time.

The Company believes that the Buy-Back will create long term value for its shareholders. The Buy-Back is not likely to cause any material impact on the profitability/ earnings of the Company except a reduction in the investment income, which the Company could have otherwise earned on the amount distributed towards the Buy-Back. The Buy-Back will not in any manner impair the ability of the Company to pursue growth opportunities or meet its cash requirements for business operations and for continued capital investment, as and when required.

2.2 At the Maximum Buy-Back Price and for Maximum Buy-Back Size, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 1,25,00,000 (One Crore Twenty Five Lakhs Only) Equity Shares ("**Maximum Buy-Back Shares**"). If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buy-Back Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the Maximum Buy-Back Shares, but will always be subject to the Maximum Buy-Back Size.

2.3 Further, in accordance with Regulation 15 of the SEBI Buy-Back Regulations, the Company shall utilize at least 50% of the amount earmarked as the Maximum Buy-Back Size for the Buy-Back, i.e. ₹ 62.50 crore ("**Minimum Buy-Back Size**") and based on the Minimum Buy-Back Size and the Maximum Buy-Back Price, the Company will purchase a minimum of 62,50,000 (Sixty Two Lakh Fifty Thousand) Equity Shares ("**Minimum Buy-Back Shares**") in the Buy-Back.

2.4 The actual number of Equity Shares bought back during the Buy-Back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buy-Back, subject to the Maximum Buy-Back Size. The actual reduction in outstanding number of Equity Shares would depend upon the price at which the Equity Shares of the Company are traded at the Stock Exchanges as well as the total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the Buy-Back Period.

3. **BASIS FOR ARRIVING AT THE MAXIMUM BUY-BACK PRICE AND OTHER DETAILS**

3.1 The Maximum Buy-Back Price of ₹ 100 per Equity Share has been arrived at after considering various factors, including average of the weekly high and low of the closing share price of the Equity Shares of the Company on the Stock Exchanges, the net worth of the Company and the potential impact of the Buy-Back on the EPS of the Company. The Maximum Buy-Back Price excludes the Transaction Costs.

3.2 The Maximum Buy-Back Price is at a premium of 76.06% and 76.69% over the closing prices on BSE and the NSE i.e. ₹ 56.80 and ₹ 56.60 respectively, on March 24, 2020 which is one trading day prior to the date on which the notice of the Board Meeting to consider the Buy-Back proposal was intimated to BSE and NSE. The Maximum Buy-Back Price is at a premium of 27.13% and 27.00%, compared to the average of the weekly high and low of the closing prices of the Equity Shares of the Company on the Stock Exchanges during the two weeks preceding the date of the Board Meeting on BSE and NSE respectively.

3.3 The Buy-Back is proposed to be completed within a maximum period of six months from the date of opening of the Buy-Back. Subject to the Maximum Buy-Back Price of ₹ 100 (Rupees Hundred only) per Equity Share for the Buy-Back and maximum validity period of six (6) months from the date of opening of the Buy-Back and achievement of the Minimum Buy-Back Size, the actual time frame and the price for the Buy-Back will be determined by the Board or the authorized representatives of the Board, at their discretion, in accordance with SEBI Buy-Back Regulations.

3.4 The amount required by the Company for the Buy-Back (including the cost of financing the Buy-Back and the Transaction Costs) will be from the internal accruals of the Company or such other source as may be permitted by the Buyback Regulations or the Companies Act. The Company confirms that as required under Section 68(2)(d) of the Companies Act and under Regulation 4(ii)(a) of the SEBI Buy-Back Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves post Buy-Back, both on a standalone basis and consolidated basis.

4. **PROMOTER SHAREHOLDING AND OTHER DETAILS**

4.1 Details of aggregate shareholding of the promoter, promoter group and of the directors of the corporate promoters, and of persons who are in control of the Company as on the date of Board Meeting approving the Buy-Back and as on the date of this Public Announcement is as below:

S. No	Name of the Promoters/Promoter Group / Persons in control	Number of Equity Shares%	Equity Shareholding in the Company
1	Kalpana Singhania	1,47,044	0.05%
2	Ambika Singhania	1,18,423	0.04%
3	Gopika Singhania	1,09,663	0.04%
4	Urvi Piramal A	40,000	0.01%
5	Jaydev Mukund Mody	200	0.00%
6	Aarti Pandit Family Private Limited (Formerly Known as Aryanish Finance and Investments Private Limited) in the capacity of trustee of Aarti J Mody Trust	2,93,93,330	10.85%
7	Anjali Mody Family Private Limited (Formerly Known as Delta Real Estate Consultancy Private Limited) in the capacity of trustee of Anjali J Mody Trust	2,93,93,330	10.85%
8	Aditi Mody Family Private Limited (Formerly Known as Bayside Property Developers Private Limited) in the capacity of trustee of Aditi J Mody Trust	2,93,93,330	10.85%
9	Highland Resorts LLP	2,02,120	0.07%
	Total	**8,87,97,440**	**32.77%**

4.2 Except as mentioned below, the promoter, promoter group and the directors of the corporate promoters, and persons who are in control of the Company have not purchased or sold any Equity Shares during a period of twelve (12) months preceding the date of the Public Announcement i.e. March 30, 2020 and six (6) months preceding the date of the Board Meeting i.e. March 28, 2020:

Name	Aggregate no. of shares purchased or sold	Nature of transaction	Minimum Price (₹)	Date of minimum price	Maximum Price (₹)	Date of Maximum Price
Highland Resorts LLP (Promoter Group)	10,000	Disposal (Gift)	NA	NA	NA	NA
Kalpana Singhania (Promoter Group)	5000	Acquisition (Gift)	NA	NA	NA	NA
Urvi Piramal A (Promoter Group)	5000	Acquisition (Gift)	NA	NA	NA	NA

5. **PARTICIPATION BY PROMOTERS:** In accordance with the provisions of Regulation 16(ii) of the SEBI Buy-Back Regulations, the Buy-Back shall not be made by the Company from the promoters or persons in control of the Company. Further, in accordance with Regulation 24(i)(e) of the SEBI Buy-Back Regulations, the promoters or their associates shall not deal in the shares or other specified securities of the Company in the stock exchange or off-market, including inter-se transfer of shares, during the period from the date of Board approval till the closing of the Buy-Back.

6. **NO DEFAULTS :** The Company confirms that there are no defaults subsisting in the repayment of deposits or interest payable thereon, redemption of debentures or preference shares, payment of dividend to any shareholder or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institution or banking company.

7. **CONFIRMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY**

7.1 The Board has confirmed on the date of the Board Meeting, i.e. March 28, 2020 that they have made full inquiry into the affairs and prospects of the Company and that they have formed the opinion:

7.1.1 that immediately following the meeting of the Board of Directors is convened there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts;

7.1.2 as regards the Company's prospects for the year immediately following the date that, having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will in their view be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from that; and

7.1.3 in forming its opinion aforesaid, the directors shall take into account the liabilities as if the Company was being wound up under the provisions of the Companies Act or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (including prospective and contingent liabilities).

8. **REPORT BY THE COMPANY'S AUDITORS**

The text of the report dated March 30, 2020 received from M/s Walker Chandiok & Co LLP, the statutory auditor of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

Quote

Independent Auditor's Report on proposed Buy-Back of equity shares pursuant to the requirements of clause (xi) of the Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended

To,

The Board of Directors, Delta Corp Limited

2nd Floor, Bayside Mall, Opp. Sobo Central Mall, Tardeo Road, Haji Ali, Mumbai - 400 034

1. This report is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated 26 March 2020 with Delta Corp Limited (**the 'Company'**).

2. The management of the Company has prepared the accompanying Annexure A- Statement of permissible capital payment as on 31 March 2019 ('the Statement') pursuant to the proposed Buy-Back of equity shares approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 28 March 2020, in accordance with the provisions of sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 (**'the Act'**) and the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (**'the SEBI Buy-Back regulations**). The Statement contains the computation of amount of permissible capital payment towards Buy-Back of equity shares in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act read with the proviso to section 68(2)(b), Regulation 4(i), proviso to Regulation 4(iv) and proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buy-Back regulations and based on the latest audited consolidated and standalone financial statements for the year ended 31 March 2019. We have initialed the Statement for identification purposes only.

Management's Responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act read with the proviso to section 68(2)(b), Regulation 4(i), proviso to Regulation 4(iv) and proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buy-Back regulations and ensuring compliance with the SEBI Buy-Back regulations, is the responsibility of the management of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

4. The Board of Directors is also responsible to make a full inquiry into the affairs and prospects of the Company and to form an opinion on reasonable grounds that the Company will be able to pay its debts from the date of Board meeting at which the proposal for Buy-Back was approved; and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board meeting at which the proposal for Buy-Back was approved by the Board of Directors of the Company, and in forming the opinion, it has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company were being wound up under the provisions of the Act or the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Further, a declaration is required to be signed by at least two directors of the Company in this respect in accordance with the requirements of the section 68(6) of the Act and the SEBI Buy-Back regulations.

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of the SEBI Buy-Back regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance on whether:

a) we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the audited standalone and consolidated financial statements for the year ended 31 March 2019;

b) the amount of permissible capital payment, as stated in the Statement, has been properly determined considering the audited standalone and consolidated financial statements for the year ended 31 March 2019 in accordance with section 68(2)(c) of the Act read with the proviso to section 68(2)(b), Regulation 4(i), proviso to Regulation 4(iv) and proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buy-Back regulations;

c) the Board of Directors of the Company, in its meeting dated 28 March 2020, has formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buy-Back regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing of the Board meeting resolution dated 28 March 2020.

6. The audited standalone and consolidated financial statements, referred to in paragraph 5 above, have been audited by us, on which we have issued unmodified audit opinion vide our report dated 8 April 2019. Our audit of these financial statements was conducted in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013 and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (**the 'ICAI'**). Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Such audit was not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that maybe of potential interest to third parties.

7. We conducted our examination of the Statement in accordance with the 'Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes' ('**Guidance Note**'), issued by the ICAI. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements, issued by the ICAI.

9. A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the matters mentioned in paragraph 5 above. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks associated with the matters mentioned in paragraph 5 above. We have performed the following procedures in relation to the matters mentioned in paragraph 5 above:

a) Inquired into the state of affairs of the Company in relation to the audited standalone and consolidated financial statements for the year ended 31 March 2019;

b) Examined the authorisation for buy back from the Articles of Association of the Company;

c) Agreed the balance of the Statement of Profit and Loss, Securities Premium Account and General Reserve as at 31 March 2019 as disclosed in the Statement with the audited standalone and consolidated financial statements;

d) Examined that the ratio of secured and unsecured debt owed by the Company, if any, is not more than twice the capital and free reserves after such Buy-Back;

e) Examined that all the shares for Buy-Back are fully paid-up;

f) Examined that the amount of permissible capital payment for the Buy-Back as detailed in the Statement is within the permissible limit computed in accordance with section 68(2)(c) of the Act read with the proviso to section 68(2)(b), Regulation 4(i), proviso to Regulation 4(iv) and proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buy-Back regulations;

g) Inquired if the Board of Directors of the Company, in its meeting held on 28 March 2020 has formed an opinion as specified in Clause (x) of Schedule I to the SEBI Buy-Back regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the aforesaid date of the board meeting;

h) Examined minutes of the meetings of the Board of Directors;

i) Examined the Directors' declarations for the purpose of Buy-Back and solvency of the Company;

j) Verified the arithmetical accuracy of the Statement; and

k) Obtained appropriate representations from the management of the Company.

Opinion

10. Based on our examination as above and the information, explanations and representations provided to us by the management, in our opinion:

a) we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to audited standalone and audited consolidated financial statements as at and for the year ended 31 March 2019;

b) the amount of the permissible capital payment towards the proposed Buy-Back of equity shares as computed in the accompanying Statement, is properly determined in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act read with the proviso to section 68(2)(b), Regulation 4(i), proviso to Regulation 4(iv) and proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buy-Back regulations based on the audited standalone and consolidated financial statements as at and for the year ended 31 March 2019;

c) the Board of Directors of the Company, in its meeting held on 28 March 2020 has formed an opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buy-Back regulations, on reasonable grounds and that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the aforesaid date.

Restriction on distribution or us

11. Our work was performed solely to assist you in meeting your responsibilities in relation to your compliance with the provisions of section 68 and other applicable provisions of the Act and the SEBI Buy-Back regulations, pursuant to the proposed Buy-Back of equity shares. Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability are in no way changed by, any other role we may have had as auditors of the Company or otherwise. Nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as statutory auditors of the Company.

12. This report is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company solely for the purpose of enabling it to comply with the aforesaid requirements and to include this report, pursuant to the requirements of the SEBI Buy-Back regulations, (a) in the public announcement to be made to the shareholders of the Company; (b) to be filed with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited as required by the SEBI Buy-Back regulations, the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (c) for providing to the manager to the Buy-Back, each for the purpose of extinguishment of equity shares. Accordingly, this report may not be suitable for any other purpose, and therefore, should not be used, referred to or distributed for any other purpose or to any other party without our prior written consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose for which or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior written consent.

For **Walker Chandiok & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 001076N/N500013
Khushroo B. Panthaky
Partner
Membership No. 042423
UDIN: 20042423AAAABS4300
Place: Mumbai
Date: 30 March 2020

Annexure A - Statement of Permissible Capital Payment

Computation of amount of permissible capital payment towards buy back of equity shares in accordance with Section 68(2)(c) read with proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, 2013 ("the Act") based on audited standalone and consolidated financial statements as at March 31, 2019

(₹ in crore)

Particulars	Standalone	Consolidated
Paid up Equity Share Capital as at March 31, 2019 (A)	27.09	27.09
Free Reserves as at March 31, 2019		
Retained Earnings	394.66	403.43
General Reserve	51.21	51.21
Share Premium Account	1,166.09	1,166.09
Total Free Reserves (B)	1,611.96	1,620.73
Total (A) + (B)	1,639.05	1,647.82
Maximum amount permissible for buy back under section 68 of the Companies Act, 2013 i.e. 25% of total paid-up equity capital and free reserves	409.76	411.96
Maximum amount permissible for buy back under section 68 of the Companies Act, 2013 within the powers of the Board of Directors - 10% of total paid-up equity and free reserves.	163.91	164.78

Unquote

9. **DATE OF BOARD APPROVAL:** The Board approval for the Buy-Back was granted on March 28, 2020.

10. **MINIMUM AND MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES PROPOSED TO BE BOUGHT BACK, SOURCES OF FUNDS AND COST OF FINANCING THE BUY-BACK**

10.1 Based on the Minimum Buy-Back Size and the Maximum Buy-Back Price, the Company will purchase a indicative minimum of 62,50,000 (Sixty Two Lakh Fifty Thousand) Equity Shares ("**Minimum Buy-Back Shares**") and based on Maximum Buy-Back Size and the Maximum Buy-Back Price, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 1,25,00,000 (One Crore Twenty Five Lakh Only) Equity Shares ("**Maximum Buy-Back Shares**"). If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buy-Back Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buy-Back Shares or Minimum Buy-Back Shares but will always be subject to the Maximum Buy-Back Size. Further, the number of Equity Shares bought back will not exceed 25% of the total paid-up equity capital of the Company as on date.

10.2 The Company proposes to implement the Buy-Back out of its free reserves. The amount required by the Company for the Buy-Back (including the cost of financing the Buy-Back and the Transaction Costs) will be utilised from the internal accruals of the Company or such other source as may be permitted by the Buyback Regulations or the Companies Act.

10.3 In continuation of the Company's efforts to effectively utilize its resources, it is proposed to Buy-Back up to 7.64% and 7.59% of the paid-up share capital and free reserves based on the audited financial statements of the Company as at March 31, 2019 on standalone and consolidated basis respectively, from the open market through the Stock Exchanges. The Buy-Back of Equity Shares will result in a reduction in number of shares accompanied by a likely increase in EPS and return on capital employed. The Company believes that the Buy-Back will create long term value for continuing shareholders. The Buy-Back is not likely to cause any material impact on the profitability/ earnings of the Company except a reduction in the investment income, which the Company could have otherwise earned on the amount distributed towards the Buy-Back. The Buy-Back will not in any manner impair the ability of the Company to pursue growth opportunities or meet its cash requirements for business operations and for continued capital investment, as and when required.

11. **PROPOSED TIMETABLE FOR BUY-BACK**

Activity	Date
Date of Board Approval	March 28, 2020
Date of publication of the Public Announcement	March 31, 2020
Date of commencement of the Buy-Back	April 8, 2020
Acceptance of Equity Shares accepted in dematerialized mode	Upon the relevant pay-out by the Stock Exchanges.
Extinguishment of Equity Shares/certificates	In case the Equity Shares bought back are in dematerialized form, the same will be extinguished in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 and the bye-laws framed thereunder. The Company shall ensure that all the Equity Shares bought back are extinguished within seven (7) days of the expiry of the Buy-Back Period.
Last Date for the Buy-Back	Earlier of: October 7, 2020 (i.e., six (6) months from the date of the opening of the Buy-Back); or when the Company completes the Buy-Back by deploying the amount equivalent to the Maximum Buy-Back Size; or at such earlier date as may be determined by the Board / or its duly authorized Buy-Back committee, after giving notice of such earlier closure, subject to the Company having deployed an amount equivalent to the Minimum Buy-Back Size (even if the Maximum Buy-Back Size has not been reached or the Maximum Buy-Back Shares have not been bought back), however, that all payment obligations relating to the shares bought back shall be completed before the last date for the Buy-Back.

12. **PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUY-BACK**

12.1 The Buy-Back is open to all Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares in dematerialised form ("**Demat Shares**"). Shareholders holding shares in physical form can participate in the Buy-Back after such Equity Shares are dematerialized by approaching depository participant.

12.2 Further, as required under the Companies Act and SEBI Buy-Back Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are partly paid-up, Equity Shares with call-in-arrears, locked-in Equity Shares or non- transferable Equity Shares, in the Buy-Back, until they become fully paid-up, or until the pendency of the lock-in, or until the Equity Shares become transferable, as applicable.

12.3 The Buy-Back will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges, through the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the SEBI Buy-Back Regulations.

12.4 In relation to the Buy-Back of dematerialised Equity Shares, the execution of the order, issuance of contract note and delivery of the stock to the member and receipt of payment would be carried out by the broker, appointed by the Company, in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and SEBI.

12.5 For the implementation of the Buy-Back, the Company has appointed Motilal Oswal Financial Services Limited as the registered broker ("**Company's Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Buy-Back would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:

MOTILAL OSWAL

Motilal Oswal Financial Services Limited
Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Prabhadevi - Mumbai - 400 025.
Contact Person: Krishna Sharma | **Contact Number:** +91 2271985473
Email: ksharma@motilaloswal.com
CIN: L67190MH2005PLC153397 | **SEBI Registration No:** INZ000158836

12.6 The Equity Shares are traded in compulsory dematerialised mode under the trading code(s) 532848 at BSE and DELTACORP at NSE. The ISIN of the Equity Shares of the Company INE124G01033. For detailed procedure with respect to tendering of shares, Stock Exchanges will be issuing notice with detailed procedures. Sellers may refer the notice to understand procedure on how to tender the shares in this buyback.

12.7 The Company, shall, commencing from April 8, 2020 (i.e., the date of opening of the Buy-Back), place "buy" orders on the BSE and/or NSE on the normal trading segment to Buy-Back the Equity Shares through the Company's Broker in such quantity and at such price, not exceeding the Maximum Buy-Back Price of ₹ 100 (Rupees Hundred only) per Equity Share, as it may deem fit, depending upon the prevailing market price of the Equity Shares on the Stock Exchanges. When the Company has placed an order for Buy-Back of Equity Shares, the identity of the Company as a purchaser would be available to the market participants of the Stock Exchanges.

12.8 **Procedure for Buy-Back of Demat Shares:** Beneficial owners holding Demat Shares who desire to sell their Equity Shares in the Buy-Back, would have to do so through their stock broker, who is a registered member of either of the Stock Exchanges by indicating to their broker the details of the equity shares they intend to sell whenever the Company has placed a "buy" order for Buy-Back of the equity shares. The Company shall place a "buy" order for Buy-Back of Demat Shares, by indicating to the Company's Broker, the number of Equity Shares it intends to buy along with a price for the same. The trade would be executed at the price at which the order matches the price tendered by the beneficial owners and that price would be the Buy-Back price for that beneficial owner. The execution of the order, issuance of contract note and delivery of the stock to the member and receipt of payment would be carried out by the Company's Broker in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and SEBI.

12.9 The Buyback from the Eligible Shareholders who are residents outside India including foreign corporate bodies (including erstwhile overseas corporate bodies), foreign portfolio investors, non-resident Indians, members of foreign nationality, if any, shall be subject to the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any, Income Tax Act, 1961 and rules and regulations framed thereunder, as applicable, and also subject to the receipt / provision by such Eligible Shareholders of such approvals, if and to the extent necessary or required from concerned authorities including, but not limited to, approvals from the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any.

12.10 It may be noted that a uniform price would not be paid to all the shareholders/beneficial owners pursuant to the Buy-Back and that the same would depend on the price at which the trade with that shareholder/beneficial owner was executed on Stock Exchanges.

12.11 **Procedure for Buy-Back of Physical Shares:** All Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares in physical form should note that pursuant to provisions of the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI Listing Regulations read with press release no. 12/2019 dated March 27, 2019 issued by SEBI, with effect from April 1, 2019, the request for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository. Accordingly, the Company shall not accept the Equity Shares tendered under the Buy-Back unless such Equity Shares are in dematerialised form.

12.12 **ACCORDINGLY, ALL ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AND DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES ARE ADVISED TO APPROACH THE CONCERNED DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED. IN CASE ANY ELIGIBLE SHAREHOLDER HAS SUBMITTED EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION, SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS SHOULD ENSURE THAT THE PROCESS OF DEMATERIALIZATION IS COMPLETED WELL IN TIME SO THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE BUY-BACK BEFORE BUY-BACK CLOSING DATE.**

12.13 Shareholders are requested to get in touch with the Manager to the Buy-Back or the Company's Broker or the Investor Service Centre to clarify any doubts in the process.

12.14 Subject to the Company purchasing Equity Shares for an amount equivalent to the Minimum Buy-Back Size, nothing contained herein shall create any obligation on the part of the Company or the Board to Buy-Back any Equity Shares or confer any right on the part of any shareholder to have any Equity Shares bought back, even if the Maximum Buy-Back Size has not been reached, and/or impair any power of the Company or the Board to terminate any process in relation to the Buy-Back, to the extent permissible by law. If the Company is not able to complete the Buy-Back equivalent to the Minimum Buy-Back Size, the amount held in the Escrow Account up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buy-Back Size, shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the SEBI Buy-Back Regulations.

12.15 The Company shall submit the information regarding the Equity Shares bought back by it, to the Stock Exchanges on a daily basis in accordance with the SEBI Buy-Back Regulations. The Company shall also upload the information regarding the Equity Shares bought back by it on its website (https://www.deltacorp.in/) on a daily basis.

12.16 Eligible Sellers who intend to participate in the Buyback should consult their respective tax advisors for applicable taxes.

13. **METHOD OF SETTLEMENT**

13.1 Settlement of Demat Shares: The Company will pay consideration for the Buy-Back to the Company's Broker on or before every pay-in date for each settlement, as applicable to the respective Stock Exchanges where the transaction is executed. The Company has opened a depository account titled "**DELTA CORP LIMITED BUYBACK OFFER 2020**" with Motilal Oswal Financial Services Limited ("**Buy-Back Demat Account**"). Demat Shares bought back by the Company will be transferred into the Buy-Back Demat Account by the Company's Broker, on receipt of such Demat Shares and after completion of the clearing and settlement obligations of the Stock Exchanges. Beneficial owners holding Demat Shares would be required to transfer

www.readwhere.com

सूचकांक ने लगाया 1,375 अंक का गोता

बैंक और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में गिरावट

मुंबई, 30 मार्च (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सोमवार को 1,375 अंक का गोता लगा गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बैंक, वित्त और वाहन कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के साथ यह गिरावट आई।

विभिन्न रेटिंग एजंसियों के देश की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम किए जाने से निवेशक जोखिमपूर्ण संपत्ति से बाहर निकल रहे हैं। तीस शेयरों वाला सूचकांक कारोबार के दौरान 1,500 अंक से अधिक नीचे आ गया था। लेकिन अंत में यह 1,375.27 अंक लुढ़क कर 28,440.32 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 379.15 अंक का गोता लगाकर 8,281.10 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में बजाज फाइनेंस रही। इसमें करीब 12 फीसद की गिरावट आई। उसके बाद क्रम से दोनों एचडीएफसी (एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक), टाटा स्टील, आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक बैंक और मारुति का स्थान रहा। इनमें 10.92 फीसद तक की गिरावट आई। सूचकांक में शामिल शेयरों में से केवल छह लाभ में रहे जिनमें टेक महिंद्रा (4.94 फीसद), नेस्ले इंडिया (4.49 फीसद), एक्सिस बैंक (2.50 फीसद) और एचयूएल (2.19 फीसद) प्रमुख हैं।

एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई, हांगकांग, जापान का टोक्यो और सोल नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 4.47 फीसद गिरकर 26.70 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

फिच सोल्यूशंस और इंडिया रेटिंग्स ने घटाया भारत की वृद्धि दर का अनुमान

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

साख निर्धारण और अन्य सेवाएं देने वाली एजंसी फिच सोल्यूशंस ने सोमवार को 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम कर 4.6 फीसद कर दिया है। कारोना महामारी के कारण निजी खपत कमजोर पड़ने और निवेश में कमी को देखते हुए एजंसी ने यह कदम उठाया है। कोरोना विषाणु का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर देखा जा रहा है।

फिच ने मंगलवार को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के 4.9 फीसद रहने का अनुमान जताया है। इस बीच, इंडिया रेटिंग्स ने भी अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 3.6 फीसद कर दिया है। फिच सोल्यूशंस ने कहा कि 2020-21 के लिए वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 4.6 रहने का अनुमान है जबकि पूर्व में इसके 5.4 फीसद रहने की संभावना जताई गई थी। हमने 2019-20 में 4.9 फीसद आर्थिक वृद्धि अनुमान के जरिए जो नरमी की बात कही थी, वह अब दिखाई दे रही है।

फिच सोल्यूशंस ने कहा कि पिछले सप्ताह घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बावजूद आने वाले महीनों में निजी खपत में वृद्धि प्रभावित होने की आशंका है। एजंसी के अनुसार वृद्धि का अनुमान कम करने का कारण निजी खपत में कमी और निवेश में गिरावट है। हालांकि, शुद्ध रूप से निर्यात योगदान अधिक होने और उच्च सरकारी खपत से कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलनी चाहिए।

उसने यह भी कहा कि भारत में कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए अनुमान के और नीचे आने का जोखिम है। ऐसी आशंका है कि कोरोना के जो मामले दिख रहे हैं, वे अपेक्षाकृत कम हैं और यह फिलहाल शुरुआत लगती है। फिच ने कहा कि कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली के साथ पहले से दबाव झेल रही स्वास्थ्य सुविधाएं भारत की संक्रमण को रोकने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। इन सबका अर्थव्यवस्था खासकर 2020-21 की दूसरी छमाही में काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। पिछले हफ्ते स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 से घटाकर 5.2 फीसद कर दिया था।

घरेलू रेटिंग एजंसी इंडिया रेटिंग्स ने भी कोरोना महामारी को लेकर बढ़ रही चिंता के बीच 2020-21 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 3.6 फीसद कर दिया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जून तिमाही में वृद्धि दर 2.3 फीसद ही रहने की आशंका है जबकि चालू वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में यह 4.7 फीसद रह सकती है। एजंसी ने कहा कि कोरोना महामारी का स्पष्ट प्रभाव चुनिंदा विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन बाधित होने के रूप दिख रहा है। इसका कारण आपूर्ति शृंखला टूटना और पर्यटन, होटल व विमानन क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ना है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस तीन महीने के लिए 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का 50-50 लाख का बीमा करेगा

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

न्यू इंडिया एश्योरेंस को देशभर में डाक्टर और नर्स समेत स्वास्थ्य सेवा से जुड़े करीब 22 लाख लोगों को 50-50 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में दिन-रात जुटे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तहत डाक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को 50-50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा है कि वित्त मंत्री ने 26 मार्च को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो घोषणा की थी, उस बारे में न्यू इंडिया एश्योरेंस ने देशभर में 22.12 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 50-50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है। डाक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी, साफ-सफाई से जुड़े कर्मचारी समेत कुछ अन्य बीमा कवर के दायरे में आएंगे। सीतारमण ने कहा था कि बीमा कवर तीन महीने के लिए होगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र में न्यू इंडिया एश्योरेंस ने कहा कि जोखिम कवर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगा। बीमा कंपनी के अनुसार प्रीमियम भुगतान प्रक्रिया शुरू हो गई है। पॉलिसी के तहत कोरोना बीमारी के कारण मौत समेत व्यक्तिगत दुर्घटना कवर दिया जाएगा। दावा प्रक्रिया के संदर्भ में कहा गया है कि बीमा कंपनी, वित्तीय सेवा विभाग और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय सरल और सुगम मानक प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। सीतारमण ने योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि सफाई कर्मचारी, वार्ड ब्वाय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल कर्मचारी, टेक्नीशियन, डाक्टर और विशेषज्ञ व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी विशेष बीमा योजना के दायरे में आएंगे।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण ब्याज दरों में की 0.75 फीसद की कटौती

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुदरा, निजी और सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योग ऋण के लिए ब्याज दर में 0.75 फीसद की कटौती की है। इसके बाद यह ऋण ब्याज दर 7.25 फीसद तक आ गई है जो 28 मार्च से मान्य है।

बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने अपनी रेपो दर से जुड़ी ऋण ब्याज दर (आरएलएलआर) को 0.75 फीसद घटा दिया है। रिजर्व बैंक के हाल में रेपो दर को 5.15 फीसद से घटाकर 4.40 फीसद करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी ब्याज दर में कटौती की है। बैंक ने कहा कि सभी तरह के खुदरा और निजी ऋण पर 28 मार्च, 2020 से 7.25 फीसद ब्याज दर ली जाएगी।

बैंक के मुख्य कार्यकारी विक्रमादित्य सिंह खिची ने कहा कि रिजर्व बैंक के ब्याज दरों में कटौती को बैंक ऑफ बड़ौदा ने तत्काल ग्राहकों तक पहुंचाने का काम किया है। हम अपने ग्राहकों के आगे आकर ऋण लेने को प्रोत्साहित करते हैं। हमारा बैंक आसान तरीके से उनकी ऋण जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन देता है।

---

the number of such Demat Shares sold to the Company pursuant to the Buy-Back, in favour of their stock broker through whom the trade was executed, by tendering the delivery instruction slip to their respective depository participant ("**DP**") for debiting their beneficiary account maintained with the DP and crediting the same to the broker's pool account as per procedure applicable to normal secondary market transactions. The beneficial owners would also be required to provide to the Company's Broker copies of all statutory consents and approvals required to be obtained by them for the transfer of their Equity Shares to the Company.

13.2 Extinguishment of Demat Shares: The Demat Shares bought back by the Company shall be extinguished and destroyed in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depository and Participants) Regulations, 2018 and its bye-laws, in the manner specified in the SEBI Buy-Back Regulations and the Companies Act. The Equity Shares lying in credit in the Buy-Back Demat Account will be extinguished within fifteen (15) days of acceptance of the Demat Shares. The Company undertakes to ensure that all Demat Shares bought back by the Company are extinguished within seven (7) days of expiry of the Buy-Back Period.

13.3 Consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid only by way of cash through normal banking channel

14. BRIEF INFORMATION ABOUT THE COMPANY

14.1 The Company was originally incorporated as a private limited company under the name of 'Creole Holdings Company Private Limited' on November 5,1990, under the Companies Act, 1956. With effect from June 2, 1992, the Company was converted into a deemed public limited company and the name was changed to Creole Holdings Company Limited. Subsequently, on October 22, 2003 the Company was converted into a private limited company and, on December 14, 2006, the Company was converted into a public limited company. On May 18, 2007, pursuant to a fresh certificate of incorporation and in terms of the scheme of arrangement and amalgamation of the erstwhile Arrow Webtex Limited with the Company, our name was changed from Creole Holdings Company Limited to 'Arrow Webtex Limited'. Further, pursuant to a fresh certificate of incorporation dated October 31, 2008 issued by the Registrar of Companies, at Pune and in terms of the scheme of arrangement between the Company and erstwhile Arrow Textiles Limited, the name of the Company was changed from 'Arrow Webtex Limited' to 'Delta Corp Limited'.

14.2 Delta Corp Limited is engaged in the casino (electronic and live) gaming industry in India and operates in the offshore casino gaming space (based on gaming positions and number of vessels). The Company, along with its subsidiaries, currently own and operate casinos in India in the states of Goa and Sikkim, offering a total of approximately 1,800+ gaming positions in addition to its presence in the online skill gaming space. The Company holds three of the six offshore gaming licenses issued in Goa and also operates one land based casino in Goa and one in Sikkim. The Company operates Deltin Royale and Deltin JAQK, amongst the country's two largest offshore casinos, and Deltin Caravela, the only floating hotel with a casino in India. The Company also owns and operates the Deltin Suites, a 106 room, all-suite hotel with a casino located in Goa. The Company also operates the Casino Deltin Denzong located at the Denzong Regency hotel in Gangtok, Sikkim. We also own and operate The Deltin, a 176 room five-star hotel in Daman.

15. FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

15.1 The Company prepares its financial statements in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with the relevant rules issued thereunder ("**Ind AS**"). Financial information on the basis of audited standalone financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 and the unaudited limited reviewed standalone financial statements for the six (6) months ended September 30, 2019 (H1FY20) provided hereunder:

Particulars (₹ in crore)	H1 FY20	FY 19	FY 18	FY 17
Revenue from Operations	235.97	475.32	375.80	277.93
Other Income	18.79	66.28	24.10	4.86
Total Income	**257.76**	**541.60**	**399.90**	**282.79**
Total Expense (Excluding Interest, Depreciation and Exceptional Items)	130.09	264.77	219.38	180.79
Finance Costs	1.04	0.80	4.63	13.55
Depreciation & Amortization	10.51	16.18	14.64	12.05
Profit Before Exceptional Items and Tax	**116.12**	**259.85**	**161.25**	**76.39**
Exceptional Items	-	-	-1.02	0.02
Profit Before Tax	**116.12**	**259.85**	**160.23**	**76.41**
Total Tax Expenses	27.43	76.53	55.67	23.79
Profit After Tax	**88.69**	**183.32**	**104.56**	**52.62**
Equity Share Capital	27.09	27.09	26.76	23.16
Other Equity	1,963.62	1,907.95	1,644.48	930.96
Net Worth	**1,990.71**	**1,935.04**	**1,671.24**	**954.12**
Total Debt*	-	-	**2.27**	**66.50***

Total Debt = Current Borrowings + Non-Current Borrowings + Current Portion of Long-term borrowings

Financial Ratios on standalone basis are as under:

Particulars	H1 FY20	FY 19	FY 18	FY 17
Basic EPS (in ₹)	3.27	6.80	3.98	2.28
Diluted EPS (in ₹)	3.27	6.79	3.98	2.28
Debt Equity Ratio	-	-	0.00	0.07
Book Value (₹ per share)	73.40	71.70	63.55	41.26
Return on Net worth (in %)	4.5%	9.5%	6.3%	5.5%

Notes:

1. Basic EPS = Profit after tax / Weighted average number of Equity Shares outstanding
2. Diluted EPS = Profit after tax / Weighted average number of Equity Shares outstanding
3. Debt equity ratio = Total debt as defined above / Net worth
4. Book value per share = (Equity share capital + Other Equity)/Total weighted average number of outstanding shares
5. Return on net worth = Profit after tax / Net worth

15.2 The Company prepares its financial statements in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with the relevant rules issued thereunder ("**Ind AS**"). Financial information on the basis of audited consolidated financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 and the unaudited limited reviewed consolidated financial statements for the six (6) months ended September 30, 2019 provided hereunder.

Particulars (₹ in crore)	H1 FY20	FY 19	FY 18	FY 17
Revenue from Operations	387.35	797.81	607.66	454.65
Other Income	14.71	31.29	28.62	4.95
Total Income	**402.06**	**829.10**	**636.28**	**459.60**
Total Expense (Excluding Interest, Depreciation and Exceptional Items)	238.27	479.10	360.64	290.69
Finance Costs	2.08	1.78	10.38	34.97
Depreciation & Amortization	22.99	37.68	37.14	36.12
Profit Before Exceptional Items and Tax	**138.72**	**310.54**	**228.12**	**97.82**
Exceptional Items	0.70	4.27	1.05	4.20
Profit Before Tax	**139.42**	**314.81**	**229.17**	**102.02**
Total Tax Expenses	38.26	114.13	73.69	28.03
Profit After Tax from Continuing Operation	**101.16**	**200.68**	**155.48**	**73.98**
Share of Non-Controlling Interest & Loss from Associate & Joint Venture	0.36	0.32	0.07	-0.23
Loss from Discontinued Operation (Net of Taxes)	-	-4.24	-	-
Profit for the Period / Year	**101.52**	**196.76**	**155.55**	**73.75**
Equity Share Capital	27.09	27.09	26.76	23.16
Other Equity	1,983.56	1,915.18	1,655.98	897.04
Net Worth	**2,010.65**	**1,942.27**	**1,682.74**	**920.20**
Total Debt	-	**0.19**	**2.29**	**221.00**

* Total Debt = Current Borrowings + Non-Current Borrowings + Current Portion of Long-term borrowings

Financial Ratios on standalone basis are as under:

Particulars	H1 FY20	FY 19	FY 18	FY 17
Basic EPS from Continuing and Discontinued Operation (in ₹)	3.75	7.30	5.92	3.19
Diluted EPS from Continuing and Discontinued Operation (in ₹)	3.74	7.29	5.92	3.19
Debt Equity Ratio	-	0.00	0.00	0.24
Book Value (₹ per share)	74.34	71.97	63.99	39.79
Return on Net worth (in %)	5.0%	10.1%	9.2%	8.0%

Notes:

1. Basic EPS = Profit after tax / Weighted average number of Equity Shares outstanding
2. Diluted EPS = Profit after tax / Weighted average number of Equity Shares outstanding
3. Debt equity ratio = Total debt as defined above / Net worth
4. Book value per share = (Equity share capital + Other Equity)/Total weighted average number of outstanding shares
5. Return on net worth = Profit after tax / Net worth

16. DETAILS OF ESCROW ACCOUNT

16.1 In accordance with Regulation 20 of the SEBI Buy-Back Regulations, the Company has appointed RBL Bank Limited as the Escrow Bank / Agent.

16.2 The Company, for performance of its obligations under the SEBI Buy-Back Regulations, will fund the Escrow Account in cash to the extent of 25% of the Maximum Buyback Size aggregating to ₹ 31,25,00,000 (Rupees Thirty One Crore Twenty Five Lakh only).

16.3 If the Company is not able to complete the Buy-Back equivalent to the Minimum Buy-Back Size, except for the reasons mentioned in the SEBI Buy-Back Regulations, the amount held in the Escrow Account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buy-Back Size), shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the SEBI Buy-Back Regulations.

17. LISTING DETAILS AND STOCK MARKET DATA

17.1 The Equity Shares are currently listed and traded on the BSE and NSE.

17.2 The high, low and average of closing market prices in preceding three (3) financial years and for the six (6) months preceding the date of publication of Public Announcement and the corresponding volumes on BSE are as follows:

Period	High Price (₹)	Date of High Price	Number of shares traded on date of High	Low Price (₹)	Date of Low Price	Number of shares traded on date of Low	Average Price (₹)	Total Volume Traded in the period (No. of shares)
PRECEDING 3 YEARS								
FY17	185.65	26-10-2016	28,49,480	68.45	01-04-2016	6,53,791	122.59	21,45,27,656
FY18	388.70	23-01-2018	25,18,850	141.85	23-05-2017	8,88,341	231.16	19,11,06,922
FY19	287.65	20-04-2018	5,82,493	204.45	19-07-2018	3,19,891	243.30	8,81,79,800
PRECEDING 6 MONTHS								
Sept-19	197.55	24-09-2019	1,87,322	168.05	03-09-2019	87,612	179.91	29,02,008
Oct-19	209.20	31-10-2019	1,33,916	152.60	31-07-2019	1,56,451	180.79	32,57,702
Nov-19	219.35	28-11-2019	3,05,369	189.45	15-11-2019	52,764	200.34	37,06,959
Dec-19	220.75	03-12-2019	2,10,010	197.70	30-12-2019	78,434	210.80	28,30,656
Jan-20	206.65	13-01-2020	1,37,881	176.80	30-01-2020	1,64,271	193.66	32,07,737
Feb-20	174.95	01-02-2020	1,00,253	134.45	28-02-2020	2,66,448	161.12	27,78,918

Source: www.bseindia.com

17.3 The high, low and average of closing market prices in preceding three (3) financial years and for the six (6) months preceding the date of publication of Public Announcement and the corresponding volumes on NSE are as follows:

Period	High Price (₹)	Date of High Price	Number of shares traded on date of High	Low Price (₹)	Date of Low Price	Number of shares traded on date of Low	Average Price (₹)	Total Volume Traded in the period (No. of shares)
PRECEDING 3 YEARS								
FY17	185.75	26-10-2016	1,37,71,475	68.35	01-04-2016	36,33,761	122.67	88,20,82,403
FY18	387.70	23-01-2018	1,32,81,255	141.80	23-05-2017	32,62,474	231.24	90,91,72,268
FY19	287.45	20-04-2018	40,55,196	204.00	19-07-2018	19,44,950	243.20	47,91,28,762
PRECEDING 6 MONTHS								
Sept-19	197.70	24-09-2019	15,93,579	168.15	03-09-2019	7,97,193	179.89	1,51,41,136
Oct-19	209.40	31-10-2019	12,46,887	152.50	04-10-2019	11,48,639	180.80	2,50,16,434
Nov-19	219.25	28-11-2019	25,80,626	189.55	15-11-2019	5,04,936	200.33	2,93,29,530
Dec-19	220.35	03-12-2019	10,98,113	197.80	30-12-2019	10,99,467	210.89	2,29,08,548
Jan-20	206.75	13-01-2020	17,39,032	177.20	30-01-2020	11,21,132	193.77	2,79,58,366
Feb-20	174.75	01-02-2020	6,32,410	134.45	28-02-2020	36,09,979	161.17	2,87,35,517

Source: www.nseindia.com

17.4 The closing market price of the Equity Shares on BSE and NSE as on March 25, 2020, being the day on which notice of Board meeting to consider the proposal for the Buyback was filed at the Stock Exchanges, was ₹54.00 (Rupees Fifty-Four Only) and ₹53.80 (Rupees Fifty-Three Rupees Paise Eighty Only) respectively.

17.5 The closing market price of the Equity Shares on BSE and NSE as on March 27, 2020, being the working day prior to the day the Board approved the proposal for Buy-Back, was ₹ 68.45 (Rupees Sixty-Eight and Paise Forty-Five Only) and ₹ 68.35 (Rupees Sixty-Eight and Paise Thirty-Five Only) respectively.

17.6 The closing market price of the Equity Shares on BSE and NSE as on March 30, 2020, being the working day after the day of resolution of the Board approving the proposal for Buy-Back, was ₹ 62.45 (Rupees Sixty-Two and Paise Forty-Five only) and ₹ 62.25 (Rupees Sixty-Two and Paise Twenty-Five only) respectively.

18. PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

18.1 The capital structure of the Company, as on the date of the Public Announcement and the proposed capital structure of the Company post completion of the Buy-Back will be, as follows: The present capital structure of the Company is as follows:

Particulars	Pre Buy-Back
Authorized Share Capital:	
421300000 Equity Shares of ₹ 1/- each	42,13,00,000
1000000 10% Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 10 each	1,00,00,000
13000000 8% Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 10 each	13,00,00,000
43747 0.001% Non-cumulative Optionally Convertible Preference Shares of ₹ 21,667 each	94,78,66,249
37747 1% Redeemable Preference Shares of ₹ 21,667/- each	81,78,64,249
Total	**2,32,70,30,498**
Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital:	
270938186 Equity Shares of ₹ 1 each	27,09,38,186
Total	**27,09,38,186**

18.2 Assuming full acceptance in the Buy-Back, the capital structure of the Company post Buy-Back would be as follows:

Particulars	Post Buy-Back
Authorized Share Capital:	
421300000 Equity Shares of ₹ 1/- each	42,13,00,000
1000000 10% Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 10 each	1,00,00,000
13000000 8% Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 10 each	13,00,00,000
43747 0.001% Non-cumulative Optionally Convertible Preference Shares of ₹ 21,667 each	94,78,66,249
37747 1% Redeemable Preference Shares of ₹ 21,667 each	81,78,64,249
Total	**2,32,70,30,498**
Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital*:	
25,84,38,186 Equity Shares of ₹ 1 each	25,84,38,186
Total	**25,84,38,186**

** Assuming the full acceptance of the Buy-Back Size at the Maximum Buy-Back Price. However, the post Buy-Back issued, subscribed and paid-up capital may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back.*

18.3 There are no partly paid-up Equity Shares or calls in arrears as on the date of this Public Announcement.

18.4 There are no outstanding instruments convertible into equity shares.

18.5 The shareholding pattern of the Company pre Buy-Back as on date of the Board meeting approving the Buy-Back i.e. March 28, 2020 and the post Buy-Back shareholding pattern assuming full acceptance, is as follows:

Category of Shareholder	Pre Buy-Back		Post Buy-Back*	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buy-Back Equity Share capital
Promoters and promoter group	8,87,97,440	32.77	8,87,97,440	34.36
Foreign Investors (Including Non-Resident Indians, FIIs, FPIs, Foreign Mutual Funds, Foreign Nationals)	5,40,18,353	19.94	16,96,40,746	65.64
Financial Institutions/Banks, Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	8,08,510	0.30		
Others (Public, Bodies Corporate, etc.)	12,73,13,883	46.99		
Total	**27,09,38,186**	**100.00**	**25,84,38,186**	**100.00**

** Assuming the full acceptance of the Buy-Back Size at the Maximum Buy-Back Price. However, the post Buy-Back issued, subscribed and paid-up capital may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back.*

18.6 There is no pending scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to any provisions of the Companies Act.

19. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE LIKELY IMPACT OF THE BUY-BACK ON THE COMPANY

19.1 The Buy-Back is not likely to cause any material impact on the earnings of the Company, except a reduction in the investment income, which the Company could have otherwise earned on the amount distributed towards the Buy-back.

19.2 The Buy-Back of Equity Shares will result in a reduction in share capital and consequently, is expected to be EPS accretive. The Company believes that the Buy-Back will contribute to the overall enhancement of shareholders' value going forward. The amount required by the Company for the Buy-Back (including the cost of financing the Buy-Back and the transaction costs) will be invested out of the internal accruals of the Company or such other source as may be permitted by the Buyback Regulations or the Companies Act. The Buy-Back is not likely to cause any material impact on the earnings of the Company, except for a reduction in the investment income, which the Company could have otherwise earned on the amount distributed towards the Buy-Back.

19.3 Pursuant to Regulation 16(ii) of the SEBI Buy-Back Regulations, the Promoters are not entitled to participate under the Buy-Back. The Buy-Back of Equity Shares will not result in a change in control or otherwise affect the existing management structure of the Company.

19.4 Consequent to the Buy-Back and based on the number of Equity Shares bought back from the shareholders excluding the promoters, the shareholding pattern of the Company would undergo a change, however public shareholding shall not fall below 25% of the total fully paid-up equity share capital of the Company.

19.5 As required under Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4(ii)(a) of the SEBI Buy-Back Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves post Buy-Back, both on standalone and consolidated basis

19.6 Unless otherwise determined by the Board and the Buy-back committee, duly authorized by the Board, the Buy- back will be completed within a maximum period of six months from the date of opening of the Buy-Back. The Company shall not withdraw the Buy-Back after this Public Announcement has been made.

19.7 Further, the Company shall not issue any equity shares or other securities including by way of bonus issue or convert any outstanding instruments into equity shares, till the expiry of the Buy-Back Period in accordance with the Companies Act and the SEBI Buy-Back Regulations. In compliance with the provisions of the Companies Act, the Company shall not raise further capital for a period of six months from the expiry of the Buy-Back period except by way of a bonus issue or in the discharge of subsisting obligations. Further, in accordance with the SEBI Buy-Back Regulations, the Company shall not raise further capital for a period of one year from the expiry of the Buy-Back Period, except in discharge of its subsisting obligations.

20. STATUTORY APPROVALS

20.1 Pursuant to Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions of the Companies Act and the Rules, if any, there under and the SEBI Buy-Back Regulations, the Company has obtained the Board approval as mentioned above.

20.2 The Buy-Back from each Eligible Shareholder of the Company is subject to all statutory consents and approvals as may be required by such shareholder under applicable laws and regulations. The shareholders shall be solely responsible for obtaining all such statutory consents and approvals (including, without limitation the approvals from RBI, if any) as may be required by them in order to sell their equity shares to the Company pursuant to the Buy-Back. Shareholders would be required to provide copies of all such consents and approvals obtained by them to the Company's Broker.

20.3 The Buy-Back shall be subject to such necessary approvals as may be required and the Buy-Back from overseas corporate bodies and other applicable categories, shall be subject to such approvals of the RBI, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

20.4 As mentioned above, the Buyback of Equity Shares from non-residents ("**NR**") and non-resident Indian ("**NRI**") shareholders will be subject to approvals, if any, of the appropriate authorities, including RBI, as applicable. NRIs and erstwhile OCBs must obtain all specific approvals required to participate in this Buyback (including without limitation, approval from RBI, as applicable). It is the obligation of such NRI to obtain such approvals, so as to enable them to participate in the Buyback. The Company will have the right to make payment to the Eligible Shareholders in respect of whom no prior RBI approval is required and not accept Equity Shares from the Eligible Shareholders in respect of whom prior RBI approval is required in the event copies of such approvals are not submitted.

20.5 By agreeing to participate in the Buyback, the NR and NRI shareholders give the Company the authority to make, sign, execute, deliver, acknowledge and perform all applications to file regulatory reporting, if required, including form FC-TRS, if necessary and undertake to provide assistance to the Company for such regulatory reporting, if required, by the Company.

20.6 To the best of the knowledge of the Company, and as on the date hereof, no other statutory approvals are required by it for the Buy-Back, as on the date of this Public Announcement. Subject to the obligation of the shareholders to obtain the consents and approvals necessary for transfer of their equity shares to the Company, the Company shall obtain such statutory approvals as may be required, from time to time, if any, for completion of the Company's obligations in relation to the Buy-Back.

20.7 The Company shall comply with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, wherever and if applicable. The Company hereby declares that it is in compliance with Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act and the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014.

21. COLLECTION AND BIDDING CENTRES: The Buy-Back will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges using their nationwide trading terminals. Therefore, the requirement of having collection centers and bidding centers is not applicable.

22. COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Compliance Officer of the Company for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours i.e. 9:30 a.m. to 5:00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Mr. Dilip Vaidya
Compliance Officer & Company Secretary
Delta Corp Limited
2nd Floor, Bayside Mall, Tardeo Road, Haji Ali, Mumbai - 400 034.
Tel: +91-22-4079 4700 | Fax: +91-22-4079 4777 | E-mail: secretarial@deltin.com

23. REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT TO THE BUY-BACK AND INVESTOR SERVICE CENTRE

Investors may contact the Registrar and Investor Service Centre, during office hours, i.e. 9:00 a.m. to 5:30 p.m., on any day except Saturday, Sunday and public holidays at the following address:

Freedom Registry Limited
Share Transfer Agent
Plot No 101,19th Street, MIDC Area, Satpur, Nasik - 422007 | Tel. No.: (0253) 2354032
Email: freedom.nashik@gmail.com | Website: http://www.freedomregistry.in/
Contact Person: Mr. Bhushan Chandratre | SEBI Registration No.: INE000003563

24. MANAGER TO THE BUY-BACK

Motilal Oswal Investment Advisors Limited
Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai- 400 025
Tel: +91 22 7193 4380 | **Fax:** +91 22 7193 4315
E-mail: deltacorp.buyback2020@motilaloswal.com
Investor Grievance E-mail: moiaplredressal@motilaloswal.com
Website: http://www.motilaloswalgroup.com | **Contact person:** Kristina Dias / Subodh Mallya
SEBI Registration No.: INM000011005 | **Validity Period:** Permanent
CIN: U67190MH2006PLC160583

25. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy-Back Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc. which may be issued in relation to the Buy-Back and confirm that the information in such documents contains and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Delta Corp Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Jaydev Mukund Mody	Ashish Kiran Kapadia	Dilip Narendra Vaidya
Chairman	Managing Director	Company Secretary and Compliance Officer
DIN: 00234797	DIN: 02011632	FCS No.: F7750

Place: Mumbai
Date: March 30, 2020

CONCEPT

www.readwhere.com

एजेंट की मां को गोवा से ब्रिटेन लाने की फुटबॉलर ने लगाई गुहार

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

इटली के फुटबॉल क्लब एसी मिलान के गोलकीपर अस्मिर बेगोविच ने मांगी मदद

इटली के फुटबॉल क्लब एसी मिलान के गोलकीपर अस्मिर बेगोविच ने कहा है कि उनके ब्रिटिश एजंट की मां भारत में पूर्ण बंदी के कारण गोवा में फंसी हुई है। उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से उन्हें वापस लाने में मदद करने की गुहार लगाई है।

उन्होंने कहा कि उन्हें गोवा में खाना और पानी जुटाने में काफी परेशानी हो रही है। इस 32 साल के खिलाड़ी ने हालांकि अपने ट्विटर पोस्ट में महिला का नाम नहीं बताया। बेगोविच ने ट्वीट किया, मेरे करीबी दोस्त और एजंट की 67 वर्षीय मां गोवा में सैकड़ों अन्य ब्रिटिश नागरिकों के साथ भारत में फंसी हुई हैं। वहां संपूर्ण लॉकडाउन के कारण उनके लिए भोजन और पानी जुटाना मुश्किल होता जा रहा है।

उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सहायता के लिए याचिका के लिंक के साथ पोस्ट किया, ब्रिटिश सरकार को इन नागरिकों को वापस लाने के लिए कृपया इस याचिका पर हस्ताक्षर करें।

शारीरिक रूप से घर में, मानसिक रूप से वानखेड़े में हूं : सूर्यकुमार यादव

मुंबई, 30 मार्च (भाषा)।

घरेलू क्रिकेट के एकदिवसीय प्रारुप में शानदार लय में चल रहे मुंबई के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण शारीरिक रुप से अपने घर पर जरूर हैं लेकिन मानसिक तौर वह वानखेड़े स्टेडियम में हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अगर देश भर में लॉकडाउन नहीं होता तो रविवार को वानखेड़े के मैदान में इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया होता। कोविड-19 के कारण आइपीएल को 15 अप्रैल तक टाला गया है लेकिन सरकार के द्वारा घोषित 21 दिन के लॉकडाउन के कारण इसके रद्द होने की संभावना अधिक है।

यादव ने वानखेड़े मैदान और अपने घर में रहने की तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट किया, मानसिक रूप से वानखेड़े स्टेडियम में हूं। शारीरिक रूप से घर में हूं। यह समय भी गुजर जाएगा।

ओलंपिक : आइओसी ने की नई तारीख की घोषणा, 2021 में होगा आयोजन

खेलों का आगाज अब 23 जुलाई से

तोक्यो, 30 मार्च (एएफपी)।

कोरोना वायरस महामारी के चलते स्थगित किए गए तोक्यो ओलंपिक अब अगले साल 23 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। तोक्यो ओलंपिक इस साल 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच होने थे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा।

आइओसी और जापान सरकार लगातार दोहराते रहे कि खेल निर्धारित समय पर होंगे लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच खेल महासंघों और खिलाड़ियों के दबाव में उन्हें फैसला लेना पड़ा। तोक्यो 2020 के प्रमुख योशिरो मोरी ने आनन फानन में बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अब ओलंपिक खेल 23 जुलाई से आठ अगस्त 2021 के बीच होंगे। पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से पांच सितंबर के बीच होंगे।

इससे कुछ घंटा पहले ही मोरी ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इस सप्ताह नई तारीखों पर फैसला लेगी। उन्होंने हालांकि सोमवार की शाम को कहा कि आइओसी से आपात टेलीकांफ्रेंस के बाद तारीख तय कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस बात पर स्वीकृति रही कि ओलंपिक गर्मियों में ही कराए जाएंगे जैसे कि होने थे। तैयारियों, चयन और क्वालीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय चाहिए।

आइओसी ने एक बयान में कहा कि नई तारीखों से स्वास्थ्य अधिकारियों और आयोजकों को कोविड 19 महामारी के चलते बार-बार बदलते हालात से भी निपटने का समय मिल जाएगा। ऐसी भी अटकलें थी कि खेलों को बसंत के महीने में कराया जाए जब जापान में चेरी ब्लॉसम के खिलने का समय होता है। लेकिन उस समय यूरोपीय फुटबॉल और उत्तर अमेरिकी खेल लीग होती है।

तोक्यो आयोजन समिति के प्रमुख योशिरो मोरी और सीईओ तोशिरो मुतो ने कहा था कि नई तारीखों पर खेलों के आयोजन की लागत बहुत अधिक होगी । स्थानीय रपटों के अनुसार यह लागत अरबों डॉलर बढ़ जाएगी और इसका बोझ जापान के करदाताओं पर पड़ेगा। मुतो ने लागत की गणना में पारदर्शिता बरतने का वादा किया। जापान आधिकारिक तौर पर ओलंपिक की मेजबानी पर 12.6 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। जापानी सरकार के एक आडिट ब्यूरो ने हालांकि कहा कि लागत इसकी दुगुनी है। खेलों को स्थगित करने के फैसले से होटल, टिकट, वेन्यू और परिवहन समेत सभी पहलुओं पर असर पड़ा है। जापान सरकार ने इन खेलों को रिकवरी ओलंपिक कहा था। वह इनके जरिए दिखाना चाहती थी कि 2011 में सुनामी, भूकंप और फुकुशिमा में परमाणु रिसाव की त्रासदी झेलने के बावजूद उनका देश इन खेलों की मेजबानी कर सकता है। अब इन खेलों को कोरोना वायरस पर इंसान की जीत के रूप में पेश किया जाएगा।

आइओसी प्रमुख थामस बाक ने कहा कि इंसान इस समय एक अंधेरी सुरंग में है। तोक्यो ओलंपिक 2020 इस सुरंग के आखिर में एक ज्योति का काम कर सकते हैं। यह खेल कोरोना वायरस पर इंसान की जीत का सबूत होंगे।

12.6

अरब डॉलर खर्च कर रहा है जापान आधिकारिक तौर पर ओलंपिक की मेजबानी पर

जापान सरकार ने इन खेलों को रिकवरी ओलंपिक कहा था। वह इनके जरिए दिखाना चाहती थी कि त्रासदी झेलने के बावजूद उनका देश इन खेलों की मेजबानी कर सकता है।

“ आइओसी से आपात टेलीकांफ्रेंस के बाद तारीख तय कर ली गई है। इस बात पर स्वीकृति रही कि ओलंपिक गर्मियों में ही कराए जाएंगे जैसे कि होने थे। तैयारियों, चयन और क्वालीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय चाहिए। नई तारीखों से स्वास्थ्य अधिकारियों और आयोजकों को कोरोना के चलते बार-बार बदलते हालात से निपटने का समय मिल जाएगा। **- योशिरो मोरी**

“ इंसान इस समय एक अंधेरी सुरंग में है। तोक्यो ओलंपिक 2020 इस सुरंग के आखिर में एक ज्योति का काम कर सकते हैं। यह खेल कोरोना वायरस पर इंसान की जीत का सबूत होंगे। **-थामस बाक**, आइओसी प्रमुख

भारत का आस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है प्रभावित

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

आस्ट्रेलियाई सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते अगले छह महीनों के लिए अपनी सीमा बंद करने का फैसला किया है।

भारत का आस्ट्रेलियाई दौरा अक्तूबर में टी-20 त्रिकोणीय शृंखला से शुरू होकर दिसंबर में टैस्ट सीरीज के साथ खत्म होना था।

आस्ट्रेलियाई सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते अगले छह महीनों के लिए अपनी सीमा बंद करने का फैसला किया है। इसका प्रतिकूल असर भारत के भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) पर पड़ सकता है। इसमें इस साल के अंत में आस्ट्रेलिया टूर भी शामिल है। भारत का आस्ट्रेलियाई दौरा अक्तूबर में टी-20 त्रिकोणीय शृंखला से शुरू होकर दिसंबर में टैस्ट सीरीज के साथ खत्म होना था।

इस बीच में 18 अक्तूबर से विश्व टी-20 शुरू होना है लेकिन वैश्विक स्वास्थ्य संकट के कारण इसके भविष्य पर भी अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। आस्ट्रेलिया में कोविड-19 से 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं जबकि 16 लोगों की मौत हो चुकी है जिससे सरकार ने देश की सीमाओं को बंद कर दिया है।

सौरव गांगुली की अगुआई वाली बीसीसीआइ को इस महामारी के चलते वैकल्पिक योजना बनानी पड़ सकती है। बीसीसीआइ को अभी हालांकि आइपीएल के इस चरण के आयोजन पर भी अंतिम फैसला करना है और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी चिंता का विषय है क्योंकि इसमें श्रीलंका (वनडे और टी-20), जिंबाब्वे दौरा, एशिया कप (टी-20) और इंग्लैंड के खिलाफ सफेद गेंद की शृंखला शामिल है।

यात्रा संबंधित छह महीने के प्रतिबंध का मतलब है कि आगामी दिनों में होने वाले टूर्नामेंट के लिए किसी भी टीम को आस्ट्रेलिया में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें विश्व टी-20 और भारतीय टीम का दौरा शामिल है।

इसकी जानकारी रखने वाले बीसीसीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यह संभवतः छह महीने की यात्रा पांबदी है। अगर हालात काबू में आ जाते हैं तो इसे कम किया जा सकता है।

लेकिन जिन्हें एफटीपी कैलेंडर का अंदाजा है, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे हालात में व्यावहारिक समस्या टी-20 त्रिकोणीय शृंखला में हो सकती है जो अक्तूबर में शुरू होगी जिसमें आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी शामिल हैं।

बीसीसीआइ के एक अन्य सूत्र ने कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पांबदी छह महीने तक जारी रहती है तो यह लॉजिस्टिकल दुस्वप्न हो जाएगा। कम से कम टी-20 त्रिकोणीय शृंखला के लिए जो विश्व टी20 से पहले होगी।

आइटीटीएफ ने 30 जून तक सभी प्रतियोगिताएं निलंबित कीं

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आइटीटीएफ) ने कोविड-19 महामारी के कारण 30 जून तक उन सभी प्रतियोगिताओं को निलंबित कर दिया जिसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रा की जरूरत थी। आइटीटीएफ की कार्यकारी समिति ने कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर रविवार को अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की।

उसने बयान में कहा कि जारी अनिश्चितता को देखते हुए आइटीटीएफ की कार्यकारी समिति इस निर्णय पर पहुंची है ि क 30 जून तक जिन टूर्नामेंटों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा की जरूरत है उसे निलंबित किया जाता है।

कोरोना महामारी से प्रभावित गरीबों की मदद में जुटे फुटबॉलर

नई दिल्ली, 30 मार्च (भाषा)।

कोविड-19 महामारी के कारण हुए पूर्ण बंदी से गरीबों को सबसे ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी अपने-अपने इलाकों में इन जरूरतमंदों को मदद मुहैया कराने में जुटे हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने इलाकों में वित्तीय मदद के अलावा शिविर लगाने और खाना जुटाने में अहम भूमिका निभाई है। वे इस महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी के बारे में भी जागरूकता फैला रहे हैं।

सुनील छेत्री डब्लूएचओ और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के 'ब्रेक द चेन' जागरूकता अभियान से जुड़े हैं।

भारतीय कप्तान सुनील छेत्री विश्व संस्था फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए बने 'ब्रेक द चेन' जागरूकता अभियान से जुड़े हैं। डिफेंडर प्रीतम कोटल, मिडफील्डर प्रणय हलदर और डिफेंडर प्रबीर दास ने पश्चिम बंगाल में जरूरतमंदों की मदद के लिए करीब चार लाख रुपए इकट्ठे किए हैं।

प्रणय ने कहा कि बैरकपुर मंगल पांडे फुटबॉल कोचिंग शिविर में काफी सारे बच्चे हैं जो रोज कमाकर खाते हैं। अब हालात थोड़े मुश्किल हो गए हैं और मैं इस समय उनकी मदद करने की कोशिश में जुटा हूं। वहीं यह मिडफील्डर अपने इलाके में कुछ अनाथों की देखभाल भी कर रहा है, उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टेशन पर रहने वालों और बाहर रहने वाले अन्य लोगों को बुनियादी चीजें बांट रहा हूं।

इस महामारी से अब तक दुनिया भर में 34,000 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सात लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। कोटल ने कहा कि इस महामारी के बीच हम सभी को एकजुट होकर इससे लड़ने की जरूरत है। हमने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए कोष में थोड़ा योगदान करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हमें घर पर रहने की जरूरत है और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा।

प्रबीर दास राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 काफी फैल चुका है और हम अब इसे हल्के में नहीं ले सकते। इन हालात में इससे लड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय होने के नाते, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सरकार का हाथ बटाऊं और मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की।

स्वास्थ्य संबंधित संकट के दौरान गरीबों की मदद के लिए 'प्लेयर्स फॉर ह्यूमैनिटी' नाम का ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसे मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने मिलकर बनाया है। इसमें मेहताब हुसैन, सैयद रहीम नबी, डेनसन देवदास, संदीप नंदी और देबब्रत रॉय मौजूद हैं।

इसमें मौजूदा खिलाड़ियों में कोटल, हलदर, अरिंधम भट्टाचार्य, प्रबीर दास, सौविक चक्रवर्ती और देबजीत मजूमदार शामिल हैं। इन फुटबालरों ने पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष भी कुछ राशि का योगदान किया है।

आइपीएल : धैर्य और अभ्यास से हौसला बढ़ा रहे युवा खिलाड़ी

नई दिल्ली/ मुंबई / चेन्नई, 30 मार्च (भाषा)।

कोविड-19 महामारी के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के 15 अप्रैल तक टलने से टूर्नामेंट में पहली बार खेलने के लिए तैयार युवा खिलाड़ी निराश है। हालांकि धैर्य और अभ्यास के साथ वे खुद को प्रेरित कर रहे है।

पूर्ण बंदी के दौरान घर में ही अभ्यास कर रहे कई खिलाड़ी

बंगाल के युवा हरफनमौला शाहबाज अहमद ने विराट कोहली और एबी डिविलियर्स से पूछने के लिए सवालों की सूची तैयार कर रखी है। लेकिन देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे है, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु के इस खिलाड़ी का इंतजार और लंबा हो सकता है। भारतीय अंडर -19 टीम के सितारे यशस्वी जायसवाल और कार्तिक त्यागी की भी यही स्थिति है जिन्होंने टूर्नामेंट से पहले काफी सुर्खियां बटोरी। अब उन्हें कम से कम 15 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा।

तमिलनाडु के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी इससे अछूते नहीं हैं। हालांकि इन खिलाड़ियों का इंतजार लंबा होता जा रहा लेकिन इनका मानना है कि यह समय भी गुजर जाएगा। इस साल रणजी ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करने वाले शाहबाज ने कहा कि खिलाड़ियों की बोली में जब आरसीबी ने मुझे चुना तो मेरे लिए वह सपना सच होने जैसा था। मुझे लगा कि मैं भारतीय कप्तान और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करूंगा। मुझे नेट्स पर उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिलता और मैं उनसे सलाह लेता। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्थिति कैसी है। हमें संकट के खत्म होने का इंतजार करना है। हरियाणा के मेवात में रहने वाले 25 साल के इस खिलाड़ी ने कहा कि मैं खुद को फिट रखने के लिए घर में ही शारीरिक अभ्यास कर रहा हूं।

अपनी गति से सब को प्रभावित करने वाले यूपी के तेज गेंदबाज त्यागी के लिए अच्छी बात यह है कि हापुड़ के उनके घर में प्रशिक्षण करने के लिए पर्याप्त जगह है क्योंकि उनके पिता ने घर में ही पिच तैयार की है और नेट लगाया है। इस युवा खिलाड़ी ने कहा कि 18 साल की उम्र में मैं वैसी बातों को नहीं सोच सकता जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मेरा काम अभ्यास करना और तैयार रहना है। मैं हर दिन दो घंटे और सुबह दो घंटे शाम में प्रशिक्षण करता हूं। उन्होंने कहा कि हां, मेरे घर के पीछे के हिस्से में पिच है। इसलिए मैं एक विकेट लगाकर गेंदबाजी अभ्यास करने में सक्षम हूं। इसके साथ थोड़ा शारीरिक प्रशिक्षण भी कर रहा हूं जो हमें हमारे ट्रेनर आनंद दाते ने दिया है।

स्टार खिलाड़ी जायसवाल ने कहा कि वह अपने पहले आइपीएल को लेकर काफी रोमांचित थे लेकिन वास्तविकता यही है कि अभी इंसानी जिंदगी को बचाना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने पहले आइपीएल के लिए काफी उत्साहित था। मैं अपने कोच ज्वाला सर और टीम शिविरों में भी अपनी तैयारी कर रहा था। लेकिन हमें आशावादी रहना चाहिए।

उन्होने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हम खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखें और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो वायरस से पीड़ित हैं।

घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु की टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे चक्रवर्ती के लिए खुद को साबित करने का आइपीएल सही मंच है। कोलकाता नाइट राइडर्स से चार करोड़ रुपए की बोली हासिल करने वाले इस खिलाड़ी ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि दुनिया में ठहराव आ गया है। उम्मीद है, हम सभी एक साथ लड़ेंगे और वायरस को हराएंगे।

किसी भी हालात में बल्लेबाजी करने में तेंदुलकर सबसे ऊपर : वार्न

मेलबर्न, 30 मार्च (भाषा) ।

आस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर शेन वार्न ने सोमवार को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी सचिन तेंदुलकर को किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज करार दिया। साथ ही उन्होंने अपने पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को मैच विजेता के बजाय मैच बचाने वाला करार दिया।

खेल के महान स्पिनरों में से एक वार्न ने इंस्टाग्राम लाइव पर अपने प्रशंसकों से बात करते हुए कहा कि अगर मुझे ऐसा बल्लेबाज चुनना हो जो किसी भी हालात में बल्लेबाजी कर सके तो यह तेंदुलकर और लारा में से ही होगा लेकिन मैं तेंदुलकर को चुनूंगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें अंतिम दिन 400 रन का पीछा करना हो तो मैं निश्चित रूप से लारा को चुनूंगा।

तेंदुलकर ने भारत के लिए विश्व रेकार्ड 200 टैस्ट खेले और 53.78 के औसत से 15,921 रन जुटाए हैं। जबकि 463 वनडे में उन्होंने 44.83 के औसत से 18,426 रन बनाए। लारा ने 131 टैस्ट में 11,953 रन और 299 वनडे में 10,405 रन जोड़े थे। जब वार्न से उनके पूर्व कप्तान वॉ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह ऐसे खिलाड़ी थे जो मुश्किल हालात से टीम को बाहर निकाल देते थे। वार्न ने कहा कि स्टीव मैच विजेता के बजाय मैच बचाने वाले थे। वार्न ने अपनी सर्वकालिक आस्ट्रेलियाई टैस्ट एकादश टीम में भी वॉ को शामिल किया जिसमें कप्तानी एलेन बार्डर को सौंपी। टीम के बारे में वार्न ने कहा कि मैं केवल उन खिलाड़ियों को चुन रहा हूं जिनके साथ मैं खेला हूं, इसलिए डेविड वार्नर इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे जबकि वह बेहतरीन सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं। वार्न की टीम में मैथ्यू हेडन, माइकल स्लेटर, रिकी पोंटिंग, मार्क वॉ, बार्डर और स्टीव के अलावा एडम गिलक्रिस्ट, ग्लेन मैकग्रा, जेसन गिलेस्पी, ब्रूस रीड और टिम मे शामिल हैं।

कोहली सहित कई ने कोरोना से जंग में बढ़ाया हाथ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 मार्च।

भारतीय कप्तान विराट कोहली और पत्नी बालीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता करने का वादा किया। कोहली सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से लोगों को लगातार सामाजिक दूरी बनाने का पालन करने की सलाह दे रहे हैं।

उन्होंने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की घोषणा की। कोहली ने हालांकि यह नहीं बताया कि वह कितनी राशि दान करेंगे। भारतीय कप्तान ने कहा कि अनुष्का और मैं पीएम-केयर्स कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष (महाराष्ट्र) में अपना योगदान दे रहे हैं। इतने लोगों की पीड़ा को देख कर हमारा दिल पसीज रहा है और हम आशा करते हैं कि हमारा योगदान किसी तरह से हमारे साथी नागरिकों के दर्द को कम करने में मदद करेगा।

दुनिया भर में इस बीमारी से 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई खिलाड़ियों ने आर्थिक योगदान दिया है। पिछले सप्ताह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 50 लाख रुपए जबकि क्रिकेटर सुरेश रैना ने 52 लाख रुपए का योगदान दिया था। इस महामारी से लड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान वाले खिलाड़ियों में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू, पहलवान बजरंग पुनिया, धावक हिमा दास और बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली भी शामिल हैं। बीसीसीआइ ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

मनु भाकर ने एक लाख रुपए दान दिए : युवा निशानेबाज मनु भाकर ने तेजी से फैल रही कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए हरियाणा सरकार को सोमवार को एक लाख रुपए दान में दिए। राष्ट्रमंडल खेल और युवा ओलंपिक की चैंपियन भाकर ने ट्वीट किया, यह वह समय है जब सिर्फ देश के लोगों का जीवन मायने रखता है और उनको बचाने के लिए हम सबको जो कर सकें करना होगा। मैं अपनी बचत से हरियाणा कोरोना केयर्स कोष एक लाख रुपए का योगदान करती हूं।

झज्जर की इस 18 साल की निशानेबाज ने लिखा, आशा करती हूं की आप सब भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान करके आपदा की इस घड़ी में देश का साथ दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आभार जताते हुए ट्वीट किया 'आपके येगदान के लिए धन्यवाद।'

टेबल टेनिस स्टार जी साथियान ने 1.25 लाख रुपए का दान दिया : भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए सोमवार को 1.25 लाख रुपए का दान दिया।

मैरी कॉम ने एक महीने का वेतन दिया : छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने सोमवार को कहा कि वह कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में राज्यसभा की सांसद के तौर पर वह एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करेंगी।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 134, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com